हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 2021

खण्ड–1, अंक–11

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 18 मार्च, 2021

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड

विभिन्न मामले उठाना

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

हरियाणा में किसानों के लंबित नलकूप कनैक्शन जारी करने से संबंधित

वक्तव्य–

बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) नियम समिति की अंतिम रिपोर्ट

सदन की मेज पर रखा गया कागज–पत्र

विधान सभा की समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

(ii) अधीनस्थ विधान समिति की 48वीं रिपोर्ट

(iii) याचिका समिति की 10वीं रिपोर्ट

(iv) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 67वीं रिपोर्ट

(v) सरकारी आश्वासन समिति की 50वीं रिपोर्ट

(vi) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 44वीं रिपोर्ट

(vii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) संबंधी विषय समिति की आठवीं रिपोर्ट

(viii) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी विषय समिति की छठी रिपोर्ट

(ix) प्राक्कलन समिति की 48वीं रिपोर्ट

विधायी कार्य–

(i) प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नम्बर–2) बिल, 2021

(ii) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा शौर्ट टाइटल्स अमैंडमैंट बिल, 2021

(2) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

(3) दि पंजाब लेबर वैल्फेयर फंड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2021

(4) दि हरियाणा कंटीजैंसी फण्ड (अमैंडमैंट) बिल, 2021

(5) दि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बिल, 2021

चयन समिति के गठन संबंधी सूचना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(6) दि हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजिज टू प्रौपर्टी डयूरिंग डिस्टरबैंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, 2021

हरियाणा विधान सभा
वीरवार, 18 मार्च, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित एवं प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Construction of New Buildings of Market Committee

***771. Shri Balbir Singh**: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the building of Market Committee Matlauda in Israna Assembly Constituency is very old and damaged ; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new Building of abovesaid Market Committee togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : (क) जी हां, श्रीमान्;

(ख) इस कार्य के लिए 138.28 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 23.02.2021 को दे दी गई है। यह कार्य 31.03.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री बलबीर सिंह : माननीय स्पीकर महोदय, मंत्री जी ने यह बताया कि एक साल के अंदर–अंदर यानि कि दिनांक 31.03.2022 तक इस काम को पूरा कर दिया जायेगा। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे यह बताने की कृपा करें कि इस काम को शुरू कब कर रहे हैं? क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब कोई काम शुरू हो जाता है तो वह आखिरकार पूरा भी हो जाता है लेकिन अगर शुरू ही नहीं होगा तो फिर पूरा कैसे हो पायेगा?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया कि दिनांक 23.02.2021 को इस कार्य की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी जा चुकी है। इसके बाद की प्रक्रिया यह है कि इस कार्य के टैण्डर्ज लगाने की तारीख तय करने का काम किया जाता है। इस कार्य के टैण्डर्ज के लिए अगले महीने की तारीख लगा दी जायेगी। उसके बाद इस कार्य को पूरा करने के लिए एक साल की समय–सीमा निर्धारित की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक साल के अंदर यह काम पूरा हो जायेगा।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, इसके अलावा मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से एक रिक्वैस्ट यह है कि मेरे इसराना विधान सभा क्षेत्र में मतलौडा और इसराना ब्लॉक में कोई भी रैस्ट हाऊस नहीं है इसलिए इन दोनों जगहों पर

जल्दी से जल्दी रैस्ट हाऊसिज का निर्माण करवाया जाये। यह इन दोनों जगहों की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर कोई भी सरकारी या गैर सरकारी मीटिंग करनी हो तो हमें वहां से 20 किलोमीटर दूर चलकर पानीपत आना पड़ता है। क्या मंत्री जी इस काम को करवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कृपया करके मुझे उसकी समय सीमा बताई जाये।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मतलौडा और इसराना ब्लॉक में अभी रैस्ट हाऊस बनाने की कोई प्रपोजल नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस मामले को मतलौडा और इसराना ब्लॉक के परिपेक्ष्य में एग्जामिन करवा लेता हूं। इस सम्बन्ध में जो भी निचले स्तर के अधिकारीगण की रिपोर्ट आयेगी उसके बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

———————

To Stop Industrial Waste Water

***820. Shri Chiranjeev Rao**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to stop Industrial waste water coming from Bhiwadi Industrial area, Rajasthan to Dharuhera which clogs NH-98 and causes inconvenience to the people of Dharuhera and commuters; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : हाँ, श्रीमान जी, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हरियाणा सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए नियमित पत्राचार, क्षेत्र का निरीक्षण तथा संयुक्त बैठकों के रूप में राजस्थान सरकार के पास मामला उठाया है।

इस सम्बन्ध में (आवेदन पत्र क्रमांक 124/2015) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नैशनल ग्रीन ट्रब्यूनल), नई दिल्ली/शीर्षक सुमित्रा देवी बनाम सी०पी०सी०बी० के समक्ष दायर किया है जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश

———————————————————

@Reply given by the Education Minister

दिनांक 12.12.2017 द्वारा भिवाड़ी, राजस्थान से धारूहेड़ा हरियाणा में औद्योगिक तथा घरेलू बहिःस्त्राव को रोकने हेतु उचित कदम उठाने के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश जारी किए गए है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एच0एस0पी0सी0बी0) ने माननीय अधिकरण के दिनांक 12.12.2017 के आदेशों को राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित न करने के लिए नैशनल ग्रीन ट्रब्यूनल (एन0जी0टी0) के समक्ष कार्यान्वयन आवेदन क्रमांक 42/2019 भी दायर किया है।

अब, एन0जी0टी0 ने आदेश दिनांक 04.02.2021 द्वारा कानून के नियम की पालना करने तथा जनता के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए मामले में उचित आपातिक उपाय करने के लिए राजस्थान राज्य तथा इनके प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं। माननीय अधिकरण ने पर्यावरण को की गई हानि के लिए मुआवजों का निर्धारण करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) को निर्देश भी दिए है। माननीय अधिकरण के 3 मास के भीतर उपरोक्त कथित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि पांच मलजल उपचार संयन्त्र (एस0टी0पी0) घरेलू उपशिष्ट जल के उपचार के लिए नगरपालिका भिवाड़ी द्वारा निर्मित किए जाने योजनाबद्व थे जिसमें से चार एस0टी0पी0 संचालित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव, राजस्थान ने यह भी सूचित किया है कि सामूहिक बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) भिवाड़ी परिचालन में हैं तथा उपचारित बहिःस्त्राव राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा के निकट किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया है कि राजस्थान सरकार ने शून्य तरल बहन स्तर तक सी.ई.टी.पी. को आगे उन्नत करने तथा उपचारित बहिःस्त्राव का पुनःप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की है।

मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि यह परियोजना वित्त वर्ष 2021–2022 की समाप्ति तक पूरी की जानी संभावित है।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष जी, मैंने इसी मामले के ऊपर एक कालिंग अटैंशन नोटिस भी दिया था जोकि आपके द्वारा रिजैक्ट कर दिया गया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि भिवाड़ी से गंदा कैमिकल युक्त पानी धारूहेड़ा के अंदर आता है जिसकी वजह से धारूहेड़ा और आसपास के 10 से 12 गांवों का अण्डर ग्राउंड वॉटर बड़ी बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। इसकी वजह से धारूहेड़ा के जो तमाम रोड हैं उनकी हालत भी बहुत ही

ज्यादा खस्ता हो गई है। आये दिन गुरूग्राम और रेवाड़ी के हाईवे पर लम्बा–लम्बा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में यह कहा है कि इस मामले में राजस्थान गवर्नमैंट को एन.जी.टी. ने जो निर्देश दिये हैं राजस्थान गवर्नमैंट उनकी पालना नहीं कर रही है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इसका काम कब तक पूरा हो जायेगा क्योंकि पिछले 6 साल से धारूहेड़ा के लोग इस तकलीफ को झेल रहे हैं। जैसाकि मैंने भी बताया कि इसकी वजह से धारूहेड़ा और आसपास के 10 से 12 गांवों का अण्डर ग्राउंड वॉटर पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। हमारे शहर के अम्बेडकर पार्क के अंदर भी पानी भर गया है और उसकी सारी की सारी दीवारें भी गिर गई हैं। वहां पर पिछले साल एक 12 साल के बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है। इसकी वजह से वहां पर लोगों को एलर्जी से सम्बंधित बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी कारणों से वहां से लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात यह भी लाना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर सबसे प्रदूषित शहरों में धारूहेड़ा का नाम पिछले दिनों आया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बार–बार मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इसका कार्य कम्पलीट करवाया जाये। इसके साथ ही साथ मुझे यह भी बताया जाये कि यह काम कब तक कम्पलीट हो जायेगा?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसके बारे में यह बताना चाहूंगा कि एन.जी.टी. ने इस मामले में जो आदेश दिये हैं उनके मुताबिक तीन महीने के अंदर–अंदर इस काम की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। इसके साथ ही साथ जो हानि हुई है उसके मुआवजे के लिए भी एन.जी.टी. ने सम्बंधित डिपार्टमैंट को आदेश दिये हैं।

श्री चिरंजीव रावः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां के लोगों की यह समस्या 3 महीने में दूर हो जायेगी?

श्री अध्यक्षः चिरंजीव जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एन.जी.टी. की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है और उन्होंने कहा है तो 3 महीने में यह काम पूरा हो जायेगा।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है इसमें मुख्य समस्या यह है कि पानी का ढाल हरियाणा की तरफ है इसलिए पानी इस तरफ आ जाता है। एन.जी.टी. के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने एस.टी.पी. लगा दिये हैं

और जो सी.ई.टी.पी. की क्षमता थी वह भी 6 एम.एल.डी. से बढ़ा कर 9 एम.एल.डी. कर दी गई है। अब जो पानी आयेगा वह ट्रीटिड आयेगा और चाहे उसको इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाये या खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल किया जाये, वह पानी वहीं पर ही इस्तेमाल होगा।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता था। अगर आप लिखित में देने के लिए कहेंगे तो मैं लिखित में दे देता हूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप लिखित में दे दीजिए उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनवा दिया जायेगा।

.....

To Construct Hadda Rodi

***938. Shri Shamsher Singh Gogi**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Hadda Rodi in Assandh; if so, the time by which it is likely to be constructed.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि असंध बहुत बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी है और वहां पर बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और उनको डिस्पोज्ड ऑफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है वे ऐसे ही सड़कों पर पड़े सड़ते रहते हैं। क्या असंध म्युनिसिपल कमेटी को बिल्कुल ही लावारिस छोड़ दिया गया है। वहां पर कोई हड्डा रोडी नहीं है। लावारिस पशु भी हैं और वहां पर गौशाला भी है इसलिए वहां हड्डा रोडी की जरूरत है। इसके अलावा मृत जानवरों के सड़ने से प्रदूषण भी फैलता है। कई बार एक्सीडैंट्स में भी जानवर मर जाते हैं तो उनको कोई नहीं उठाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर हड्डा रोडी की व्यवस्था की जाये या कोई और व्यवस्था की जाये।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य नगरपालिका असंध के साथ बात करके कुछ प्रयास करें तो हम उस पर अवश्य विचार कर लेंगे।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, असंध के साथ लगता गांव जेसनपुर है जहां पर आई.टी.आई. और कॉलेज खुल सकते हैं तो वहां पर हड्डा रोडी के लिए भी

जगह मिल सकती है। मैं भी कोशिश कर लूंगा लेकिन मेरी बात मानेगा कौन इसलिए मंत्री जी अगर आदेश दे देंगे तो यह काम तुरन्त हो जायेगा।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हड्डा रोडी का काम हम सारे प्रदेश में ही बंद करने जा रहे हैं क्योंकि इससे मरे हुए जानवरों को उठा कर जो लोग ले जाते हैं उनमें से वे अपनी जरूरत का हिस्सा निकाल लेते हैं और बाकी जानवर को ऐसे ही फेंक देते हैं। जो हिस्सा बच जाता है उसको कुत्ते तथा दूसरे जानवर खाते रहते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है। सुझाव यह आ रहा है कि हड्डा रोडी न बना कर कोई न कोई जगह निर्धारित करके इनको भी दफनाया जाये। हम पूरे हरियाणा में ही यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। पशुओं को दफनाने से पहले उनको चूना और पाउडर लगा कर दफनाया जायेगा ताकि बीमारियां न फैलें।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हड्डा रोडी की व्यवस्था बंद करने से पहले उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य की जाये ताकि मरे हुए जानवर जो सड़कों पर ऐसे ही पड़े रहते हैं उनसे कोई बीमारी न फैले और प्रदूषण भी न फैले।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमें जगह की दिक्कत है। म्युनिसिपल कमेटी के पास जगह उपलब्ध नहीं है। मरे हुए पशु सड़कों पर ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे और जगह नहीं है तो जगह की भी व्यवस्था करेंगे।

———————

To Construct Cycling Track

***1007. Shri Subhash Sudha:** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the cycling track on vacant land of Revenue Department (near Dronacharya Stadium) in Thanesar togetherwith the time by which the said land is likely to be transferred to the Sports Department; and

(b) the time by which the construction work of said cycling track is likely to be started?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : श्रीमान जी, कुरूक्षेत्र में साईकलिंग वैलोड्रम का निर्माण करने के लिए उपयुक्त भूमि का प्रबंध करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा जैसे ही भूमि उपलब्ध होती है, वैलोड्रम के निर्माण बारे

आगामी कार्यवाही की जायेगी। इसलिए इस बारे फिलहाल कोई समय–सीमा इंगित की जानी संभव नहीं है।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2005 में आदरणीय खेल मंत्री श्री अनिल विज जी ने यह घोषणा की थी कि कुरूक्षेत्र में वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि कुरूक्षेत्र में वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनना चाहिए। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी व श्री अनिल विज जी का धन्यवाद करता हूं। इसके लिए मिर्जापुर में 6 एकड़ जमीन हमने यूनिवर्सिटी को दे दी है जिसका एम.ओ.यू. भी साइन हो गया है और साइन होने के बाद वह फाईल हमारे पास आ गई है। खेल विभाग ने भी उसके साथ एग्रीमैंट कर लिया है जिसकी मेरे पास कॉपी है। मेरे पास खेल विभाग के नक्से सहित सारे कागजात हैं। उसके बाद स्वर्णजयंती के अवसर पर 30 एकड़ जमीन हमने पलवल में ले कर दी थी जिसको स्पोर्टस ग्राउंड के लिए खेल विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया था लेकिन वह खेल ग्राउंड अभी तक नहीं बनाया गया। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र में जो द्रोणाचार्य स्टेडियम है उस स्टेडियम के साथ लगती जमीन के लिए खेल विभाग ने लिखा है कि यहां एक एस्ट्रोटर्फ बनना था लेकिन हम इस जमीन में एस्ट्रोटर्फ की जगह वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनाना चाहते हैं। खेल विभाग का वह एग्रीमैंट भी मेरे पास है जिसमें खेल विभाग ने वहां वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) के लिए लिखकर दिया हुआ है। इस तरह से हमने तीन जगह पर वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनाने के लिए जगह दी हुई है। मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि कुरूक्षेत्र उनका जिला है और आप जिले के मंत्री हैं फिर भी इस वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) के काम को क्यों रोका जा रहा है। कहीं आप इस वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) को पेहवा में ले जाना चाहते हैं। मेरा आप से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) को कुरूक्षेत्र में ही बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी इसको कुरूक्षेत्र में बनाने की बात कही हुई है। मेरे पास तीन जगह की जमीन के पूरे दस्तावेज हैं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी बार–बार यह कहते हैं कि मुझे यह जगह पसंद नहीं है जबकि एम.ओ.यू. भी साइन हो गया है।

सरदार संदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री सुभाष सुधा जी को बताना चाहता हूं कि यह हरियाणा का पहला वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) है इसलिए यह किसी गांव में या किसी और जगह में न बनाकर शहर के अन्दर बनाया जाए

ऐसा विजन हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है और हमारे पुराने खेल मंत्री श्री अनिल विज जी का भी है। हमारी प्रायरिटी है कि इस वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) को यूनिवर्सिटी के अन्दर बनाएं ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी बड़ी प्रतिस्पर्धा करवाएं तो उसको बढ़ावा देने में प्रावधान कर सकें। अतः हमारा मेन व पहला प्वायंट इस वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) को यूनिवर्सिटी के अन्दर बनाने का है। जैसे ही इसके लिए उपयुक्त जगह मिल जाएगी हम उसको बनाने का काम शुरू कर देंगे, ऐसा माननीय विधायक को मैं यह आश्वासन देता हूं।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि द्रोणाचार्य स्टेडियम बिल्कुल सिटी के अन्दर है। उसके पास में डी.सी. व एस.पी. का निवास स्थान है और साथ में कोर्ट भी है। वहां पर चार एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। उसके लिए मैंने खेल विभाग को लिख कर भी दे दिया है। मैं नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ स्पोर्टस पटियाला का एक दस्तावेज भी लाया हूं जहां चार एकड़ में 333 मीटर का वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बना हुआ है। इसी तरह से गुरूनानक देव स्पोर्टस यूनिवर्सिटी अमृतसर में भी वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) चार एकड़ जमीन में ही बना हुआ है और इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में भी वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) चार एकड़ जमीन में बना हुआ है। हम सिटी के बीचों बीच जगह दे रहे हैं। वहां कोर्ट है और साथ में स्टेडियम भी बना हुआ है और उसी के साथ में लगती यह चार एकड़ जमीन पड़ी हुई है। वहां यह वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनाना बहुत अच्छा रहेगा। हमने वह जमीन हुडा विभाग से लेनी है, मैं उसको ट्रांसफर करवाकर दे रहा हूं। मेरे पास खेल विभाग के ऑफिसर का लैटर भी है जिसने यह लिख कर दे दिया है कि यह जगह बिल्कुल उपयुक्त है जितनी जगह हमें वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनाने के लिए चाहिए उतनी जगह यहां अवेलेबल है। हम यहां वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनाने के लिए तैयार हैं। डायरैक्टर खेल विभाग के ऑफिस में उसकी फाईल आ चुकी है।

सरदार संदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि यह ठीक है कि वहां चार एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है लेकिन जब ऑपन में इंडोर वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनाया जाता है तो सूरज की दिशा को देखकर बनाया जाता है ताकि जब साईकलिंग करें तो उसमें कोई दिक्कत न आए। इस वजह से ही जो डी.सी. ऑफिस के पास वाली जमीन की बात माननीय सदस्य

कर रहे हैं वहां पर हम वैलोड्रम नहीं बना सकते और हम यूनिवर्सिटी को प्रायरिटी दे रहे हैं।

श्री सुभाष सुधाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी में ऑपन वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सुधा जी, मंत्री जी वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) बनाना इंश्योर तो कर ही रहे हैं और फिर यूनिवर्सिटी भी तो कुरूक्षेत्र में ही है।

श्री सुभाष सुधाः अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्टेडियम है। वहां सूरज की दिशा बिल्कुल ठीक है। आप वहां चैक करवा लीजिए।

श्री अध्यक्षः सुधा जी, मंत्री जी यूनिवर्सिटी में वैलोड्रम बनाने की बात कह रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है।

श्री सुभाष सुधाः अध्यक्ष महोदय, तीन जगह से सारी फाईलें आई हुई हैं। वे तैयार पड़ी हुई हैं, बस केवल पैसा रिलीज करवाना है।

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा भी मंत्री जी से अनुरोध है कि उस वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) को द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास बनाया जाए क्योंकि वह शहर के बीच में है।

श्री ईश्वर सिहः अध्यक्ष महोदय, वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है। वहां बनाने में एतराज क्या है?

श्री सुभाष सुधाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने भी उस वैलोड्रम (साईकलिंग ट्रैक) को वहीं बनाना चाहा है और श्री अनिल विज जी ने भी वहीं बनाना चाहा है तो फिर मंत्री जी को ही ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां नहीं बन सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, आप मुझे यह बताईये कि आप उसके लिए पैसा कब रिलीज करेंगे। उसके लिए तीन फाईलें आई हुई हैं। आप उनमें से जगह पसंद कर लीजिए।

सरदार संदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चार एकड़ में सिर्फ वैलोड्रम बन सकता है लेकिन इसके साथ ही खिलाड़ियों को सामान रखने के लिए भी तो जगह की जरूरत पड़ेगी अतः माननीय सदस्य यदि शहर के अंदर छह–साढे छह एकड़ जमीन प्रोवाइड करवा देते हैं तो हम वहां वैलोड्रम बना देंगे लेकिन चूंकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन में शामिल है, के दृष्टिगत तथा खेल मंत्री होने के नाते मेरा माननीय सदस्य को सुझाव है कि यदि यह वैलोड्रम यूनिवर्सिटी के अंदर बना दिया

जाये तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उठा सकेंगे क्योंकि यह हरियाणा का पहला वैलोड्रम होगा जिसको कुरूक्षेत्र में बनाने का काम किया जायेगा।

श्री सुभाष सुधाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी की छह एकड़ जमीन में इस कार्य के लिए बाकायदा तौर पर डायरेक्टर ऑफिस में एम.ओ.यू. तक साइन हो गया है, पी.डब्ल्यू.डी (बी.एंड.आर.) में नक्शा व एस्टिमेट्स तक बन चुके हैं और ऐसी हालत में भी मंत्री जी यूनिवर्सिटी में वैलोड्रम बनाने का सुझाव दे रहे है, यह क्या बात हुई? वहां पर बना दें, मना कौन कर रहा है? इस कार्य के लिए एम.ओ.यू. साइन हुए भी एक साल का समय बीत चुका है जबकि मंत्री जी रिप्लाई कुछ दे रहे है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस मामले की फाइल मंगवायें और पैसे रिलीज करने का काम करें।

सरदार संदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जल्द ही वैलोड्रम बनाने का काम कर दिया जायेगा।

————————

To Provide Government Job

***760. Shri Subhash Gangoli:** Will the Home Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the Government Job to one family member of martyr Late Shri Kaptan Singh, SPO who has sacrificed his life during police patrolling in Butana, District Sonepat; if so, the time by which it is likely to be provided?

Home Minister (Shri Anil Vij) : No Sir.

श्री सुभाष गांगोलीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी से दो–तीन बार पर्सनली भी मिल चुका हूँ और हर बार मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, श्री कप्तान सिंह, एस.पी.ओ. जोकि शहीद हुआ है इसने अपराधी को भी खुद ढूंढने का काम किया था। इसने अपनी हथेली पर अपराधी की गाड़ियों के नम्बर लिखे हुए थे। इन्वैस्टिगेशन के दौरान यह बात भी सामने आई कि इसको 40000 रुपये की ऑफर दी गई थी लेकिन इसने इस ऑफर को ठुकराकर अपनी ड्यूटी को निभाने का काम किया था। शहीद एस.पी.ओ. के घर में बूढ़े मां–बाप हैं, इनकी विधवा है, एक बहन है और एक बेटा है। घर की आजीविका कमाने वाला तो शहीद हो गया अब बताओ इस परिवार का गुजारा कैसे होगा? इनका तो वंश ही खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय, गांव में

एक बात बड़ी आम है कि जब भी कोई रिश्ता किया जाता है तो पूछा जाता है कि तेरे पास कितनी जमीन है और चूंकि शहीद एस.पी.ओ. आधा एकड़ का किसान था और इसका एक बेटा है जोकि बारहवीं पास है, यदि इसके बेटे को पक्की सरकारी नौकरी दे दी जायेगी तो इसका रिश्ता भी हो जायेगा, परिवार का पालन पोषण भी अच्छी तरह से हो जायेगा और इनका वंश भी खत्म होने से बच जायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि शहीद एस.पी.ओ. कोई सेना का जवान नहीं था यह औद्योगिक सुरक्षा बल का एक जवान था और उसने सभी प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई थी, यदि इसके बेटे को पक्की सरकारी नौकरी दे दी जाती है तो यह शहीद एस.पी.ओ. श्री कप्तान सिंह के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि एक रात दो असामाजिक तत्व कार में कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे। वहां पर श्री कप्तान सिंह, एस.पी.ओ. और एक पुलिस का कर्मचारी तैनात था। उन्होंने जब उनको थाने में चलने के लिए कहा तो अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। जहां तक पुलिस कर्मचारी का मामला है उसको विभागीय पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपये दे दिए गए है और शहीद एस.पी.ओ. के 10 लाख रुपये बनते थे लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करके शहीद एस.पी.ओ. के आश्रित परिवार को भी 30 लाख रुपये दिलवाने का काम किया। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों ने इनकी हैल्प के लिए 715400 रुपये भी इक्ट्ठे किए थे, वे भी दोनों परिवारों के आश्रितों को आधे–आधे दिलवाने का काम किया गया है। जितने पैसे पुलिस कर्मचारी के आश्रित परिवार को दिलवाये गए उतने ही पैसे एस.पी.ओ. के आश्रित परिवार को भी दिलवाये गए हैं और जहां तक पक्की नौकरी की बात है तो इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे इस प्रकार का प्रावधान विभागीय पॉलिसी में कवर होता है या नही, इसको नज़रअंदाज करते हुए विशेष परिस्थितियों को मद्देनज़र जिस प्रकार की नौकरी शहीद एस.पी.ओ. की थी, उसी प्रकार की नौकरी शहीद एस.पी.ओ. के बेटे को देने की कोशिश करेंगे।

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पानीपत में भी माडल टाउन में आठ मरला पुली पर ऐसा ही एक वाक्या हुआ था। वहां पर बदमाशों ने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसकी वजह वहां पर तैनात एक एस.पी.ओ. भी मारा गया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा गृह मंत्री श्री अनिल विज जी सदन में

बैठे हुए है, मेरा निवेदन है कि इस केस के संदर्भ में विभाग की तरफ से फाइल डी.जी.पी. आफिस में आई हुई है, उस पर भी सरकार जरूर सहानुभूतिपर्वूक विचार करे।

श्री सुभाष गांगोलीः अध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः अनुरोध है कि उस एस.पी.ओ. के लड़के को पक्की सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनका गुजारा ठीक से चल सके और उसकी शादी में कोई अड़चन न आये ।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया है कि उस एस.पी.ओ. की जिस तरह की नौकरी थी हम उसके बच्चे को भी उसी तरह की नौकरी दे देंगे । हम इस केस को एक स्पेशल केस मानकर उस एस.पी.ओ. के लड़के को सरकारी नौकरी दे देंगे लेकिन मेरा कहना है कि इसको प्रैसीडैंट न माना जाए ।

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, पानीपत में भी बदमाशों ने शहर के बीच में एक एस.पी.ओ. को मार दिया था । उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे । अतः मैं भी माननीय मंत्री जी से इसी तरह का आश्वासन चाहता हूं ।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे इस समस्या के बारे में लिखकर दे दें । मैं केस को मंगवाकर स्टडी कर लूंगा ।

———————————

To Allot 100-100 Sq. Yards Plots

***872. Shri Ishwar Singh:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot 100-100 Sq. yards plots for scheduled caste peoples in Rural area in State; if so, the time by which the said plots are likely to be allotted togetherwith the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): No, Sir.

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय देहात से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे देहात के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं और वे भूमिहीन लोगों की समस्या को भी अच्छी तरह से समझते हैं । वर्ष 2008 में एस.सी. कैटेगरी के व्यक्तियों को 100–100 गज के प्लॉट्स आबंटित करने का निर्णय किया गया था। आज इसको 13 साल से ज्यादा समय हो चुका है। उस समय भी केवल 54 परसैंट व्यक्तियों को ही प्लॉट्स अलॉट हुए थे और 46 परसैंट लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल पाए थे । जिन लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल पाए उनके विषय में कहा गया था कि

ग्राम पंचायतों के पास जमीन नहीं है । जिन लोगों को उस समय प्लॉट्स अलॉट किये गये थे उनमें से भी 10 परसैंट आदमियों के प्लॉट्स दबंगों ने वापिस ले लिये थे। गांव में भूमिहीन और कमजोर लोग भी रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे 'ना' में जवाब क्यों दिया ? इस स्कीम को लागू क्यों नहीं किया जाता ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात रखी है कि वर्ष 2008 में 100–100 गज के प्लॉटों का आबंटन शुरू हुआ था । जिन गांवों में पंचायत के पास लैण्ड अवेलेबल थी उन गांवों में तो एस.सी. कैटेगरी के लोगों को 100–100 गज के प्लॉट आबंटित कर दिए गए थे लेकिन जिन गांवों में लैण्ड अवेलेबल नहीं थी उन गांवों में उन प्लॉटों की अलॉटमैंट नहीं हो पाई । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आज के दिन नये केसिज टेक अप नहीं किये जा रहे हैं इसलिए मेरा जवाब 'ना' में है । जहां तक बात नये अलॉटमैंट की या नये केसिज को टेक अप करने की है तो मैं बताना चाहूंगा कि एक अप्रैल से सैंसस शुरू होगा। जब हमारे पास उसका नया डाटा आ जाएगा तो उसके बाद माननीय सदस्य की बात पर विचार किया जा सकता है । इसके साथ ही हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश का एरियल सर्वे करवाने का निर्णय लिया है । अब उस सर्वे को पूरा किया जा रहा है और हरियाणा को लाल डोरा मुक्त बनाया जा रहा है । एरियल सर्वे का डाटा आने के बाद अगर किसी गांव में पंचायत भूमि निकलती है या कहीं पर सरप्लस जमीन निकलती है तो हम लैण्ड की अवेलेबिलिटी होने पर माननीय सदस्य की बात पर विचार कर लेंगे ।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट दूसरा है। माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो जवाब दिया है मेरा सवाल उससे अलग है । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड और एच.एस.वी.पी. जमीन एक्वायर करके अपनी कोलोनीज और सैक्ट्र्ज बनाते हैं क्या माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय उसी प्रकार से गांवों के लिए कोई प्रावधान करेंगे ? शहर में तो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती है और वहां पर लोग प्लॉट खरीद लेते हैं । देहात में अगर कोई कमजोर व्यक्ति प्लॉट खरीदना भी चाहे तो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी न होने के कारण खरीद नहीं पाता । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे जमीन का कोई रिजर्व प्राइस तय करके गांव में कॉलोनीज बनाएंगे ? गांव में पंचायत की जमीन यदि गांव से दूर

भी है और वहां पर कॉलोनी बना दी जाए तो वहां पर गांव के लोग नॉमीनल रेट पर प्लॉट ले तो सकेंगे । मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोई ऐसा प्रावधान बनाएंगे ?

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है । जैसे–जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ी वैसे–वैसे दो एजेंसीज एच.एस.आई.आई.डी.सी. और एच.एस.वी.पी. ने समय–समय पर प्लॉटिंग की और प्लैंड तरीके से डिवैल्पमैंट भी की । वर्ष 2006 में एच.आर.डी.ए. (हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट) बनाया गया था । उसकी वर्ष 2006 से वर्ष 2019 तक कुल 2 या 3 बैठकें हुई थी । हमने पिछले एक वित्त वर्ष में इसकी 9 बैठकें की हैं और प्रदेश में एच.आर.डी.ए. की पहली प्लैंड रूरल कॉलोनी बनाने के लिए इसराणा गांव ने हमें 47 एकड़ जमीन दी है । टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने इसका नक्शा भी अप्रूव कर दिया है । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसराणा में अगले एक माह में पहला रूरल अलॉटमैंट एण्ड ऑक्शन करेंगे । इसमें हम गरीब आदमियों को 100 गज, 280 गज, 350 गज और 500 गज के रैजीडैंशियल प्लॉट्स देंगे । उसमें कम्युनिटी सैंटर, स्पॉर्ट्स कॉम्पलैक्स, इंडीपैंडैंट पावर फीडर, प्रॉपर पानी की सप्लाई की व्यवस्था और प्रॉपर रोड्स पशुओं को रखने के लिए जोहड़ आदि की व्यवस्था भी होगी । रूरल हरियाणा में इस तरह की प्लैंड तरीके की कॉलोनी पहली बार बनाई जाएगी और इसमें गरीब आदमी के लिए माननीय सदस्य की मांग के अनुसार स्पैशली लोअर प्राइस पर प्लॉट की अलॉटमैंट करने का प्रावधान किया जाएगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई है । 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मेरे क्षेत्र में कोई भी घर नहीं बना है । पिछले वर्ष 2019–20 के लिए तो कोराना महामारी का नाम लेकर कहा जा सकता है कि इसकी वजह से घर नहीं बना पाए । मैं कम से कम अपने विधान सभा क्षेत्र तोशाम के विषय में तो कह सकती हूं कि वहां पर 20 के करीब गांव हैं । 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मेरे क्षेत्र के किसी भी गांव में कोई भी घर नहीं बना है । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार की इस साल ये घर बनाने की योजना है ?

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका सवाल इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत हमारे पास प्रपोजल आये थे । मुझे इसकी एग्जैक्ट फिगर्ज याद नहीं है और मैं इससे संबंधित डाटा माननीय सदस्या को दे दूंगा । इनमें से लगभग 1300 केसिज की तीसरी किस्त पैंडिंग हैं । हरियाणा ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है और अर्बन एवं रूरल सभी हाउसिंग स्कीम्ज कंसोलिडेटिड तरीके से हाउसिंग डिपार्टमैंट को शिफ्ट कर दी गई हैं। आने वाले समय में हाउसिंग डिपार्टमैंट प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को प्लैंड तरीके से लैण्ड की अवेलेबिलिटी और पैसे सैंक्शन करने पर काम करेगा ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं भी सप्लीमैंट्री पूछना चाहती हूं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, इस प्रश्न पर ऑलरेडी कई सप्लीमैंट्रीज पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैं आपको और सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत नहीं दे सकता । अतः आप अपनी सीट पर बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है ।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, किसी भी प्रश्न पर 2 से ज्यादा सप्लीमैंट्रीज नहीं पूछी जा सकती । इसके बावजूद मैंने इस प्रश्न पर 3 सप्लीमैंट्रीज पूछने की इजाजत दी है । अतः अब आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जो भी कह रही हैं उसे रिकॉर्ड न किया जाए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप दूसरे माननीय सदस्यों के राइट पर हमेशा इन्फ्रिन्ज करती हो । दूसरे माननीय सदस्यों के भी तो राइट हैं । आप उनके राइट पर हमेशा इन्फ्रिन्ज करती हो । इससे अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्न सदन में टेक अप नहीं हो पाते । अतः अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

To Repair Roads

***923. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the following roads are likely to be repaired by the Government:-

(i) from S. K. road to village Tigra, Tigri via village Dusani;

(ii) from Radaur Jathlana road to village Kandroli via village Potli;

(iii) from Radaur-Jathlana road to village Gumthala, village Rajheri via village Fatehgarh;

(iv) from Radaur-Mustafabad road to Kheri Lakha singh village Bhagumajra;

(v) from village Jorian-Harnaul to village Gollanpur;

(vi) from Saharanpur-Kurukshetra road to village Chapper;

(vii) from village Mandebri to village Mehrampur via Phunshgarh; and

(viii) from Railway station Mustafabad to Chhapper Road?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : Sir, no time frame can be given at this juncture. The special repair work of roads at Sr. No. (i) and Sr. No. (viii) stands administratively approved and the roads at Sr. No. (ii) to (vii) are in satisfactory condition.

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जवाब दिया है कि सीरियल नं. 1 और 8 पर दर्शायी गई सड़कों के विशेष मरम्मत के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है and the roads at Sr. No. (ii) to (vii) are in satisfactory condition. मैं कहना चाहूंगा कि पता नहीं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को जवाब देने वाले अधिकारियों को इन सड़कों की सही स्थिति का पता है या नहीं । अधिकारी माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को जवाब लिखकर दे देते हैं और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय उसको सदन में पढ़ देते हैं । मेरा कहना है कि इन सड़कों को दोबारा से चैक करवाना चाहिए । अगर सीरियल नं. 2 और सीरियल नं. 7 की सड़कें चलने लायक हों तो मैं झूठा पाया जाऊँगा और अगर ये सड़कें चलने लायक न हुई तो जवाब देने वाला झूठा है । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं । अगर ये सड़कें चलने लायक होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जुत्ती होगी और मेरा सिर होगा । यह कहना गलत है कि ये सड़के सैटिसफैक्ट्री कंडीशन में हैं ।

श्री अध्यक्षः माननीय उप–मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि सीरियल नं. 2 और सीरियल नं. 7 की सड़कें चलने लायक नहीं हैं और आपने सदन में जवाब दिया है कि ये सड़कें सैटिस्फैक्ट्री कंडीशन में हैं । अतः जिस अधिकारी ने यह रिप्लाई तैयार किया है उनसे आप इन सड़कों को दोबारा चैक करवा लें ।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसमें क्रम संख्या 1 तथा 8 पर दर्शायी गयी सड़कों के विशेष मरम्मतके कार्य की जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी गयी है। एक नम्बर पर तिगरा, तिगरी वाया दुसानी की रोड है और इसका इस साल तक पूरा काम कम्पलीट हो जाएगा। जो रेलवे स्टेशन मुस्तफाबाद से छप्पर रोड है। इसका दिनांक 30.6.2021 तक काम कम्पलीट हो जाएगा। इसका टैंडर और वर्क अलॉट हो चुका है। जो 2 नम्बर सड़क रादौर से पोटली तक है। यह वर्ष 2016 में बनी थी। इसके अन्दर माईनिंग सैक्टर इन्वाल्वड है जिसके कारण वहां पर हैवी ट्रैफिक चलता है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसके लिए मैं रि–सर्वे करवा लेता हूं। आज के दिन (चूंकि यह 5 साल पुरानी रोड है) इसकी डी.एल.पी. खत्म हो चुकी है तो हम इसकी स्ट्रैंथनिंग भी करवाएंगे। वहां पर हैवी ट्रैफिक चलता है जिसके कारण इस सड़क की बारी–बारी कारपेटिंग हो चुकी है। जहां तक बात 3 नम्बर सड़क की है, वह वर्ष 2018 में बनी थी। वहां पर दो सड़कें राजौंद–मुस्तफाबाद रोड टू खेड़ी लखा सिंग वाया भागुमाजरा तक है। यह सड़क वर्ष 2013 में बनी थी। इसके लिए मैं अधिकारियों को डायरेक्ट करता हूं कि इसकी रिपोर्ट बनाएं क्योंकि यह 8 साल पुरानी सड़क है। इसको दोबारा से बनवाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य के एरिया की आधी सड़कें रूरल सड़कें हैं। उनको हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फेज–3 में बनवा देंगे। जोकि 600 किलोमीटर पैंडिंग हैं और ये हमें सैंट्रल गवर्नमैंट से लेने हैं। इसमें भी इन सड़कों को डलवा रखा है। जैसे ही सैंट्रल गवर्नमैंट से एप्रूवल आ जाएगी तो इन तमाम सड़कों को एक्सपैंड भी किया जाएगा और स्ट्रैन्थन भी किया जाएगा। जिससे वहां पर मोटरिंग फैसिलिटिज को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

श्री बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि ये सड़के कब बनी थी। चाहे ये सड़कें परसों ही बनी हों। मेरा सवाल इन सड़कों की कंडीशन को लेकर है। हमारे वहां पर माईनिंग का एरिया है और वहां से कंक्रीट लेकर बड़े–बड़े हैवी ट्रक और ट्राले निकलते हैं और सारी सड़कों को तोड़ देते हैं। इसलिए मेरा आपके

माध्यम से अनुरोध है कि वे सड़के कब बनी थी, इस बात को न देखा जाए। मेरा कहना यह है कि उन सड़कों की कंडीशन खराब है, उनको ठीक करवाया जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर आज एक कमेटी कांस्टीच्यूट कर देंगे जो इनकी कांस्टीच्युंसी की तमाम सड़कों की डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर मुझे भी फर्निश करेगी और उसकी एक कॉपी माननीय सदस्य को भी देगी।

श्री अध्यक्ष: इसमें मेरा सुझाव है कि जो माईनिंग का एरिया है वहां की सड़कों की स्पेसिफिकेशन आम सड़कों की तरह है, परन्तु वहां से हैवी लोडिंग ट्रैफिक निकलता है। अगर उनकी स्पेसिफिकेशन ठीक कर देंगे तो वे जल्दी नहीं टूटेंगीं। इसमें मेरा यह सुझाव है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर माईनिंग डिपार्टमैंट अपनी ओर से ई–रवन्ना वेईंग स्केल और अलग– अलग प्रयास कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ओवरलोडिंग बन्द हो जाएगी तो यह व्यवस्था सुधर जाएगी।

श्री अध्यक्ष: इसको रोकने का काम भी सरकार का ही है।

———————

To Expand the Road

***748. Dr. Krishan Lal Middha:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to expand the road from Jind to Kaithal via Naguran/Kithana; and

(b) if so, the time by which it is likely to be expanded?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) & b) No Sir. Hence no time frame can be given.

डॉ0 कृष्ण लाल मिढ्डा: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान रखी हुई मेरी डिमांड को बजट में शामिल किया है। जिसमें जीन्द से कैथल रोड को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह तथ्य सही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जीन्द के अमरहेड़ी गांव और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास ज्यादा रोड टूटा हुआ है। शाहपुर गांव के पास आज से 15 दिन पहले एक एक्सीडैंट भी इसी रोड की वजह से हुआ था और वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गयी थी। इसी

प्रकार छोटे–मोटे एक्सीडैंट्स तो होते ही रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जब तक यह फोरलेन बनाने का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इस सड़क को सुचारू रूप से चलने के लिए ठीक कर दिया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत न आए और ये दुर्घटनाएं दोबारा न हों।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस सड़क की बात रखी है। उसके रिपेयर वर्क्स के एस्टीमेट्स बनने के लिए दे दिए गए हैं। इसके लिए भारत सरकार को लिखित में भी भेज दिया गया था। मैंने स्वंय भी माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिलकर आग्रह किया था कि यह रोड मात्र जीन्द से लेकर कैथल तक ही नहीं है। चूंकि नैशनल हाइवे भिवानी तक भी आ चुका है इसलिए भिवानी टू कैथल नैशनल हाइवेज को भी कनैक्ट करने के लिए एन.एच.ए. आई. टेकअप करे और हम उम्मीद करते हैं कि केन्द्र सरकार हमारे प्रपोजल को अप्रूव करेगी और यह पूरा सैक्टर फोर लेन करने का काम किया जायेगा। इसके कारण जो छोटे–छोटे विलेजिज हैं, आज जिनके अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, उनके लिए भी बाई पास निकाले जायेंगे। जिससे गांव के लोगों की सुरक्षा की जा सकेगी और हमारा रोड नैटवर्क और ज्यादा स्ट्रेंग्थन हो सकेगा।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से यह सवाल है कि आज के दिन हमारे शाहपुर और जींद के अमरेहड़ी गांव के रोड बिल्कुल खस्ताहालत में है। जिसकी वजह से एक्सीडैंट होने के कारण एक दो लोगों की मृत्यु भी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन रोड को 10 दिन के अंदर–अंदर ठीक कर दिया जायेगा ताकि वहां पर कोई अप्रिय घटना न घट सके। जब फोर लेन बनाया जायेगा तब की तब देखी जायेगी लेकिन इस समय इस रोड को जल्दी से जल्दी दुरूस्त करने का काम किया जाये ताकि वहां पर ऐसा हादसा दोबारा न हो क्योंकि इस रोड को फोर लेने बनाने की बात तो काफी लम्बे समय से चल रही है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने सवाल के शुरूआत में कहा था कि इसका ऐस्टिमेट्स मंगवाया गया है जैसे ही इसकी अप्रूवल मिल जायेगी हम इस पर तुरन्त काम शुरू करवा देंगे।

————————

To Construct a Barrage on Yamuna River

***1028. Shri Deepak Mangla:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Palwal is an agriculture dominated area but there is no adequate water for agriculture; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Barrage on Yamuna River to meet out the demand of water for agriculture in Palwal; if so, the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) श्रीमान जी, जिला पलवल में पानी देने के लिए चैनलों का स्वामित्व एवं संचालन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे पलवल का एरिया ग्रामीण है और इसमें हमारे खादर के और भैंसलात के बहुत गांव आते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से गांव जैसे घोड़ी, चांट पहलादपुर और मींसा आदि का एरिया खेती पर निर्भर है। हमें इन गांवों के लिए सिंचाई के पानी की बहुत आवश्यकता होती है। वहां के किसान पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी न मिलने के कारण खेती नहीं कर पाते हैं। हमारी मेवात रैनीवेल योजना के तहत इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में ट्यूबवैल लगे हुए हैं जो पीने के पानी की आपूर्ति करते हैं और इसके कारण पानी का जलस्तर दिन प्रति दिन बहुत नीचे आ गया है। हमारे लिए इस समय सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए अगर यहां पर बैराज बना दिया जाये तो वह कमी पूरी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर यहां पर आने वाले समय में बैराज नहीं बनाया जायेगा तो पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि यहां पर बैराज बनाने का काम किया जाये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां के सभी चैनलों का स्वामित्व उत्तर प्रदेश गवर्नमैंट के पास है। हमारे क्षेत्र के लिए यह भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे यहां पर अंग्रेजों के जमाने के पुल बने हुए हैं और उनमें से कई पुल काफी संकीर्ण है और कुछ पुल टूट भी गये हैं। हम उनकी मरम्मत भी नहीं करवा सकते है क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमैंट से एन.ओ.सी. नहीं मिलती है। इस सदन में

@ Reply given by Agriculture & Farmers's Welfare Minister

माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मेरा उनसे यह आग्रह है कि अगर इसका स्वामित्व हरियाणा प्रदेश को मिल जाये तो जो छोटी–मोटी रिपेयर करवाने का काम हम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्मय से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार से हमें इसकी एन.ओ.सी. आसानी से मिल जाये तो हमारे यहां की यह बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि पलवल जिले में सिंचाई के पानी की समस्या है। इनके क्षेत्र को जो पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास ओखला बैराज का कंट्रोल है। हमारे प्रदेश की नीचे लैवल पर कोई नहर नहीं निकलती है। अगर नीचे कोई नहर, कोई डैम या कोई बांध बनाना है तो हमें इसके लिए इंटर स्टेट से परमिशन लेकर ही इस बारे में सोचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डैम या बांध बनाने बारे संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की थी कि ऐसा करना कोई संभव बात है तो उन्होंने इस बारे में यह बताया कि यमुना की गहराई इतनी ज्यादा नहीं है जिसके कारण पानी को स्टोरेज करने के लिए कोई प्वॉयंट बनाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कि यमुना पर डैम या बैराज बनाकर सिंचाई के पानी की आपूर्ति की जा सके। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

श्री दीपक मंगलाः उपाध्यक्ष जी, मुझे ज्ञात है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात करके एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि अगर इस मामले में इस प्रकार के प्रयास करके इस समस्या के समाधान के लिए और आवश्यक कदम उठाये जायें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी समस्या का समय पर समाधान हो जायेगा।

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमारी सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार के उच्च अधिकारियों को डी.ओ. लैटर भी लिखा गया और यह मांग भी की गई है कि इस हैड पर जो कंट्रोल है उसका काम हरियाणा के सिंचाई विभाग को दिया जाना चाहिए। आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि इस हैड पर उत्तर प्रदेश सरकार की बजाय हरियाणा सरकार का ही कंट्रोल हो।

श्री जगदीश नायरः डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि बरसात के मौसम में हमारे वहां पर यमुना नदी में बहुत सा पानी ऐसे ही बेकार बह जाता है। अगर इस पानी को रोक कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के होडल, सोम, बंचारी, गढ़ी इत्यादि गांवों के जंगलों के रास्ते से नई नहर खोदकर एक्स्ट्रा पानी को उस नहर में डाला जाये तो जो पानी वेस्ट जाता है जिसका कोई भी यूज नहीं होता इस नहर के आस–आस आने वाले गांवों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। अगर यह बांध बना दिया जाये तो मेरे हल्के के बहुत से गांवों में निश्चित रूप से पानी पहुंचाने का काम पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस सुझाव पर भी वे गम्भीरतापूर्वक विचार करने का कष्ट करें।

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने पहले भी बताया है कि ओखला बैराज से नीचे जो यमुना है पानी के बंटवारे को ध्यान में रखते हुए हमें यह अधिकार नहीं है कि हम वहां पर कोई डैम बना दें लेकिन फिर भी हम उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके कोई ऐसा सर्वे करवाने की कोशिश करेंगे कि किसी उचित जगह पर डैम बनाकर फालतू पानी को रोक कर नहर के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के होडल सहित साथ लगते दूसरे क्षेत्रों में लाने का काम किया जाये। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं इसलिए अब तो इस मसले का जल्दी से जल्दी स्थाई और सर्वमान्य हल हो ही जाना चाहिए। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि इस हैड पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रोल है। हमारे प्रदेश के दो–तीन जिलों में जो यमुना का पानी आता है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार का है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को अधिकारियों के स्तर पर ही हल करने का प्रयास न किया जाये बल्कि मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को अपने स्तर पर इस मामले को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। वहां पर बैराज का निर्माण बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यह कार्य तभी सम्भव हो पायेगा जब इन सभी का कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार से हमारे पास आ जाये। आज के समय हमें सिंचाई के पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है

लेकिन इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। हमारे इलाके में पानी की पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा कमी होती जा रही है। मैं यह मानता हूं कि इस समय जो हमें पानी मिल रहा है वह भी हमारे हिस्से के मुताबिक नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि उनके अपने प्रयासों से ही इस हैड के कंट्रोल को हरियाणा सरकार के अधीन लाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की शुरूआत की जाये ताकि वहां पर बैराज का भी निर्माण हो और हमें भी अपने हिस्से का पूरे का पूरा पानी मिल सके। अगर यह हो जाता है तो हम अपने किसानों को उनकी फसल के लिए पानी उपलब्ध करवा सकेंगे।

.....

To Complete the Work of Sewerage Line

***1077. Shri Narender Gupta:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state--

(a) the name of contractor to whom work of laying sewerage line from Kheri Pul, Faridabad to Mirjapur STP has been allotted by the Government togetherwith the time by which the abovesaid work is likely to be completed;

(b) the details of all other works allotted to the abovesaid contractor by Urban Local Bodies Department in State; and

(c) whether the abovesaid contractor has taken stay from the Court against the Government in any case; if so, the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी,

(क) खेड़ी पुल से मिर्जापुर एस.टी.पी. तक सीवर लाइन डालने का कार्य मै० गिरधारी लाल अग्रवाल कॉनट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेडको आबंटित किया गया है एवं वन विभाग उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) मिलने के बाद व फंड की उपलब्धता होने पर यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूर्ण हो जाएगा।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा करनाल में 74.43 करोड़ रुपये की लागत से 50 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के निर्माण का कार्य मै० गिरधारी लाल अग्रवाल कॉनट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेडको अलाट कियागया है। यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ग) कार्यालय रिकार्ड के अनुसार, उक्त ठेकेदार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के खिलाफ न्यायालय से स्टे नहीं लिया गया है।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खेड़ीपुर से मिर्जापुर तक एस.टी.पी. की पाइप लाइन डालने के काम में कंसल्टिंग फर्म वैबकोस है। जहां पर यह पाइप लाइन डलनी है वहां पर पिछले 2 साल में पूरे फरीदाबाद में ठेकेदार ने पाइप परचेज करके लगाए हुए हैं जिसके कारण वहां से निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। यह वैबकोर्स कंसल्टिंग फर्म है यह सरकार पर सफेद हाथी बन कर बैठी हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस फर्म ने क्या कार्यवाही की है, आखिरी बार इसका उत्तर प्रदेश सरकार के साथ क्या पत्राचार हुआ था तथा सरकार के साथ क्या बातचीत हुई है। मैंने यह मामला ग्रीवैंसिज कमेटी की मीटिंग में भी उठाया था तो वहां पर मुझे जवाब मिला कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सड़कों के बीच से टैंचलैस लाइन जायेगी या खोद कर डाली जायेगी इसके लिए हुडा की तरफ से एन.ओ.सी. वांछित है। मैंने इस केस को हुडा में परस्यू करके यहां से फाइल ओ.के. करवा दी थी। उस समय उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एन.ओ.सी. पैंडिंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करवाया जाये। यहां पर माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके इसकी एन.ओ.सी. जल्दी से जल्दी जारी करवाई जाये। यह एस.टी.पी. लाइन 60 साल पुरानी है जिसके कारण सीवरेज का पानी एस.टी.पी. तक नहीं जा पाता है और लोगों को परेशानी होती है। यह फरीदाबाद के लोगों के लिए लाईफ लाइन है। मेरे पूरा विधान सभा क्षेत्र में यह लाइन जायेगी इसलिए इसको यथाशीघ्र पूरा करवाया जाये।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, यह काम 12.09.2018 को अलॉट हो गया था तथा एक साल में यह काम पूरा करना था लेकिन एन.ओ.सी. न मिलने की वजह से और कुछ कोरोना की वजह से इस काम में देरी हुई है। अब मैं अपने विभाग के अधिकारियों को आदेश दे दूंगा कि इस काम को तुरन्त पूरा करवाया जाये।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा ही एक मामला अमरूत स्कीम का बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, फरीदाबाद का है । 41 करोड़ रुपये ज्यादा में वह टैंडर छूट चुका है। इस बारे में मेरा ऐफिडेविट नहीं है बल्कि मुख्य सचिव श्री डी.एस. ढेसी साहब का ऐफिडेविट है। यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। इस मामले में

प्रयत्न भी हो रहे हैं लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन देंगे? कोर्ट में हमारे इस मामले की पैरवी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। मेरा अनुरोध है कि अगली तारीख जब भी लगे तो ए.जी. साहब स्वयं कोर्ट में उपस्थित हों क्योंकि यह भारत सरकार का 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का मामला है। यह सड़क बल्लभगढ़ विधान सभा की वर्लपूल चौंक से आइसर चौंक तक है लेकिन मेरी विधान सभा की वहां से एंट्री होती है। वहां पर 3–3 फुट के गड्डे हो रखे हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, यह एक सैपरेट क्वैश्चन है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, यह भी वैबकोस कम्पनी का ही है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं केवल म्यूनिसिपैलिटी में बनने वाली अमरूत की सड़कों को देखता हूं। एच.एस.आई.आई.डी.सी. के तहत अमरूत स्कीम में बनने वाली सड़कें मेरे विभाग के अधीन नहीं आती हैं। माननीय सदस्य जो बात कहना चाहते हैं वह मुझे लिख कर भिजवा दें मैं इनको जवाब भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आप मंत्री जी को लिख कर भेज देना, मंत्री जी आपको जवाब दे देंगे।

.....

To set-up Food Processing Centre

***1035. Shri Amit Sihag:** Will the Horticulture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up food processing centre alongwith the waxing and grading plant in village Abubshahar in District Sirsa; if so, the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : नहीं श्रीमान् जी।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने खेती संबंधित तीन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने की मंशा जाहिर की है। जिसमें पहली यह है कि वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देना है। दूसरी मंशा यह है कि किसानों को अपना रॉ प्रोड्यूस न बेचना पड़े उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उसको प्रोसैस्ड करके उसको बेहतर आमदनी मिल सके। तीसरी मंशा यह है कि हर जिले में किसी न किसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। खास करके जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना। अध्यक्ष महोदय, अगर इन तीनों व्यवस्थाओं को जोड़ कर देखा जाए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में बागवानी

का बहुत बड़ा क्षेत्र है। खास कर अगर हौर्टिकल्चर को बतौर इंडस्ट्री बढ़ावा दिया जाये तो मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा रोजगार का साधन मेरे क्षेत्र में बन सकता है। मेरा क्षेत्र दो राज्यों पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है। इन दोनों राज्यों के जो जिले मेरे क्षेत्र के साथ लगते हैं उनमें भी बहुत बड़ा क्षेत्र बागवानी पर निर्भर है। वहां पर बहुत बड़ा कैचमैंट एरिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से एक हाईवे गुजरात की तरफ जा रहा है और दूसरा अभी जो ईस्ट–वेस्ट एक्सप्रैस–वे भी अनाउंस किया गया है उसका भी मैं मानता हूं कि आने वाले समय में लौजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा। गन्नौर में जो हौर्टिकल्चर हब है वह हमारे क्षेत्र के किसान भाईयों को बहुत दूर पड़ता है इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में अबूब शहर में एक वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट की शुरूआत की गई थी जो आज की तारीख में बन्द पड़ा हुआ है, उसको रिवाइव कर दिया जाए। उसके साथ–साथ सरकार द्वारा अगर प्रोसैसिंग यूनिट, लौजिस्टिकल सपोर्ट और हौर्टिकल्चर मंडी की तरह वहां पर एक छोटी मंडी निर्धारित की जाती है तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से आज की तारीख में रानियां के अन्दर कीनू, अमरूद और टमाटर की खेती को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। उस तरीके से आप वहां एक बहुत बड़ा एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री के रूप में स्थापित कर सकते हैं जिसमें बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और आमदनी भी मिलेगी। मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां अबूब शहर में बंद पड़े वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट को रिवाइव करते हुए शीघ्रातिशीघ्र एक प्रोसैसिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया जाये। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी प्रकार की विचारधारा रखते हैं और एक दिन जब मैं उनका भाषण सुन रहा था तो मैंने पाया कि वह अपने भाषण में रॉ प्रोड्यूज की बजाय वैल्यू एड करने पर बहुत जोर दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उसी भावना के ओत–प्रोत मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एरिया को भी एग्रीकल्चर हब/हौर्टिकल्चर हब के रूप में डिवैल्प करने का काम किया जाये। जैसाकि सब जानते हैं कि मांगीयना नर्सरी प्रोजैक्ट को इंडो–इजराइल के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित किया गया है, में सैंपलिंग की बड़ी ही सहज प्रक्रिया एडॉप्ट की जाती है, की तर्ज पर यदि वैक्सिंग एंड ग्रेडिंग प्लांट को रिवाइव करते हुए प्रोसैसिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया जायेगा तो यह पूरे जिले के लिए एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री स्थापित करने की

दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा और इससे हमारे क्षेत्र के किसानों को आने वाले समय में बहुत ज्यादा सुविधायें प्राप्त होंगी। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो बताया है उनकी बात से मैं सहमत हूं। सिरसा जिला डबवाली और कुछ राजस्थान का इलाका बागवानी का एक हब बन चुका है। इसमें हमारे हौर्टिकल्चर विभाग का भी बहुत भारी योगदान है। इजराईल के तालमेल से मांगीयाना में एक बहुत बड़ा एक्सीलैंस सैंटर है। वहां किसानों के मेले भी लगते हैं जिसमें उन किसानों को पौध देने, खेती के तरीके, बीमारियों की रोकथाम के उपाय आदि हर तरह की चीजों के बारे में बताया जाता है। हमारे 500 के आस–पास एफ.पी.ओज. बन चुकी हैं। सिरसा जिले में भी काफी एफ.पी.ओ. बनी हैं जिसमें हम 70 से लेकर 90 प्रतिशत तक किसान समूहों को सब्सिडी देते हैं। उसमें सोर्टिंग, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, छोटे माईनर आदि उन सभी की सुविधाएं हैं। माननीय सदस्य की मांग है कि वहां पर कोई फूड प्रोसैसिंग का बड़ा प्लांट लग जाए जोकि इनकी यह जायज मांग है। आज के दिन भारत सरकार की जो पॉलिसी है वह कृषि विभाग की पॉलिसी नहीं है। उससे अलग विभाग की पॉलिसी है जो फूड पार्क बनाती है। उनकी इंटरप्रिन्योर में आकर कोई फूड प्रोसैसिंग या जूस का कोई प्लांट लगाए तो उसमें हरियाणा सरकार का जो सहयोग होगा वह हम देने के लिए तैयार हैं। हैफेड के लगाए हुए वैक्सिंग के प्लांट को भी हम दोबारा रिवाइव/जांच करेंगे कि वह किस वजह से बन्द पड़ा हुआ है। हमारी इच्छा यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी का किसान की आमदनी बढ़ाने और फूलों–फलों और सब्जियों की खेती करने तथा किसानों को ट्रेनिंग देने, किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है उस दिशा में जो भी सदस्य कोई सुझाव देता है। हम उस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा है मैं उस बात से सहमत हूं। केवल और केवल वहां पर आप एक हौर्टिकल्चर मंडी स्थापित कर दीजिए। जिस तरीके से आपने गन्नौर में एक बहुत बड़ी मंडी स्थापित की है। इत्फाक से वह एन.सी.आर. के पास है। मैं मानता हूं कि हमारा क्षेत्र दो राज्यों के पास पड़ता है। उसको अब आप रोड का एक नया इंफ्रास्ट्रैक्चर स्पोटिंग सिस्टम दे रहे हैं। उससे मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र के किसानों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। अगर सरकार स्पोट करे जैसा कि

मंत्री जी ने कहा है कि हम हौर्टिकल्चर और अल्टरनेटिव फार्मिंग की मंडी को बढ़ावा देंगे तो इसमें सरकार को कुछ इंवेस्टमैंट करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।

.....

To Upgrade the Sports Stadium

***1013. Shri Harvinder Kalyan:** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the sports stadium in Gharaunda to a sub-division level stadium with adequate required infrastructure; if so, the details thereof?

Minister of State for Sports & Youth Affairs (Sardar Sandeep Singh): Sir, there is no such proposal to upgrade the sports stadium in Gharaunda. However, a proposal to construct a Sub-Divisional Level Stadium at Village Bastara is under consideration of the government.

श्री हरविन्द्र कल्याणः अध्यक्ष महोदय जैसाकि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि घरौंडा शहर में और इसके साथ लगते नगरपालिका के एरिया में कोई सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, के मद्देनज़र बस्ताड़ा गांव के स्टेडियम को सब–डिवीजन लैवल के स्टेडियम के तौर पर अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। मैं माननीय खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह स्टेडियम जी.टी.रोड के उपर है और करनाल और पानीपत के बिल्कुल बीच में पड़ता है इसलिए हमारे यहां के पूरे इलाके की डिमांड है कि यहां पर कोई न कोई इंडोर स्टेडियम या मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स हाल जरूर बनाया जाये। मैं पंचायत से बात करके जमीन उपलब्ध कराने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं केवल अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की ही बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो भी स्टेडियम्ज विभाग द्वारा बनाये गए थे वे केवल 15 गांवों के एरिया तक ही सीमित होते थे। हमारे यहां पर तीन स्टेडियम्ज हैं जबकि मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। इन स्टेडियम्ज में किसी भी खेल की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। यह ठीक है कि हमने पिछले प्लॉन में एच.आर.डी.एफ. के फंड से स्टेडियम बनाने का काम करवाया मगर परेशानी की बात यह है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट द्वारा जिस प्रकार की सुविधायें यहां पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी वह आज तक नहीं करवाई गई हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि न केवल घरौंडा विधान सभा क्षेत्र बल्कि पूरे स्टेट का एक इस तरीके से सर्वे करवाया जाये कि जहां कही भी स्पोर्ट्स

फैसिलिटिज की जरूरत है, उनको तुरंत प्रभाव से पूरी करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह भी डिमांड है कि मेरे यहां यमुना बैल्ट और मेरठ रोड के पार का जो मेरा इलाका है, जिसमें लगभग 60 गांव आते हैं, वहां पर भी स्पोर्ट्स स्टेडियम्ज बनाकर, स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य सुविधाओं को देने का काम किया जाये।

सरदार संदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, घरौंडा का स्टेडियम एजूकेशन डिपार्टमैंट की जगह में बना हुआ है। घरौंडा से सात राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलकर आये हैं और यहां पर सरकार ने पांच खेलों के लिए बाकायदा तौर पर कोचिज लगाने का काम किया है। यहां से महज चार किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले बस्ताड़ा गांव के स्टेडियम को जैसाकि सब–डिवीजन लैवल के स्टेडियम के तौर पर अपग्रेड करने के लिए चुना गया है, के परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो यहां पर मल्टी गेम्ज होगी लेकिन बावजूद इसके हमने यहां पर चार फेमस गेम्ज आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें मुख्य है वूसू (इंडोर गेम), कबड्डी और रेसलिंग, इन पर ज्यादा फोकस करते हुए अन्य प्रावधानों को बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है, यह सरकार के संज्ञान में है और हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे है। जहां तक माननीय सदस्य ने सर्वे कराने की बात कही है तो निश्चित तौर से घरौंडा हल्के में हम सर्वे करवायेंगे और वहां पर जिन फैसिलिटीज की जरूरत होगी, उनको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाने का काम किया जायेगा और जो गेम्ज वहां पर उपलब्ध हैं, उनके अलावा अन्य गेम्ज को भी बढ़ावा देने का काम करेंगे।

श्री हरविन्द्र कल्याणः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय खेल मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वे मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स हाल के विषय में जरूर विचार करे।

सरदार संदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को निश्चिंत रहना चाहिए।

———————

To Provide Accommodation Facilities

***1040. Shri Vinod Bhayana:** Will the Home Minister be pleased to State-

(a) whether is it a fact that there is no facility for accommodation of Police officers/officials in district Hansi.

(b) If so, the time by which the arrangements of accommodation for Police officers/officials are likely to be made?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री विनोद भ्याना: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे इलाके की जरूरत को समझते हुए हांसी को पुलिस जिला बनाया और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस जिला बनाने के बावजूद भी आज तक यहां पर किसी अधिकारी के रहने के लिए कोई भवन नहीं बनाया गया है। शाम के चार बजे के बाद यहां पर कोई अधिकारी चाहे वह एस.पी. हैं या फिर चाहे वह डी.एस.पी. लैवल के अधिकारी हैं, यह सब हिसार चले जाते हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हांसी में इनके रहने के लिए भवन बनाये जायें ताकि जिले का काम सुचारू रूप से चल सके।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 10.4.2017 को हांसी, पुलिस जिले के रूप में अस्तित्व में आया था और सारे हरियाणा में यह अकेला ऐसा जिला है कि जिसको पुलिस जिला बनाने का काम किया गया है। जैसाकि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्य के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग की 55 एकड़ 6 कनाल भूमि चिन्हित कर ली गई है। मैं इस संदर्भ में अधिकारियों की एक कमेटी बनाउंगा जोकि पुलिस लाइन और अधिकारियों के ऑफिस और मकान बनाये के कार्य को एक्सिपिडाइट करने का काम करेगी।

.....

11.00 बजे

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

————————

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Install PET Transformer

***962. Shri Sita Ram Yadav:** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install PET Transformer in all AP feeders of Ateli Assembly Constituency togetherwith the time by which the said transformers are likely to be installed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान् जी, सभी ए.पी. फीडरों पर चल रही ढाणियों में पी.ए.टी. ट्रांसफार्मरों को स्थापित करने की नीति मौजूद है। अटेली निर्वाचन क्षेत्र में 71 में से 36 ए.पी. फीडरों पर पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा

चुके हैं और शेष ए.पी. फीडरों को आगामी पांच महीनों में शामिल कर लिया जायेगा।

———————

To Provide 75% Jobs to Residents of Haryana

***1055. Shri Balraj Kundu:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that a scheme has been formulated by the Government to provide 75% Jobs to the residents of State in Private Sectors; and

(b) if so, the number of the new companies established in the State after implementation of said scheme togetherwith the number of unemployed youths of the State who have been given employment under the provision of providing 75% reservation in jobs so far.

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) हाँ, महोदय, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 दिनांक 02.03.2021 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(ख) हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 के तहत नियम तैयार करने के बाद इसे लागू किया जायेगा, इसलिए इस कानून के प्रभाव का आंकलन करना समयपूर्व है।

———————

Details of Offices Running in Private Builidings

***1093. Shri Bishamber Singh:** Will the Medical Education Minister be pleased to state the details of the offices of Haryana Medical Education Department running in private buildings in State togetherwith the names of owners of said buildings alongwith details of the rent and the location thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान निदेशालय, एस0सी0ओ0 नं0–7, सैक्टर–16, पंचकूला से कार्य कर रहा है। यह शोरूम फर्म मैसर्ज जयश्री बालाजी एन्टरप्राईजेज़ के नाम से पंजीकृत है और श्री हरीश कुमार साहनी फर्म के मालिक/साझेदार हैं। भवन का किराया 2,15,000/– रु0 प्रति माह है।

———————

To Replace Obsolete Water Supply and Sewerage Systems

***905. Dr. Kamal Gupt:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace obsolete water supply and sewerage systems in Hisar city; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान् जी, सदन के पटल पर एक वक्तव्य रखा गया है।

वक्तव्य

श्रीमान् जी, जल वितरण प्रणाली के विषय में विवरण निम्नलिखित है–

1) पेयजल आपूर्ति के लिए, अटल जीर्णोद्धार और परिवर्तन मिशन (अमरूत) के अंर्तगत, 3291.00 लाख रुपये की लागत वाली एक परियोजना कार्यरत है। इस परियोजना के अंर्तगत, विभिन्न आकार की 136.93 किलोमीटर लम्बी डी.आई पाइप लाइन बिछाई जा रही है।

- अन्य प्रावधान जिनमें, 8268 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं।
- आदर्श नगर व महेश नगर के बूस्टिंग स्टेशनों पर साफ पानी के टैंक का निर्माण, इनकी पम्पिंग मशीनरी व डीजल जनरेटर सेट, आदर्श नगर में बूस्टिंग स्टेशन, सातरोड खुर्द का मुख्य जलघर व महेश नगर के बूस्टिंग स्टेशन कैमरी रोड मेन जलघर का स्वचालन शामिल हैं तथा सातरोड़ जलघर, महावीर कॉलोनी जलघर, कैमरी रोड जलघर और जवाहर नगर बूस्टिंग स्टेशन में पुरानी पम्पिंग मशीनरी को बदलने का कार्य भी सम्मिलित है। यह कार्य 31.03.2021 तक पूरा होने की संभावना हैं।

2) महावीर कॉलोनी हिसार में जलघर मरम्मत/नवीनीकरण के लिए 593.95 लाख रुपये के एक अनुमान को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है इसमे भडॉरण और अवसादन टैंक की मरम्मत, पम्प चैम्बर की मरम्मत और 10 एमएलडी क्षमता के जल संशोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। इसके लिए 30.00 लाख रुपये की राशि अबंटित की गई है। कार्य के लिए निविदा 01.03.2021 को खोल दी गई है और कार्य आवंटित किया जा रहा है।

3) महावीर कॉलोनी हिसार शहर के जलघर के अर्न्तगत विभिन्न कालोनियो में वितरण प्रणाली के उन्नयन के लिए 511.13 लाख रूपये के एक अन्य अनुमान को भी प्रशासनिक मंजूरी दी गई हैं। इसमें मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत करने और 30.69 किलोमीटर अतिरिक्त पानी की पाइप लाइन बिछाना शामिल है, कार्य आवंटित कर दिया गया है, और कार्य प्रगति पर है तथा इसके अक्तूबर, 2021 तक पूरा होने की संभावना हैं। इस कार्य के लिए 30.00 लाख रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।

4) न्यू ऋषि नगर के बूस्टर से राइजिंग मेन बिछाने, शेष वितरण पाइप लाइन और पुराने जी–आई पाइप को बदलने के लिए 145.00 लाख रुपये का एक अन्य अनुमान को भी

प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, इस कार्य के लिए 20.00 लाख रुपये आवंटित किए जा चुके है, कार्य प्रगति पर है और 31.03.2021 तक पूरा हो जाएगा।

5) एम सी कॉलोनी के आस पास के क्षेत्रो के लिए बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण हेतू एक अन्य अनुमान जिसकी लागत 41.50 लाख रुपये है को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इस कार्य के लिए 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई हैं। कार्य 31.07.2021 तक पूरा होने की संभावना हैं।

सीवरेज प्रणाली के विषय में विवरण निम्नानुसार हैः–

1) सीवरेज प्रणाली के लिए, अटल जीर्णोद्धार और परिवर्तन मिशन (अमरूत) के अंर्तगत, 7121.00 लाख़ रुपये की लागत वाली परियोजना कार्यरत है।

- इस परियोजना के अंर्तगत, एक 8 एम एल डी का मल शोधन सयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सीवर के लिए विभिन्न आकार की 55.18 किलोमीटर लम्बी सीवर लाइन बिछाई जा रही है।
- अन्य प्रावधान जिनमें 4048 सीवर कनेक्शन, क्षतिग्रस्त/अप्रचलित विभिन्न आकार की 11.68 किलोमीटर लम्बी सीवर पाइप लाइन बदलना सम्मिलित हैं। इसमे पुलिस लाइन में मल निपटान केन्द्र के नवीनीकरण और पुरानी मशीनरी के बदलाव और कपडा बाजार तक डी आई पाइप लाइन बिछाना सम्मिलित हैं।
- यह कार्य 31.03.2021 तक पूरा होने की सम्भावना हैं।

2) ऋषि नगर मे मल शोधन संयंत्र और मौजूद मल शोधन संयंत्र के तृतीयक उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए स्टेट प्लान के तहत 5447 लाख रुपये के एक अन्य अनुमान को प्रसाशनिक मजूंरी दी गई है। ऋषि नगर हिसार में मौजूद मुख्य पंम्पिंग स्टेशन, सल्लेज कैरियर आदि के नवीकरण के साथ 40 एमएलडी मल शोधन संयंत्र का कार्य पूरा हो गया है और हाल ही में राजगढ़ रोड़, हिसार मे 5 एमएलडी मल शोधन संयंत्र के लिए निविदा खोली गई है। इस अनुमान के तहत कार्य प्रगति पर है और इसके 31.12.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

———————————

To Open a Ayurvedic Medical College

***851. Shri Laxman Singh Yadav:** Will the Ayush Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Ayurvedic Medical College in village Bhakli ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) नही, श्रीमान् जी।

(ख) भाग–क मे दिए गए जवाब के कारण इसका प्रश्न ही नही उठता।

To Construct Storage for Increasing Water Supply

***978. Shri Jogi Ram Sihag:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct storage for increasing the supply of drinking water in Barwala City togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी। बरवाला शहर में जल आपूर्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए दूसरे जलघर के निर्माण का एक प्रस्ताव है। सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 12/01/2021–2 पी0 एच0 दिनांक 10.02.2021 से, दूसरे जलघर के निर्माण के लिए पचांयत समिति बरवाला से 17 एकड़ 5 कनाल 6 मरला भूमि 75 लाख रुपये प्रति एकड़ (भूमि की कुल कीमत रुपये 1331.31 लाख) की दर से, कलैक्टर दर पर खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और जमीन अधिग्रहण का मामला प्रक्रियाधीन है।

Functioning of Water Works

***857 Smt. Kiran Choudhry:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the water works of villages Kharya Bas, Madana, Simli Bas & Mansarwas are not functioning due to leakage for the last 6 months; and

(b) if so, the time by which the abovesaid water works are likely to be made functional?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न में वर्णित जलघर कार्यात्मक है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Making of Ration Cards after Ban

252. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Government has stopped making new ration card i.e. Khaki form in state; and

(b) if so, the district wise details of the ration cards made by the Government after imposing above said ban togetherwith the action taken by the Government in the matter?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) नहीं श्रीमान्। सभी पात्र आवेदकों को अन्य प्राथमिक परिवार (ओ.पी.एच.–खाकी) राशन कार्ड बनाने के लिए विचारा जा रहा है।

(ख) चूंकि कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता।

To Start Renovation Work of Ponds

346. Shri Neeraj Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the ponds of Dabua, Bajri, Ghazipur, Gouchhi, Jharsentli and Nangla in Faridabad NIT Assembly Constituency have been included under the Aadarsh Talab Yojna by the Government ; and

(b) if so, the time by which the renovation work of the said ponds is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं श्रीमान् जी, हालांकि गांव गोच्छी के 2 तालाबों को मॉडल तालाबों के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 की कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) इन 2 तालाबों के जीर्णोद्धार/कायाकल्प के अनुमान नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा तैयार किये जा रहे हैं और उनके कार्य प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्ति एवं धनराशि आवंटित होने के बाद 2 महीने के भीतर शुरू हो जाएंगे।

.....

Policy of Giving Job to Sports Persons

253. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state-

(a) the policy of Government for giving Jobs to sports persons in State as per their performance in National & International Games;

(b) whether the abovesaid policy was changed by the Government after year 2015; if so, the details thereof ? and

(c) the details of Jobs given by Government to sports persons in different departments in State togetherwith ranks, grade of job i.e. class I,II,III from 2015 till framing of new policy?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) :

(क) श्रीमान जी, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2021 को मंत्रीपरिषद के अनुमोदन उपरांत हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 को निरस्त करते हुए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (श्रेणी क, ख तथा ग) सेवा नियम, 2021 बनाए हैं। ये नियम संख्या सा0का0नि04/संवि0/अनु0 309/2021 दिनांक 26.02.2021 के तहत अधिसूचित हो चुके हैं। इस अधिसूचना की एक प्रति विधानसभा पटल पर रखी जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत खेलों को बढावा देने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक ओ.एस.पी. काडर का गठन किया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए ओ.एस.पी. काडर में पदों का सृजन निम्न प्रकार से किया गया है:–

क.सं.	पदनाम एवं श्रेणी	पदों की संख्या
1.	उपनिदेशक (ओ.एस.पी) श्रेणी–क	50
2.	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ.एस.पी) श्रेणी–ख	100
3.	प्रशिक्षक (ओ.एस.पी) श्रेणी–ख	150
4.	कनिष्ट प्रशिक्षक (ओ.एस.पी) श्रेणी–ग	250

इन नए रूलों के अन्तर्गत उत्कृष्ट खिलाडियों को श्रेणी क, ख तथा ग के पदों पर उनकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा में नियुक्तियां दी जाएगी। वे राज्य के किसी भी जिले में स्थापित सैंटर आफ एक्सीलैंस/अकेडमीज/खेल काम्पलैक्स में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे।

ख) अधिसूचना दिनांक 20.08.2013 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा आउट आफ टर्न नियुक्ति देने के लिए नीति बनाई। यह नीति पत्र दिनांक 15.07.2014 के तहत संषोधित की गई। अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 के तहत उत्कृष्ट खिलाडियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर नौकरी प्रदान करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा नीति दिनांक 15. 07.2014 को निरस्त करते हुए हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 बनाए। इस अधिसूचना की एक प्रति विधानसभा पटल पर रखी जाती है। ग) खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा अभी तक 71 खिलाडियों को निम्नलिखित रैंक तथा ग्रेड अनुसार नौकरियां दी गई हैं:–

i) वर्ग–I में हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत 19 खिलाडियों को (03 खिलाडियों को वर्ष 2020 में तथा 16 खिलाडियों को वर्ष 2021 में) उपनिदेषक, वेतनमान लेवल–11, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई।

ii) वर्ग– II में हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत 28 खिलाडियों को प्रशिक्षक, वेतनमान लेवल–06, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई।

iii) वर्ग– III में हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत 21 खिलाडियों को कनिष्ट प्रशिक्षक, वेतनमान लेवल–06, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई हैं तथा 03 खिलाडियों को नीति दिनांक 15.07.2014 के अन्तर्गत लिपिक, वेतनमान लेवल–02, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई।

केवल एक नियुक्ति हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत लिपिक वेतनमान लेवल–02, सैल–1 के पद पर उपायुक्त कार्यालय नारनौल द्वारा दी गई है।

1

अधिसूचना

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29–2021/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (7 फाल्गुन, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक 26 फरवरी, 2021 –हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा नियम, 2021 का प्रकाशन बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	155–188
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

2

भाग–III

हरियाणा सरकार

खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2021

संख्या सा०का०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2021.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

भाग-I- सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये नियम, इन नियमों के अधीन नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "संवर्ग" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन सृजित उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग (ओएसपी संवर्ग);

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा;

(घ) "असाधारण प्रदर्शन" से अभिप्राय है, किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रदर्शन, जिसने निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीता है,-

(i) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित ओलंपिक खेल; या

(ii) एशियाई खेल परिषद द्वारा आयोजित एशियाई खेल; या

(iii) संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, जिसमें केवल ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले आयोजन शामिल हैं।

(ङ) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(छ) "संस्था" से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों में प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ज) "राष्ट्रीय खेल संघ" से अभिप्राय है, युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त किसी संघ के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई पंजीकृत राष्ट्रीय स्तर खेल निकाय ;

(झ) "व्यक्ति" से अभिप्राय है, कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी, जिसने इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व या बाद में अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथा वर्णित खेल प्रतियोगिता में पदक जीता है या भाग लिया है;

(ञ) "अनन्तिम नियुक्ति" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमित अवधि के भीतर उस पद के लिए विहित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करने के अध्यधीन सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्ति, जिसमें असफल रहने पर समाप्त समझी जाएगी ;

(ट) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

3

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(ड़) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा;

(ढ) "खेल प्रतियोगिता" से अभिप्राय है, कोई प्रतियोगिता, जिसमें भागीदारी के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है ; तथा

(ण) "राज्य" से अभिप्राय हैं, हरियाणा राज्य।

भाग- II - सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में दर्शाए गए पद शामिल होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए नियमित पद बनाने के लिए सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता तथा अधिवास।

4. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो:

(क) भारत का नागरिक;

(ख) हरियाणा का निवासी हो, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र रखता हो;

(ग) (i) उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य या केंद्रीय सरकार या किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का प्रतिनिधित्व किया हो,

(ii) उसने अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथा उल्लिखित किसी भी खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो :

परन्तु कोई भी व्यक्ति अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथा वर्णित खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने या भाग लेने के दस वर्ष के भीतर ही इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अठारह वर्ष से कम या बयालीस वर्ष से अधिक आयु का हो:

परन्तु, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित व्यक्तियों के मामले में सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा नियत ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुज्ञेय होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति इन नियमों के परिशिष्ट–ग के खाना 3 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग।

7. इन नियमों के परिशिष्ट–ग के खाना 2 में सूचीबद्ध पद, उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग का गठन करेंगे और पद के नाम के बाद कोष्ठक में "ओएसपी" शब्द पदाभिहित किए जाएंगे।

योग्यताएं।

8. (1) पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने के अध्यधीन इन नियमों की अनुसूची–I के उपबन्धों के अनुसार एकल प्रतियोगिता और अनुसूची–II के उपबन्धों के अनुसार टीम प्रतियोगिता के मामले में किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार किया जाएगा :

परन्तु (क) 4 वर्षीय विश्वकप/ चैम्पियनशिप, (ख) विश्व कप/ चैम्पियनशिप (4 वर्ष से कम), (ग) 4 वर्षीय एशियाई चैम्पियनशिप, (घ) विश्व विश्वविद्यालय खेल, (ङ) विशेष ओलंपिक, (च) बधिर ओलम्पिक/4 वर्षीय बधिर विश्वकप/ चैम्पियनशिप/ 4 वर्षीय पैरा विश्वकप/चैम्पियनशिप के मामले में, सर्कल कबड्डी को छोड़कर केवल ओलम्पिक खेलों में शामिल खेल प्रतिस्पर्धाओं पर विचार किया जाएगा।

(2) टीम प्रतियोगिता के मामले में, अनुसूची–II के अनुसार किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उसने उस प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए कम से कम पचास प्रतिशत मैचों में भाग लिया हो।

(3) व्यक्ति को नियमित भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन पात्र है, यदि वह इन नियमों के परिशिष्ट–ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखता है। अपेक्षित योग्यताएं तथा अनुभव नहीं रखने वाले व्यक्ति को अनन्तिम आधार पर नियुक्त किया जाएगा :

4

परन्तु उसे दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के साथ आवश्यक न्यूनतम अवधि के भीतर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर अनन्तिम नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा।

(4) उप–नियम (3) के अनुसार अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने पर, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा परिणाम की घोषणा की तिथि से अनन्तिम नियुक्ति को नियमित नियुक्ति में परिवर्तित किया जाएगा।

(5) असाधारण प्रदर्शन के मामले में, इस प्रयोजन के लिए कार्य प्रभारी मन्त्री की अनुपालना में सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति की सिफारिशों पर शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है। तथापि, मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी तथा संस्कृत के मामलें में कोई छूट अनुज्ञेय नहीं होगी।

9. कोई भी व्यक्ति,– नियुक्ति हेतु अपात्रता।

(i) (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या किसी अन्य से विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

इन नियमों के अधीन सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं; या

(ii) यदि उसने धन संबंधी लाभ जैसे वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेलों के लिए कोई अस्तित्वयुक्त संविदा की हो ;

(iii) यदि वह खेल सम्बन्धी कदाचार जैसे डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देने, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे खेल की शर्त लगाने, आंतरिक जानकारी देने, मैच फिक्सिंग करने, अखंडता तथा सार को टैंकिंग तथा खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी है।

10. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,– भर्ती का ढंग।

(क) उपनिदेशक (ओ0एस0पी0) की दशा में, –

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) में से पदोन्नति द्वारा ;

(ख) वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) की दशा में, वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) में से पदोन्नति द्वारा ;

(ग) प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) की दशा में,–

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ii) 50 प्रतिशत कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) में से पदोन्नति द्वारा ;

(घ) कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) की दशा में, सीधी भर्ती द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा से उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां, वरिश्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल वरिश्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

11. (1) कोई पात्र व्यक्ति, संबंधित खेल के राष्ट्रीय खेल महा संघ के अध्यक्ष या महा सचिव द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के सबूत, जन्म तिथि तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाएं, जो सरकार द्वारा मांगी जाएं, सहित एकल प्रतिस्पर्धा की दशा में प्ररूप–I में तथा टीम प्रतिस्पर्धा की दशा में प्ररूप–II में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति के लिए प्रक्रिया।

(2) निदेशक किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्ति के तीस दिन के भीतर मूल दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन सरकार को अग्रेषित करेगा।

5

(3) सरकार अनुमोदन के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी नियमित या अनन्तिम आधार, जैसी भी स्थिति हो, पर नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सरकार के पास आदेश जारी करते हुए, समय–समय पर, प्ररूप–I या प्ररूप–II को संशोधित करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

परिवीक्षा।

12. (1) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार या अनन्तिम आधार, जैसी भी स्थिति हो, पर उसकी नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा उसकी नियुक्ति की तिथि से आरंभ होगी।

(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी :

परन्तु ,–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी समरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई किसी अवधि की गणना परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी;

(ख) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पूर्व किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इन नियमों के अधीन नियत परिवीक्षा में गणना के लिए अनुज्ञात की जा सकती है।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य का आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो यह–

(क) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को यदि वह सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया है, तो–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(4) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो और वह आवश्यक योग्यता और अनुभव रखता हो, तो उसकी नियमित आधार या अनन्तिम आधार, जैसी भी स्थिति हो, पर उसकी नियुक्ति की तिथि से ऐसे व्यक्ति को पुष्ट कर सकता है ;

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो, तो –

(i) यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, या

(ii) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(iii) उसकी परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वरिष्ठता।

13. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा काल के अनुसार निर्धारित की जाएगी :

परन्तु सेवा में किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि, ऐसे पद पर अनन्तिम नियुक्ति या नियमित आधार पर नियुक्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित योग्यता के क्रम को वरिष्ठता नियत करते हुए भंग नहीं किया जाएगा:

6

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार अवधरित की जाएगी,–

(क) नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य के मामले में वरिष्ठता नियुक्ति, जहां से वे पदोन्नत हुए थे, में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

14. (1) सेवा का सदस्य, चाहे नियमित आधार पर या अनन्तिम आधार पर नियुक्त किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा का दायित्व।

(2) सेवा का सदस्य, सरकार द्वारा स्थापित खेल परिसर या खेल अकादमियों या खेल उत्कृष्टता केन्द्रों में किसी जिले में खेल तथा युवा मामले विभाग, हरियाणा में और गृह (पुलिस), विद्यालय शिक्षा या मौलिक शिक्षा विभाग या राज्य बिजली उपयोगिता या विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सेवा करने के लिए दायी होगा।

(3) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,–

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसक पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो;

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण केन्दीय सरकार के पास न हो अथवा गैर–सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

15. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन बनाए गए हों, अथवा इसके बाद बनाए जाएं। वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

16. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे: अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट–ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

17. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।

18. सेवा में प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। राजनिष्ठा की शपथ।

19. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

7

20. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में, विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

21. (1) हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018, इसके द्वारा निरसित किए जाते है : निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूप उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी :

परन्तु कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी, जिसका आवेदन निरसित नियमों के अधीन लम्बित है, इन नियमों के अधीन नया आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

8

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	50	एफ.पी.एल.–11, सेल–1= 67,700/– रुपए
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	100	एफ.पी.एल.–7, सेल–1= 44,900/– रुपए
3	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	150	एफ.पी.एल.–6, सेल–1= 35,400/– रुपए
4	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	250	एफ.पी.एल.–6, सेल–1= 35,400/– रुपए

9

परिशिष्ट–ख

(देखिए नियम 8)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी संकाय में स्नातक या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ;	पदोन्नति द्वारा– वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	———	पदोन्नति द्वारा– प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
3	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी संकाय में स्नातक या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ;	पदोन्नति द्वारा– कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
4	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से किसी संकाय में स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।	———

10

परिशिष्ट–ग

[देखिए नियम 16(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	सरकार	**I. छोटी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। **II. बड़ी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	सरकार	–
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	सरकार		सरकार	–
3	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	सरकार		सरकार	–
4	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	निदेशक	**I. छोटी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। **II. बड़ी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	निदेशक	सरकार

परिशिष्ट–घ

[देखिए नियम 16(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	–
2.	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)		सरकार	–
3.	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)		सरकार	–
4.	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	सरकार

12

अनुसूची – I

[देखिए नियम 8(1)]

(एकल प्रतिस्पर्धा)

क्रम संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजन करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	प्रतिभागी
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओलम्पिक खेल	आई ओ सी	ग्रुप क	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ख
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ख	–
2.	एशियन खेल	ओ सी ए	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
3.	चार वर्षीय विश्व कप/ चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग
4	विश्व कप/ चैम्पियनशिप (चार वर्ष से कम) (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
5.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	–
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)	सी जी एफ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
6	विश्व विश्वविद्यालय खेल (ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई यू एस एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
7.	4 वर्षीय एशियन चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	ओ सी ए से मान्यताप्राप्त एशियन खेल संघ या आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
8	स्पेशल ओलम्पिक (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	केवल आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
9.	डैफलम्पिक / 4 वर्षीय बधिर विश्व कप/चैम्पियनशिप/ 4 वर्षीय पैरा विश्व कप/ चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई सी एस डी/ आई पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–

13

10	साउथ एशियन गेमस	एस ए जी एफ	ग्रुप ग	–	–	–
11	नेशनल गेमस	आई ओ ए	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–

प्रयुक्त संकेताक्षर :

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति
आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति
ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया
ए पी सी –एशियन पैरालम्पिक समिति
सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ
आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ
आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति
एस ए जी एफ– साउथ एशियन खेल संघ
डब्ल्यू बी सी सी – विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषद
बी सी सी आई– भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
आई ओ ए– भारतीय ओलम्पिक संघ

14

अनुसूची – II

[देखिए नियम 8 (1)]

टीम प्रतिस्पर्धा

क्रम संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजन करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	प्रतिभागी
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओलम्पिक	आई ओ सी	ग्रुप क	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ग
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ख	–
2	एशियन खेल	ओ सी ए	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
3.	चार वर्षीय विश्व कप/ चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग
4	विश्व कप/ चैम्पियनशिप (4 वर्ष से कम) (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
5.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)	सी जी एफ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–	–
6	विश्व विश्वविद्यालय खेल (ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई यू एस एफ	–			–
7.	4 वर्षीय एशियन चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	ओ सी ए से सहबद्ध संबंधित एशियन खेल संघ या आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
8	स्पेशल ओलम्पिक (ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	केवल आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–
9.	डैफलम्पिक/ 4 वर्षीय बधिर/ चैम्पियनशिप/4 वर्षीय पैरा विश्व कप चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई सी एस डी/ आई पी सी	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–

15

10	साउथ एशियन गेमस	एस ए जी एफ	ग्रुप ग	–		–
11	4 वर्षीय नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप	डब्ल्यू बी सी सी	–			–
12	रणजी ट्रॉफी (क्रिकेट)	बी सी सी आई	ग्रुप ग	–	–	–
13	4 वर्षीय विश्व कप/2 वर्षीय एशियन चैम्पियनशिप (सर्कल कबड्डी)	अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ	ग्रुप ग	–	–	–
14	नेशनल गेम्स	आई ओ ए	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	–

प्रयुक्त संकेताक्षर :

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति
आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति
ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया
ए पी सी –एशियन पैरालम्पिक समिति
सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ
आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ
आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति
एस ए जी एफ – साउथ एशियन गेमस संघ
आई ओ ए – भारतीय ओलम्पिक संघ

16

प्ररूप –I

[देखिए नियम 11(1)]

(एकल प्रतिस्पर्धा)

आवेदन संख्या. _____

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

स्वतः सत्यापित फोटो

1. नाम : _____
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण–पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र संलग्न करें): _____
3. मेल पता : _____
4. परिवार पहचान–पत्र आई डी: _____
5. आधार नं० _____ मोबाईल फोन नं० _____
6. क्या आप हरियाणा के अधिवासी / निवासी हैं ? हाँ / नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
7. यदि नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी /निवासी हैं? _____
8. क्या आप हरियाणा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ / नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
9. यदि नहीं, किस केन्द्रीय संघ /ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है ? (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) _____
10. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) _____
11. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशतता (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण–पत्र संलग्न करें): _____
12. खेल विषय का नाम: _____
13. सर्वोत्तम खेल उपलब्धि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :
    - (i) खेल प्रतियोगिता का नाम : _____
    - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरण : _____
    - (iii) मास तथा वर्ष : _____
    - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थान : _____
    - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तर : _____
    - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो) : _____

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैंने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2021 पढ़ लिये हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं।
3. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य /संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
4. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूँ।
5. यदि नियुक्ति दी जाती है, तो मैं वचन देता हूं कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूंगा।
6. मैं हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018, जिसे निरस्त कर दिया गया है, के तहत किए गए अपने पहले के दावे को खारिज करता हूँ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्विक छिपाने की दशा मे मेरी सेवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाएं।

दिनांक:

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

17

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांक : .....

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

..... केवल कार्यालय प्रयोग के लिए.....

निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधि प्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई है तथा सही पाई गई हैं।

नाम ..... आधार संख्या ..... आवेदन पत्र क्रमांक .....
को..... की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूची :

1. अधिवास/ निवास प्रमाण–पत्र
2. जन्म प्रमाण–पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण–पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण–पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांकः

निदेशक,
खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित :–

दिनांकः

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग

18

प्ररूप –II

[देखिए नियम 11(1)]

(टीम प्रतिस्पर्धी)

आवेदन संख्या _____

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

स्वतः सत्यापित फोटो

1. नाम : _____
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र संलग्न करें) : _____
3. मेल पता : _____
4. परिवार पहचान–पत्र आई०डी० : _____
5. आधार नं० _____ मोबाईल फोन नं. _____
6. क्या आप हरियाणा के अधिवासी/निवासी हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
7. यदि नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी/निवासी हैं? _____
8. क्या आप हरियाणा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
9. यदि नहीं, किस केन्द्रीय संघ/ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है ? (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) _____
10. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) _____
11. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशतता (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण–पत्र संलग्न करें): _____
12. खेल विषय का नाम : _____
13. सर्वोत्तम खेल उपलब्धि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :
    - (i) खेल प्रतियोगिता का नाम : _____
    - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरण : _____
    - (iii) मास तथा वर्ष : _____
    - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थान : _____
    - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तर : _____
    - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो) : _____
    - (vii) खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए खेलों की कुल संख्या : _____
    - (viii) खेल प्रतियोगिता में मेरे द्वारा खेले गए खेलों की संख्या : _____

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2021 पढ़ लिए हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं ।
3. मैं उपरोक्त क्रम संख्या 12 पर वर्णित खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए खेलों में से पचास प्रतिशत या अधिक में खेला हूँ।
4. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
5. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैंच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूँ।

79

6. यदि नियुक्ति दी जाती है, तो मैं वचन देता हूं कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूंगा।

7. मैं हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018, जिसे निरस्त कर दिया गया है, के तहत किए गए अपने पहले के दावे को खारिज करता हूँ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्विक छिपाने की दशा में मेरी सेवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाए।

दिनांकः

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांक : .....

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

..... केवल कार्यालय प्रयोग के लिए.....

निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधि प्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई हैं तथा सही पाई गई हैं।

नाम ....., आधार संख्या ..... आवेदन पत्र क्रमांक ..... को..... की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूचीः

1. अधिवास/निवास प्रमाण–पत्र
2. जन्म प्रमाण–पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण–पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण–पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांकः

निदेशक,
खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित :–

दिनांकः

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग

योगेन्द्र चौधरी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग।

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147–2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018 (BHADRA 14, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग,

अधिसूचना

दिनांक, 5 सितम्बर, 2018.

संख्या–4/40/2017–4खे.यु.क.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

1. (1) ये नियम हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये सभी विभागों, सरकार द्वारा सारभूत रूप से वितपोषित या सरकार के नियन्त्रणाधीन बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों, आयोगों, अभिकरणों, विश्वविद्यालयों तथा अधिकरणों को लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विभाग" से अभिप्राय है, खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा ;

(ख) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है हरियाणा राज्य की सरकार ;

(घ) "राष्ट्रीय खेल संघ" से अभिप्राय है, युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संघ के रूप में ज्ञात या किसी अन्य नाम से पंजीकृत राष्ट्रीय स्तर खेल निकाय ;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(च) "राज्य" से अभिप्राय हैं, हरियाणा राज्य।

सुविचारित किये जाने वाले खेल विषय।

3. (1) विश्व चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कामनवैल्थ चैम्पियनशिप तथा विश्व विश्वविद्यालय क्रीडाओं के मामले में नियुक्ति के लिए विचारे जाने वाले खेल विषय उपनियम (2) तथा (3) में यथा उपबन्धित किये जाएंगे।

(2) अनुसूची–I या अनुसूची–II की प्रवर्ग संख्या 2, 5क, 6क या 7क के अधीन नियुक्ति के लिए केवल ओलम्पिक खेलों में शामिल खेल विषय विचारे जाएंगे।

(3) या तो अनुसूची –I या अनुसूची–II की प्रवर्ग संख्या 5ख, 6ख या 7ख के अधीन नियुक्ति के लिए खेल विषय जो ओलम्पिक खेलों में शामिल नहीं हैं, किन्तु एशियन खेलों या कामनवैल्थ खेलों में शामिल हैं, विचारे जाएंगे।

2

भर्ती का ढंग।

4. (1) तत्समय लागू किसी अन्य नियम, पॉलिसी या हिदायत में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उत्कृष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल इवेन्ट के मामले में अनुसूची–I या टीम इवेन्ट के मामले में अनुसूची–II जो भी लागु हो के अनुसार वास्तविक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु प्रतिभाशाली खिलाड़ी को इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए तभी विचारा जाएगा यदि सुसंगत मैडल विजेता प्रदर्शन या भागीदारी, जैसी भी स्थिति हो, इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व अभिलिखित की गई थी ।

(2) चार खिलाड़ियों तक को मिलाकर बनने वाली टीम के किसी सदस्य को अनुसूची–I के अधीन विचारा जाएगा। अनुसूची–II पांच या अधिक खिलाड़ियों से मिलाकर बनने वाली टीम के सदस्य को लागू होगी।

(3) अनुसूची–II के अधीन विचारण के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उस खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेली गई क्रीडाओं के कम से कम पचास प्रतिशत क्रीडाएं खेली हुई होनी चाहिए।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए केवल वरिष्ठ स्तर पर खेल आयोजन (इवेन्ट) को विचारा जाएगा।

आरक्षण।

5. इन नियमों के अधीन नियुक्तियां खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध की जाएंगी। पैरा, नेत्रहीन, बधिर तथा विशेष ओलम्पिक खेलों के लिए नियुक्तियां निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध की जाएंगी।

व्याख्या.– सरकार अपने विवेक पर खिलाड़ियों के लिए विशेष पद सृजित कर सकती है ताकि खेल कोटा के अधीन रिक्तियों की कमी इन नियमों के अधीन नियुक्तियों में बाधा न कर सके।

पात्रता मापदण्ड।

6. (1) प्रतिभाशाली खिलाड़ी भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर या तो राज्य के लिए खेला हो या राज्य का अधिवासी/निवासी हो ।

(3) खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) खिलाड़ी वैध आवेदन की प्राप्ति की तिथि को पद पर नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु से कम तथा पचास वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

अपात्रता

7. (1) खिलाड़ी इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अपात्र होगा यदि उसने धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल के लिए कोई अस्तिवयुक्त संविदा की हो:

परन्तु भारत या राज्य या राष्ट्रीय खेल संघ के लिए खेलना व्यावसायिक खेल नहीं होगा।

(2) खिलाड़ी इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अपात्र होगा यदि वह खेल सम्बन्धी कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देने, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि खेल की शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, अखंडता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी है।

(3) यदि इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उसकी नियुक्ति के पश्चात् किसी समय पर खेल से सम्बन्धित किसी ऐसे कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तुरन्त समाप्त कर दी जाएंगी ।

योग्यताएं ।

8. (1) तकनीकी या व्यावसायिक स्वरूप जैसे कि विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला इत्यादि की योग्यता से अन्यथा नियुक्ति करने वाले विभाग के सेवा नियमों में पद के लिए विहित अनिवार्य योग्यताएं या अनुभव प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पर लागू नहीं होंगी। नियुक्त व्यक्ति के लिए परिवीक्षा अवधि के भीतर ऐसी अनिवार्य योग्यता (योग्यताएं) प्राप्त करना तथा ऐसे विशेष पाठयक्रम (पाठयक्रमों) या प्रशिक्षण (प्रशिक्षणों) को पूरा करना अपेक्षित होगा, जो नौकरी के लिए जिम्मेवारियों के निर्वहन में नियुक्ति करने वाले विभाग द्वारा अनिवार्य समझी जाती हैं।

(2) इस प्रकार नियुक्त प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए सेवा में पुष्टि से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के बराबर सभी विहित परीक्षाएं पास करनी अपेक्षित होंगी।

नियुक्ति के लिए प्रक्रिया।

9. (1) पात्र खिलाड़ी प्रतिभाशाली खेल उपलब्धि, जन्म तिथि, पात्रता इत्यादि के सबूत के साथ व्यक्तिगत इवेन्ट के लिए प्ररूप–I तथा टीम इवेन्ट के मामलों में प्ररूप – II में आवेदन प्रस्तुत करेगा और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन विभाग को भेजेगा।

3

(2) विभाग खिलाड़ी से आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नौकरी के उपयुक्त प्रवर्ग के लिए मुख्य सचिव के कार्यालय को सिफारिश करेगा। मुख्य सचिव आवेदन सम्बन्धित विभाग को भेजेगा जहां खिलाड़ी की नियुक्ति के लिए रिक्ति उपलब्ध है।

(3) प्रारम्भिक नियुक्तियां चाहे हरियाणा सिविल सेवा, हरियाणा पुलिस सेवा या किसी अन्य ग्रुप क, ख, या ग पदों पर "खेल" शब्द कोष्ठक में लिखकर की जाएगी जो अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने पर ही समाप्त की जाएगी जो नियम 8 के उप नियम (1) के अनुसार नियुक्ति करने वाले विभाग द्वारा विहित की जाए।

(4) जब तक उप नियम (3) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति के आदेश से "खेल" शब्द समाप्त नहीं किया जाता है तब तक सभी तैनातियां विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यावसायिक प्रगति वाले अलग खेल काडर में खेलों को प्रोन्नत करने हेतु की जाएंगी।

(5) यदि नियुक्त व्यक्ति विहित पाठयक्रम तथा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ है, तो परिवीक्षा अवधि स्वतः बढ़ाई गई समझी जाएगी।

10. (1) विभाग खेलों को प्रोन्नत करने के लिए ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किसी भी समय पर कर सकता है। विभाग की वैवेकिक शक्ति।

11. (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए किन्ही सेवा नियमों में दी गई किसी बात के असंगत होते हुए भी, इन नियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे। अध्यारोही प्रभाव ।

(2) अधिसूचना संख्या खेल–स्थापना डी ए–1–2014/23501–23555, दिनांक 15 जुलाई, 2014 द्वारा जारी पॉलिसी इसके द्वारा विखंडित की जाती है :

परन्तु खिलाड़ी, जिसका आवेदन इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को उक्त पॉलिसी के अधीन लम्बित है, इन नियमों के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र होगा तथा उसका पूर्व आवेदन विचारा नहीं जाएगा।

4

अनुसूची –I

[देखिए नियम 4 (1)]

एकल इवेन्ट

प्रवर्ग संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजित करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			प्रतिभागी	
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	क्वार्टर फाइनल या उस से ऊपर	क्वार्टर फाइनल से नीचला स्तर
1.	ओलम्पिक	आई ओ सी	एच.सी.एस. या एच.पी.एस. (8 वर्ष की वरिष्ठता सहित)	एच.सी.एस. या एच.पी.एस. (4 वर्ष की वरिष्ठता सहित)	एच.सी.एस. या एच.पी.एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी					
2.	चार वर्षीय विश्व चैम्पियनशिप	आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	एच.सी.एस. या एच.पी.एस. (4 वर्ष की वरिष्ठता सहित)	एच.सी.एस. या एच.पी. एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच. पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग
3.	एशियन खेल	ओ सी ए	एच.सी.एस. या एच.पी.एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी					
4.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)						
5.क	विश्व चैम्पियनशिप– (वार्षिक या द्वैवार्षिक)	आई ओ सी/ आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	आई बी एस ए विश्व खेल	आई बी एस ए					
	डैफलम्पिक	आई सी एस डी					
5. ख	विश्व चैम्पियनशिप (1, 2 या 4 वर्ष में एक बार)	आई ओ सी/ आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य

5

6.क	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य
6ख	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
7.क	एशियन / कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1, 2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी/ आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	स्पेशल ओलम्पिक	एम वाई ए एस द्वारा मान्यता अनुसार					
7.ख	एशियन / कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रयुक्त संकेताक्षरः

ए पी सी –एशियन पैरालम्पिक समिति

सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ

एच. सी. एस. – हरियाणा सिविल सेवा

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति

आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ

एम वाई ए एस – युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया

एच. पी. एस – हरियाणा पुलिस सेवा

आई बी एस ए – अन्तर्राष्ट्रीय नेत्रहीन खेल संघ

आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति

6

अनुसूची–II

(देखिए नियम 4 (1))

टीम इवेन्ट

प्रवर्ग संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजित करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			प्रतिभागी	
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	क्वार्टर फाइनल या उस से ऊपर	क्वार्टर फाइनल से नीचला स्तर
1.	ओलम्पिक	आई ओ सी	एच.सी.एस. या एच.पी.एस.	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच. पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप क	ग्रुप ग	ग्रुप ग
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी					
2.	चार वर्षीय विश्व चैम्पियनशिप	आई ओ सी/आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	एच.सी.एस. या एच. पी. एस.	ग्रुप क (एच.सी. एस. या एच. पी. एस. से भिन्न)	ग्रुप क	ग्रुप ग	ग्रुप ग
3.	एशियन खेल	ओ सी ए	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी					
4.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)						
5. क	विश्व चैम्पियनशिप (वार्षिक या द्वैवार्षिक)	आई ओ सी / आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	आई बी एस ए विश्व खेल	आई बी एस ए					
	डैफलम्पिक	आई सी एस डी					
5. ख	विश्व चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
6.क	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप क (एच.सी.एस. या एच.पी.एस. से भिन्न)	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	शून्य
6.ख	विश्व विश्वविद्यालय खेल	आई यू एस एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य

7

7.क	एशियन /कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी /आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	शून्य	शून्य
	स्पेशल ओलम्पिक	एम वाई ए एस द्वारा मान्यता अनुसार					
7.ख	एशियन /कामनवैल्थ चैम्पियनशिप (1,2 या 4 वर्ष में एक बार)	ओ सी ए या सी जी एफ से संबद्ध सम्बन्धित एशियन खेल संघ या आई ओ सी/आई पी सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	4 वर्षीय नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप	डबल्यू बी सी सी					

प्रयुक्त संकेताक्षर :

ए पी सी –एशियन पैरालम्पिक समिति

सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ

एच. सी. एस. – हरियाणा सिविल सेवा

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति

आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ

एम वाई ए एस – युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया

डबल्यू बी सी सी – विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषद्

एच. पी. एस – हरियाणा पुलिस सेवा

आई बी एस ए – अन्तर्राष्ट्रीय नेत्रहीन खेल संघ

आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति

डॉ. अशोक खेमका,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग।

दिनांक 5 सितम्बर, 2018.

8

आवेदन संख्या

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

प्ररूप –I

(देखिए नियम 9(1))

एकल इवेन्ट

स्वतः सत्यापित फोटो

1. नामः .....
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र संलग्न करें): .....
3. मेल पताः.....
4. आधार नं0: ..... मोबाईल फोन नं0 .....
5. क्या आप हरियाणा के अधिवासी /निवासी हैं ? हाँ /नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. यदि नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी /निवासी हैं ? .....
7. क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ /नहीं
8. यदि हाँ, किस राज्य /ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है ? .....
9. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....
10. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशत (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें): .....
11. खेल विषय का नामः .....
12. सर्वोतम खेल उपलब्धि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):
    - (i) खेल– प्रतियोगिता का नामः .....
    - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरणः .....
    - (iii) मास तथा वर्षः .....
    - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थानः .....
    - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तरः .....
    - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो): .....
    - (vii) क्या क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है? हाँ /नहीं

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैने हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018 पढ़ लिये हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं।
3. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य /संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
4. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूं।
5. यदि नियुक्ति दी जाती है तो मैं वचन देता हूं कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूगां।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्विक छिपाने की दशा मे मेरी सेवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाएं।

दिनांकः

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

9

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांक : .....

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधि प्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई है तथा सही पाई गई हैं।

नाम ..... आधार संख्या ..... आवेदन पत्र क्रमांक ..... को..... की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूची:

1. अधिवास /निवास प्रमाण–पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण–पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांक:

(निदेशक खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक:

(प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग)

आवेदन संख्या .....

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

प्ररूप –II

(देखिए नियम 9(1))

टीम इवेन्ट

स्वतः सत्यापित फोटो

1. नामः .....
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र संलग्न करें): .....
3. मेल पताः .....
4. आधार नं0: ..... मोबाईल फोन नं0 .....
5. क्या आप हरियाणा के अधिवासी/निवासी हैं ? हाँ /नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी /निवासी हैं ? .....
7. क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं? हाँ /नहीं
8. यदि हाँ, किस राज्य ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है? .....
9. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण पत्र संलग्न करें): .....
10. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशत (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें): .....
11. खेल विषय का नामः
12. सर्वोतम खेल उपलब्धि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें): .....
    - (i) खेल– प्रतियोगिता का नामः .....
    - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरणः .....
    - (iii) मास तथा वर्षः .....
    - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थानः .....
    - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तरः .....
    - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो): .....
    - (vii) क्या क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है ? हाँ / नहीं
    - (viii) खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेलें गए खेलों की कुल संख्याः .....
    - (ix) खेल प्रतियोगिता में मेरे द्वारा खेलें गए खेलों की संख्याः .....

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैने हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018 पढ़ लिए हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।
2. मैने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं ।
3. मैं उपरोक्त क्रम संख्या 12 पर वर्णित खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए खेलों में से पचास प्रतिशत या अधिक में खेला हूं।
4. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।

11

5. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैंच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूं।

6. यदि नियुक्ति दी जाती है तो मैं वचन देता हूं कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूंगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्विक छिपाने की दशा मे मेरी सेंवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाए।

दिनांक:

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांक:

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
निदेशक खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधिप्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई है, तथा सही पाई गई हैं।

नाम ....., आधार संख्या ..... आवेदन पत्र क्रमांक ..... को..... की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूची:

1. अधिवास /निवास प्रमाण–पत्र
2. जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण–पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांक:

(निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा)

प्रतिहस्ताक्षरित
दिनांक:

(प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग)

Capacity of the Sugar Mills

254. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Co-operation Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the Sugar Mills in State have crushed sugar cane more their capacity; if so, the details of crushing of cane in each sugar mill for the year 2019-20.

(b) whether the payments to the farmers were made within 72 hours; and

(c) whether any interest was given to farmers for late payment?

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : विवरण सदन के पटल पर रखा है। (क) नहीं, श्रीमान जी;

(ख) भुगतान सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। सहकारी चीनी मिलों द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान 407.75 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद के लिए रुपये 1384.96 करोड़ का भुगतान किया गया। पिराई सत्र 2019–20 में किसी भी सहकारी चीनी मिल के विरूद्व कोई गन्ना भुगतान बकाया नही है।

(ग) नहीं, श्रीमान जी।

———————————

Loans From Various Agencies

255. Shri Jagbir Singh Malik: will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of loans taken by the Government from various agencies since the creation of Haryana State upto 2014 and from 2014 till to date;and

b) the details of agencies from which abovesaid loans have been taken?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद से 2013–14 तक तथा 2014–15 से 2020–21(बी0ई0) तक विभिन्न एजेंसियों से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का विवरणः–

(₹ करोड़)

क0सं0	वर्ष	ऋण राषि
1.	1966-67	2.35
2.	1967-68	20.67
3.	1968-69	45.89
4.	1969-70	37.57
5.	1970-71	63.30
6.	1971-72	146.53
7.	1972-73	143.01
8.	1973-74	118.81
9.	1974-75	103.58
10.	1975-76	156.09
11.	1976-77	125.92

12.	1977-78	224.63
13.	1978-79	111.17
14.	1979-80	210.32
15.	1980-81	296.39
16.	1981-82	405.21
17.	1982-83	525.37
18.	1983-84	625.84
19.	1984-85	676.99
20.	1985-86	849.54
21.	1986-87	542.78
22.	1987-88	349.10
23.	1988-89	444.93
24.	1989-90	390.39
25.	1990-91	591.98
26.	1991-92	433.97
27.	1992-93	418.93
28.	1993-94	668.22
29.	1994-95	636.96
30	1995-96	1072.09
31.	1996-97	943.21
32.	1997-98	1528.17
33.	1998-99	2614.67
34.	1999-00	3815.19
35.	2000-01	4209.53
36.	2001-02	6404.99
37.	2002-03	4460.32
38.	2003-04	6523.75
39.	2004-05	4474.50
40.	2005-06	3348.75
41.	2006-07	2011.89
42.	2007-08	843.49
43.	2008-09	3888.06
44.	2009-10	8455.36

45.	2010-11	10513.21
46.	2011-12	11741.10
47.	2012-13	15560.32
48.	2013-14	17712.95

2014-15 to 2020-21 (BE)		
49.	2014-15	18858.75
50.	2015-16	37998.44
51.	2016-17	28169.52
52.	2017-18	21489.76
53.	2018-19	34264.96
54.	2019-20	44381.66
55.	2020-21(BE)	44438.50

(ख) हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद से 2020–21 तक सरकार द्वारा जिन विभिन्न एजेंसियों से ऋण लिया है, उन एजेंसियों का ब्यौरा :–

क0सं0	एजेंसियों के नाम
1.	भारतीय रिजर्व बैंक
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम
3.	सामान्य बीमा निगम
4.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
5.	भारतीय स्टेट बैंक
6	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड
8.	भारत सरकार

सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए डॉ. अभय सिंह यादव, विधायक एवं श्री वरूण चौधरी, विधायक को श्रेष्ठ विधायक चुना गया है। अब मैं समिति के सदस्यों श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री, श्री दुष्यंत चौटाला माननीय उप–मुख्यमंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री कंवर पाल माननीय संसदीय कार्यमंत्री और श्री रणबीर गंगवा माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ कि वे यहां पर आकर दोनों विधायकों डॉ. अभय सिंह यादव एवं श्री वरूण चौधरी को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित करें।

(इस समय श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति के सदस्यों द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये श्रेष्ठ विधायक डॉ. अभय सिंह यादव और श्री वरूण चौधरी को मोमैंटो, प्रशस्ति–पत्र, शॉल एवं एक–एक लाख रुपये के कैश अवार्ड चैक्स देकर सम्मानित किया गया।)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020–21 का श्रेष्ठ विधायक चुने जाने पर मैं श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020–21 का श्रेष्ठ विधायक चुने जाने पर मैं भी श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्यगण डॉ. अभय सिंह यादव जी और श्री वरण चौधरी जी को वर्ष 2020–21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने पर उनको बहुत–बहुत बधाई देते हैं।

.....

विभिन्न मामले उठाना

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आज सुबह–सुबह हमने अखबार पढ़ा तो उसको पढ़कर बड़ी हैरानी हुई। आज के The Indian Express or The Times of India न्यूज पेपर्ज में लिखा है कि–

"Appointment of shooter to HCS post."

और आगे लिखा है:-

"Haryana CM's flip-flop over appointment of shooter to HCS post."

और आगे लिखा है:-

"CM's change of heart due to personal interest of JJP leader."

अध्यक्ष महोदय, पहले कहते थे कि एल.पी.ए. फाइल नहीं करेंगे और उसके बाद फाइल की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाहर झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव बना हुआ है तो यह बात सदन को पता चलनी चाहिए। धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आज हमें अखबारों और अन्य स्त्रोतों से पता चला है कि सरकार ने 1057 सरकारी स्कूल्ज बंद करने का निर्णय ले लिया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। किसी भी स्कूल का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग 25 वर्ष का समय लगता है। पहले किसान मॉडल स्कूल्ज बंद करने की बात हुई थी। सरकार के पास ऐसे कौन से कारण एकदम आ गये जिसके कारण सरकार को तुरंत 1057 सरकारी स्कूल्ज को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, डाईट में एडमिशन के लिये जनरल कैटेगरी की फीस 6 हजार रुपये थी और रिजर्व कैटेगरी की फीस 5 हजार रुपये थी। प्राइवेट

कॉलेज में जनरल कैटेगरी की फीस 40 हजार रुपये के करीब है। सरकारी स्कूलों में गरीब आदमियों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनमें रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ सरकार ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रही है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है जिसके तहत सरकार को 1057 स्कूल्ज बंद करने पड़ रहे हैं? डाईट में एडमिशन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। सेल्फ फाइनैंस (प्राईवेट कॉलेज) में उनको एडमिशन की आज्ञा दी हुई है और उनकी फीस 40 हजार रुपये के करीब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि जल्दी से जल्दी डाईट में एडमिशन की प्रक्रिया बहाल की जाये। आज 21 जिलों में डाईट में एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ स्टेट इंस्टीच्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, झज्जर में वर्ष 2013 से क्लासिज शुरू हो चुकी थी। इस एजुकेशन संस्थान के पास अपना बजट है लेकिन आज तक इसकी बिल्डिंग नहीं बनी और इस इंस्टीच्यूशन के लिए पोस्ट्स भी अब तक सैंक्शन नहीं हुई हैं। एजुकेशन संस्थान के पद भी सैंग्शंड नहीं हुए हैं। इस मुद्दे पर भी सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार ने 1057 स्कूल्ज बंद किये हैं, इसकी स्टेटमैंट भी सदन के पटल पर रखनी चाहिए। सरकार इन स्कूल्ज के संबंध में कहती है कि इनको मर्ज किया गया है। शिक्षा के अधिकार के कानून के मुताबिक सरकार यदि एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल नहीं देना चाहती तो उन्हें प्राईवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाये और उसका खर्चा स्वयं सरकार उठाये। अध्यक्ष महोदय, 1057 स्कूल्ज का इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा होगा। इस समय हमारे प्रदेश में सरकारी स्कूल्ज की संख्या 14477 हैं और यदि इसमें से 1100 के करीब सरकारी स्कूल्ज बंद हो जायेंगे तो हमारे पास सरकारी स्कूल्ज की संख्या क्या रह जायेगी? हमारे प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चे कहां पर शिक्षा ग्रहण करेंगे? पहले भी सरकार ने यह कहा हुआ है कि 432 साईंस एवं कॉमर्स के स्कूल्ज बंद कर रहे हैं, इसका कारण सरकार ने यह दिया हुआ है कि हमारे पास पी.जी.टी. स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। जब सरकार ने नई भर्ती कर ली है तो इन स्कूल्ज को क्यों बंद कर रही है। किसी भी स्कूल में साईंस और कॉमर्स की क्लॉसिज की व्यवस्था करवाने में काफी समय लगता है। अगर सरकार एक अच्छी शिक्षा देना चाहती है और शिक्षा के अधिकार को लागू करना चाहती है तो काईन्डली हम बार–बार कह रहे हैं कि इसके लिए टीचर्ज की रिक्रूटमैंट कर दें।

जिन जगहों पर स्कूल्ज बन्द किए जाएंगे, उस इन्फ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा ? इसके अतिरिक्त मेरा अनुरोध है कि नलहड़ मैडिकल कालेज में पिछले 6 सालों से लगी हुई 125 नर्सिज को हटाया गया है, उनको दोबारा से लगाया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ ई.एस.आई. की स्टॉफ नर्सिज ने बताया है कि उनकी सैलेरी सिविल नर्सिज की तुलना में बहुत कम है। उनको भी उनके बराबर सैलेरी दी जाए। इसके अतिरिक्त मेडिकल के स्टूडैंट्स परेशान हैं क्योंकि उनकी फीस में हाईक हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन बातों का रिप्लाई दे दें। उन स्कूल्ज में पढ़ाने वाले स्टॉफ का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा और उन बिल्डिंग्ज का क्या होगा ? हमें इन बातों पर राजनीति न करते हुए ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि किसी भी स्कूल पर ताला न लगे तथा कोई भी बच्चा पढ़ाई छोड़कर घर पर न बैठे। हमे इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हर बच्चा स्कूल में आए ताकि स्कूल्ज बन्द करने की स्थिति पैदा न हो।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर एक सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी के सवाल का जवाब दे देता हूं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर एक सप्लीमैंटरी पूछना चाहती हूं। उसके बाद माननीय मंत्री जी इकट्ठा रिप्लाई दे दें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय मंत्री जी पहले स्कूल एजुकेशन के बारे में रिप्लाई दे देंगे।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं पहले माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी के सवाल का रिप्लाई दे देता हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंट्री आरोही मॉडल स्कूल्ज के बारे में है। इन स्कूल्ज के लिए 2250 पोस्ट्स सैंक्शंड थी और आज उन स्कूल्ज में सिर्फ 350 का ही टीचिंग/नॉन टीचिंग स्टॉफ है। इन स्कूल्ज ने 90 प्रतिशत रिजल्ट दिया है, परन्तु आज बच्चे इन स्कूल्ज को छोड़कर जा रहे हैं। इनमें टीचर्ज और लैक्चरर्ज की सर्विस 2018 में कन्फर्म होनी चाहिए थी, परन्तु उनका अभी तक

कुछ नहीं किया गया है, बल्कि विभाग उनकी फाईल को इधर–उधर घुमा रहा है। जो बच्चे इन स्कूल्ज को छोड़कर जा रहे हैं, उनकी क्या हालत है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने किसान मॉडल स्कूल्ज की बात की थी कि वे शुरू ही नहीं हुए। उनकी बिल्डिंग बनी हुई है तो उनको शुरू कौन करेगा ? हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जिस उद्देश्य को लेकर ये स्कूल्ज बनाए गये थे, उसको पूरा किया जाए। इन स्कूल्ज को खोलने के पीछे यही उद्देश्य था कि उनके जरिए गांवों तक शिक्षा को ले जाएं। गांवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल्ज हों और उनमें किसानों के बच्चे पढ़ सकें। सरकार प्रयास करेगी तो वे स्कूल्ज क्यों नहीं चलेंगे ? आरोही स्कूल्ज में टीचर्ज नहीं हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 40,000 टीचर्ज की पोस्ट्स खाली हैं, उनके लिए कब तक भर्ती की जाएगी ? स्कूल्ज बन्द करने से काम नहीं चलेगा। बल्कि टीचर्ज की भर्ती करने से ही काम चलेगा। किसान मॉडल स्कूल्ज और आरोही स्कूल्ज बन्द हो जाएंगे तो उस इन्फ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा ? चूंकि उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने में प्रदेश का पैसा लगा हुआ है, वह बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा को गांवों तक लेकर जाएंगे तभी शिक्षा नीति का लाभ होगा। शहर के बच्चों के पढ़ने के लिए तो सभी व्यवस्था कर देंगे क्योंकि शहर में मॉडल संस्कृति स्कूल्ज आ जाएंगे। गांवों में किसान और गरीब का बच्चा वहीं पर रहकर इंग्लिश मीडियम से पढ़ सके और उनको गांवों से शहर में न आना पड़े। इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वे स्कूल्ज नहीं चले।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर सप्लीमैंट्री पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी रिप्लाई दे रहे है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, अभी किसान मॉडल स्कूल्ज के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी ने बात की है। मैंने इस बारे में कल भी अपने रिप्लाई में बता दिया था कि वर्ष 2011 में सरकार ने यह योजना शुरू की थी। उस समय यह प्रस्ताव था कि एच.आर.डी.एफ. और मार्केटिंग बोर्ड योजना के लिए पैसे देंगे। यह योजना 29 करोड़ रुपये के बजट की थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ 6 करोड़ रुपये का ही बजट आया है। इसमें यह इतना बड़ा डिफरैंस था। दूसरी बात यह है कि पंचायतों

ने जमीन देनी थी जिसमें सिर्फ 6 पंचायतों ने ही उत्साह दिखाते हुए अपनी जमीन देने का प्रस्ताव दिया। वे स्कूल्ज बच्चों के कम एडमिशन होने के कारण चल नहीं सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों को जोड़कर बात की है कि उनमें किसानों के बच्चे ही पढ़ेंगे। क्या कोई ऐसा रूल बनाया गया था कि उनमें केवल किसानों के बच्चे ही एडमिशंज लेंगे। हमने उन स्कूल्ज का दूसरा विकल्प दे दिया है कि संस्कृति मॉडल स्कूल्ज वहीं पर खोल दिए जाएं । इनमें भी वही एजुकेशन दी जा रही है और वे कामयाब भी हुए हैं। जैसे ही हमने इन स्कूल्ज को सी.बी.एस.ई. पैटर्न से जोड़ा तो उन स्कूल्ज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों में उत्साह भी बढ़ा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में जो किसान मॉडल स्कूल्ज खोले गये थे, वे इंग्लिश मीडियम से थे। क्या वर्तमान सरकार ने जो संस्कृति मॉडल स्कूल्ज खोले हैं, वे भी इंग्लिश मीडियम से हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनमें सिर्फ इंग्लिश केवल एक सब्जैक्ट के तौर पर ही पढ़ाई जाएगी ?

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि संस्कृति मॉडल स्कूल्ज भी इंग्लिश मीडियम हैं और किसान मॉडल स्कूल्ज भी इंग्लिश मीडियम ही थे। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने पूछा कि डिस्ट्रिक्ट इन्स्टीच्यूट्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रैनिंग (DIETs) में जो जे.बी.टी. का कोर्स था वह क्यों बंद कर दिया गया? मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के दिन प्रदेश में लगभग साढे तीन लाख लोगों ने जे.बी.टी. का कोर्स पूरा कर लिया है। सरकार के पास वर्ष 2014 के बाद जे.बी.टी. अध्यापकों की भर्ती के लिए कोई डिमांड नहीं आई है। सरकार के पास आज भी जे.बी.टी. अध्यापक सरप्लस हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, प्लीज आप बैठ जायें। माननीय मंत्री जी जे.बी.टी. टीचर्स की बात कर रहे हैं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास मेवात के स्कूलों के लिए 924 टीचर्स की कमी है बाकी पूरे हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में आज के दिन जे.बी.टी. टीचर्स सरप्लस हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ आखिरकार जे.बी.टी. के सरकारी इन्स्टीटयूशंज को बंद करके इनका प्राइवेटाइजेशन करने का काम क्यों किया जा रहा है ? ''डाइट्स'' एक ऐसा माध्यम था, जहां से गरीब बच्चे मैरिट के आधार पर जे.बी.टी. करके रोजगार प्राप्त कर लिया करते थे लेकिन आज ''डाइट्स'' का प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया गया है। नॉन अटैंडिंग बेसिज पर इनमें एडमिशन दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से गरीब बच्चे जे.बी.टी. करने से वंचित रह जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आखिरकर क्यों प्राइवेटाइजेशन करके गरीब बच्चों के हकों को मारने का काम किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, किसी को एडमिशन मिलता है इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा तर्क सिर्फ यही है कि प्राइवेटाइजेशन करके गरीब बच्चों का हक क्यों मारा जा रहा है? हमारे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में ''डाइट्स'' खुले हुए हैं। अगर जे.बी.टी. टीचर सरप्लस हैं तो वे प्राइवेट स्कूलों में जॉब कर सकते हैं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उसमें सरकार को जे.बी.टी. टीचर्ज की जरूरत नहीं रहेगी। अगर सरकार फिर भी इन ''डाइट्स'' में एडमिशन देगी तो बच्चों का भविष्य ठीक नहीं रहेगा इसलिए हमने इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में टीचर्ज की 700 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और हाई स्कूल में 696 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और एलीमैंट्री हैड की 2300 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। जब इतनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं तो फिर बच्चों को कौन पढ़ायेगा? सरकार कह रही है कि टीचर्ज की संख्या पूरी है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन 1057 सरकारी स्कूलों का क्या होगा? राईट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तो स्कूल और खोले जाने चाहिए और सरकार बंद करने जा रही है। (विघ्न)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्या का प्रश्न समझ में आ गया है इसलिए मैं इनके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार ने प्राइवेट इन्स्टीच्यूशंज में एडमिशन अलाउ कर रखे हैं वहां से जे.बी.

टी. टीचर पास आउट होकर निकल रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हम बच्चों को सरकारी इन्स्टीच्यूट्स में ज्यादा अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप अपना प्रश्न लिखित में माननीय मंत्री जी को दे देना। वे बाद में इसका जवाब दे देंगे। अब प्लीज आप बैठ जायें।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपकी बात का जवाब माननीय मंत्री जी ने पहले ही दे दिया है। अगर इसके अलावा आप कोई और सवाल के बारे में जानना चाहती हो तो आप लिखित में दे दीजिए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करती हूं और मुझे मालूम है कि वे कभी भी पक्षपात पूर्ण तरीके से बात नहीं करते हैं और न ही इनका कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होता है। मैंने सदन में स्पोर्ट्स से रिलेटिड मामला उठाया था और सरकार बच्चों का मनोबल गिराने वाली बात कर रही है। अगर हम माननीय हाई कोर्ट से केस हार गये थे और ऐ.जी. हरियाणा ने भी अपना जवाब लिखित में दे दिया कि इसकी अपील करनी चाहिए। इसके अलावा चीफ सैक्रेटरी के ऑफिस से भी वही बात दोहराई गई है तो फिर सरकार ने अपील करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? सरकार किसके दबाव में आकर अपील नहीं करना चाहती? जो हमारे बड़े–बड़े और मेन समाचार–पत्र हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स आदि, इन समाचार–पत्रों में यह खबर छपी हुई है। इसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि आखिरकार सरकार ने इसका डिसीजन क्यों बदला?

श्री कुलदीप वत्स : स्पीकर सर, मेरे हल्के बादली में वर्ष 2016 में संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा हुई थी। उसके लिए बजट भी मंजूर हो चुका था लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी तक भी शुरू नहीं हुआ है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि मेरे हल्के में संस्कृति मॉडल स्कूल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, यहां पर जो विषय श्रीमती किरण चौधरी जी और श्रीमती गीता भुक्कल जी ने उठाये हैं मैं उन दोनों विषयों के बारे में बता देता हूं। जो जे.बी.टी. और डाईट का विषय उठाया गया है उसके बारे में मैं यह

बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जो डिमाण्ड ओरिएंटिड या जॉब ओरिएंटिड ट्रेनिंग होती है चाहे वह टीचर्ज की हो, चाहे वह डॉक्टर्ज की हो या फिर चाहे वह इंजीनियर्स की हो जो भी कोई इस प्रकार की जॉब ओरिएंटिड ट्रेनिंग होती है उसका लम्बे समय का एक प्लॉन होता है कि आखिरकार हमें उसी सब्जैक्ट की ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिसकी डिमाण्ड आज है, साल बाद होने वाली है या फिर दो साल बाद होने वाली है। इस प्रकार से पूरा हिसाब लगाकर प्लॉनिंग करनी पड़ती है। एक समय ऐसा भी था कि इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमाण्ड थी। उसी को देखते हुए उस समय बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजिज खुल गये और साथ ही साथ बहुत से पॉलिटैक्निक कॉलेजिज भी खुल गये। इस प्रकार से सब हो गया लेकिन समय बीतने के साथ इंजीनियर्स की डिमाण्ड डाऊन आ गई तो वही इंजीनियरिंग कॉलेजिज और पॉलिटैक्निक कॉलेजिज बंद हो गये। इसी प्रकार से आज डॉक्टर्ज की जरूरत है। ऐसे ही आज से लगभग 30 साल पहले डॉक्टर्ज की बहुत जरूरत पैदा हो गई थी और उस समय भी बहुत से नये मैडिकल कॉलेजिज खुले थे। बाद में वह डिमाण्ड थोड़ी कम हो गई थी। अब फिर से डॉक्टर्ज की डिमाण्ड बढ़ गई है तो हमें उसी के मुताबिक मैडिकल कॉलेजिज पर ध्यान देना है। इसी प्रकार का मामला टीचर्ज का है। आज हम देखते हैं कि जे.बी.टी. टीचर्ज की डिमाण्ड आज हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में मैं बताता हूं। इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि आज की डेट में हमारे पास जे.बी.टी. टीचर्ज की जितनी पोस्ट्स सैंक्शंड हैं उनकी उतनी रिक्वॉयरमैंट नहीं है। उसका कारण यह है कि जब हमने कुछ समय पहले गैस्ट टीचर्ज की नियुक्ति की थी और बाद में उनकी नौकरी छूट गई थी उसके बाद गैस्ट टीचर्ज का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां पर जाने के बाद आखिर में यही हुआ कि चाहे वे टीचर्ज एडहॉक बेसिज पर थे और चाहे गैस्ट टीचर्ज थे उनको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट किया जाये। यहीं पर हाउस में बैठकर हमने यह डिक्लेयर किया कि ठीक है कि हम गैस्ट टीचर्ज की अप्वायंटमैंट को परमानैंट अप्वायंटमैंट तो नहीं मानते लेकिन इनकी नौकरी को आखिरी समय तक अर्थात् इनकी रिटॉयरमैंट के समय तक नहीं जाने देंगे, उसका कोई प्रावधान हमने कर लिया है। यह प्रावधान हमने एक्ट पास करके ही किया है। ये गैस्ट टीचर्ज भी लगभग 12 या 14 हजार के करीब थे। इन सभी को भी एडजस्ट करने के लिए हमको थोड़ी सी एक एडजस्टमैंट करनी पड़ी थी कि एजुकेशन का 1:30 का एक नॉर्म, जोकि सारे देश

भर में है, अपने यहां पर भी यही था लेकिन गैस्ट टीचर्ज को एडजस्ट करने के लिए हमने इस नॉर्म को 1:25 का किया ताकि पांच बच्चों की संख्या को कम करके उसके बाद टीचर्ज की संख्या को बढ़ा दिया जाये। हमें यह भी नहीं मानना चाहिए कि 1:25 का नॉर्म हमेशा के लिए निर्धारित हो गया है। जैसे ही अवेलेबल टीचर्ज की संख्या कम होगी हमको अगेन 1:25 के नॉर्म पर जाना ही होगा क्योंकि आखिरकार जो सारे देश का नॉर्म है हमें भी उसे ही अडॉप्ट करना है। दूसरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात मैंने बताई वह नई एजुकेशन पॉलिसी वर्ष 2030 तक लागू करनी है। मैं सभी की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि डिपार्टमैंट ने भी और सरकार ने भी बैठकर यह फैसला किया हमने ऊपर केन्द्र सरकार के सम्बंधित मंत्रालय को इंफार्म भी कर दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अच्छाईयों को देखते हुए हमारे यहां पर सारे सिस्टम ठीक हैं हम इसको वर्ष 2030 तक नहीं बल्कि वर्ष 2025 तक लागू करेंगे। ऐसा मैंने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी को भी बता दिया है। इस पर उन्होंने यह कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करके हरियाणा एक ऐसा एग्जाम्पल सैट कर रहा है जिसमें सबसे पहले पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम वर्ष 2025 तक लागू करेंगे इसलिए जे. बी.टी. टीचर्ज की जरूरत हमारी कम हो गई है। यह एक बात हुई। इसके बाद अगर जे.बी.टी. टीचर्ज की ट्रेनिंग ज्यादा होती है तो वही लोग ऐसा मान करके कि हमने जे.बी.टी. का कोर्स कर लिया है उसके बाद वे एच.टैट. (H.T.E.T.) को भी पास कर लेते हैं। जे.बी.टी. के साथ एच.टैट. (H.T.E.T.) को भी पास करने वालों की लाखों की संख्या में लम्बी लाइन लगती है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इतने सारे टैस्ट पास कर लिये, सरकार ने टैस्ट ले लिये और हम पास भी हो गये इसलिए उन्हें सरकार को नौकरी देनी चाहिए। सरकार उन्हें नौकरी क्यों नहीं देती इत्यादि, इत्यादि। आज की तारीख में इस प्रकार के लाखों लोग हैं जिन्होंने जे.बी. टी. के साथ एच.टैट. (H.T.E.T.) को भी पास कर रखा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एच.टैट. (H.T.E.T.) के एग्जाम के टाईम पीरियड को पांच साल से दो साल बढ़ाकर सात साल किया और यह कहा कि ठीक है हम इसको सात साल लागू रखेंगे। अब यह डिमाण्ड आ रही है कि through out life अर्थात् इसको पूरा समय ओपन किया जाये। तर्क यह दिया जा रहा है कि जब हम बाकी शिक्षा की डिग्री through out life के लिए मान्य करते हैं तो एच.टैट. (H.T.E.T.) की मान्यता पांच साल या सात साल तक क्यों रहती है। उनकी यही मांग है कि एक

बार एच.टैट. (H.T.E.T.) पास तो फिर सदा के लिए पास और एच.टैट. (H.T.E.T.) पास व्यक्ति कभी भी नौकरी लगे। मेरा यह कहना है कि एच.टैट. (H.T.E.T.) की मान्यता के लिए पांच साल या सात साल का किसी ने विधान बनाया है तो कुछ न कुछ तो सोच समझकर बनाया ही होगा। यह हमने नहीं बनाया बल्कि यह हमारे से पहले का ही बना हुआ है। अब हमने सात साल किया है वह इसीलिए किया है कि शायद दो साल की रिक्वॉयरमैंट इन्हीं में से पूरी हो जाये। हर साल एच.टैट. (H.T.E.T.) का एग्जाम होना है। इस प्रकार से इस कम्पीटीशन में जो लोग ट्रेंड हो रहे हैं उनके हिसाब से सभी कुछ करना चाहिए वरना ये बी.एड. की तो पूरे देश के बहुत से प्रांतों में दुकानें खुली हुई थी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि जो सैल्फ फाइनेंस के कॉलेज हैं उनमें तो आज भी एडमिशन हो रहे हैं और वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। वे नॉन अटैंडिंग हैं, अगर सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बहन गीता जी को बताना चाहूंगा कि अपने रिस्क पर पैसे खर्च करके अगर कोई एडमिशन लेता है तो हमारी नौकरी की तो कोई गारंटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है तो हम ट्रेनिंग क्यों देंगे? जहां पर जरूरत है हम वहां पर ट्रेनिंग देंगे। स्किलिंग डिपार्टमैंट के माध्यम से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। हम 10–12 हजार लोगों को हर साल स्किल ट्रेनिंग देंगे। जब हमें टीचर्स की जरूरत ही नहीं है तो हम उन सैन्टर्स को आगे क्यों बढ़ाएं? अभी हमारे पास 22 डाईट हैं अगर हमें कल को जरूरत होगी तो हम 50 भी खोलेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि आप डाईट के अधिक सैंटर्स नहीं खोल सकते हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर हम सैन्टर अधिक नहीं खोल सकते हैं तो सीटें बढ़ा देंगे लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे। अगर जरूरत नहीं है तो किसी को अन्धेरे में रखने की हमारी कोई योजना नहीं हैं। किसी युवा को ट्रेनिंग करवा दें और पोस्ट निकलें ना तो उसको अन्धेरे में नहीं छोड़ना चाहिए। जिस चीज की जरूरत है तो करेंगे और जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसी के साथ एक विषय यह भी आया कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकार क्या करेगी तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक एन.ई.पी. (नैशनल ऐजुकेशन

पॉलिसी) की बात है तो हमारा टारगेट होता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। हमारा टारगेट यह नहीं होता कि जो हमारी बिल्डिंग्ज हैं वे बनाओ और स्कूल चलाओ ही चलाओ। उसके बाद टीचर्स भर्ती करके उनको व्यवसाय दो ही दो। रोजगार देना एक विषय है लेकिन टीचर भर्ती करके उनको रोजगार दो यह किसी हद तक उचित नहीं है। हरियाणा में जब तक हमने आधार बेस्ड एडमिशन नहीं किया था तब तक दो–दो जगह पर एडमिशन होते थे। सरकारी स्कूल में भी एडमिशन होते थे और प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन होते थे। जब तीन साल पहले हमने आधार बेस्ड एडमिशन किये तो हमारे दो लाख बच्चों के एडमिशन कम हो गये।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि यह आधार बेस्ड एडमिशन सिस्टम हमारी सरकार के समय में पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर 2–3 जिलों में शुरू हो गया था।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर भले ही इनकी सरकार में शुरू हुआ हो लेकिन एडमिशन में कमी हमारी सरकार में आई है और अब हमने पूरी तरह से आधार बेस्ड एडमिशन सिस्टम शुरू कर दिया है। ये दो लाख बच्चे कहां गये? ऐसा तो नहीं है कि एक दम से पॉपुलेशन गिर गई हो। इसका मुख्य कारण यही था कि डबल–डबल एडमिशन होते थे। पढ़ाने के लिए तो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा लेते थे और सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा लेते थे। इस मामले में सरकारी टीचर भी उनकी मदद करते थे। वे सोचते थे कि एक सरकारी स्कूल में 40–50 बच्चों का एडमिशन दिखा देंगे तो कुछ टीचर्ज की पोस्ट्स बनी रहेंगी। आज आधार बेस्ड एडमिशन होने के कारण बच्चों के नाम कट गये हैं तो स्थिति यह है कि कहीं पर 5 बच्चे हैं, कहीं पर 8 बच्चे हैं और कहीं पर 10 बच्चे रह गये हैं। राईट–टू–एजुकेशन के तहत 1 किलोमीटर के अन्दर स्कूल होना चाहिए। इस बारे में मेरा कहना यही है कि पहली बात तो यह है कि हमने शुरू में वही स्कूल बंद किये हैं जहां 1 किलोमीटर के दायरे में दो स्कूल थे क्योंकि 1 किलोमीटर तक बच्चा जा सकता है। यह बात तो ठीक है कि जहां पर बच्चे कम थे हमने उन स्कूलों को बंद किया है लेकिन राईट–टू–एजुकेशन में यह भी प्रावधान है कि अगर दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है तो उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की जायेगी। हम भी 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे। लेकिन किसी स्कूल में 10–15 बच्चों पर 1–2 टीचर्स रखना हमें बहुत

महंगा पड़ता है। प्रति विद्यार्थी आने वाले खर्च की बात की जाये तो जब हमने वर्ष 2015 में हिसाब लगाया था तो एक विद्यार्थी पर 22 हजार रुपये खर्च आता था। आज एक बच्चे का खर्च 28 हजार रुपये आता है। अगर कोई प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो उसका भी खर्च 28 हजार रुपये पड़ता है। जबकि आज जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनका प्रति विद्यार्थी खर्च 8, 9, 10 या 11 हजार रुपये आ रहा है। उनका खर्चा कम इसलिए आ रहा है कि हमारा एक टीचर कम से कम 35–40 हजार रुपये महीना पड़ता है और जब उसकी लैंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उसकी इन्क्रीमैंट लगती है, उसकी आयु बढ़ती है तथा उसकी प्रोमोशन होती है तो हमारा टीचर 80–90 हजार रुपये महीना में पड़ता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 15–20 हजार रुपये से टीचर की सैलरी शुरू होती है और अंत में 35–40 हजार तक पहुंचती है। इससे ज्यादा सैलरी प्राइवेट में नहीं मिलती है। हालांकि हम इस हक में भी नहीं हैं कि सैलरी ज्यादा कम रखी जाए। अगर उसकी बात की जायेगी तो यह बहस दूसरी दिशा में चली जायेगी। हमें अपने बजट का भी संतुलन बैठाना है। आज हमारे पास 80 हजार से अधिक टीचर्स हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नीति आयोग में हम कहां पर स्टैंड करते हैं? कांग्रेस सरकार में हम कहां पर थे और आज हम कहां पर स्टैंड करते हैं?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं मलिक साहब को कहना चाहूंगा कि ये पैरामीटर्स निकाल लायें अगर कहीं पर अन्तर लगेगा तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। एक सवाल बहन किरण जी का शार्प शूटर श्री विश्वजीत सिंह का भी था। पहली बात तो यह है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी लगता है और किसी कारण से उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद का फैसला विभाग नहीं कर पाता है तो अल्टीमेटली वह व्यक्ति कोर्ट का सहारा लेता है। अगर कोई आदमी कोर्ट का सहारा लेता है तो वह लोवर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी जा सकता है। डिपार्टमैंट के लिए भी रास्ते खुले हैं वह भी लोवर कोर्ट से कहीं भी जा सकते हैं लेकिन कहीं भी यह बाध्यता नहीं है कि हमने कौन से कोर्ट की बात माननी है या कौन से कोर्ट की बात नहीं माननी है। अगर कोई सरकार के फैसले से एग्रीव्ड है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, वह कहीं भी जा सकता है। आखिर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस व्यक्ति को ज्वाइन करवाईये। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गये। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, विरोध नहीं है।

हाई कोर्ट ने फैसला दिया है हमने उसको मान लिया है। अगर कोई एग्रीव्ड है और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जाए। हम तो एग्रीव्ड इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम हाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं और हमने वह फैसला मानकर के उसको लागू किया है। हमें लगता है कि हमारी कोई ग्रीवैंस उसके खिलाफ नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कल को कोई क्या कहता कि इसके साथ कोई बॉयस है और बॉयस है तो आप इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई बॉयसनैस नहीं है। एक हाई कोर्ट का फैसला है जिसको हमने मान लिया है। अगर किसी को उसके अगेंस्ट कोई ग्रीवैंस है और कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो he should go to supreme court. धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, आपने ठीक किया कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गये क्योंकि वह सरकार का अपना फैसला होता है। इस पर्टिकुलर केस के अन्दर पहले आपने चीफ सैक्रेटरी के ऑफिस से फाईल पर रजामंदी दे दी है, according to the papers. उसके बाद ए.जी. ने भी ओपिनियन दिया कि this is a fit case to be taken up in the Supreme Court. एल.पी.ए. इसमें फाईल होना चाहिए। उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको अपने ऑर्डर्ज वापिस लेने पड़े। यह तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपके साथ गठबन्धन की कहीं न कहीं इस तरह की मजबूरी हो रही है और आपको दबाया जा रहा है।

.....

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री घनश्याम दास अरोड़ा विधायक ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे व्यक्तिगत कारणों से आज 18 मार्च 2021 को सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक कालिंग अटैंशन मोशन ''हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध विशेषकर महिलाओं के सामूहिक बलात्कार'' होने बारे दिया था, मुझे इसका फेट बताया जाए।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन मुझे आज सुबह ही मिला है इसलिए अभी तो वह देखा भी नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक उसको क्यों नहीं देखा गया।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अभी उसको देखने का समय ही नहीं लगा है। (शोर एवं व्यवधान) बी.ए.सी. की मीटिंग में डिसीजन हुआ था कि एक दिन में केवल एक ही कालिंग अटैंशन मोशन लगना चाहिए और आज के लिए पहले ही एक कालिंग अटैंशन मोशन लगा हुआ है। आपकी पार्टी के लोग भी इस बारे में मिल कर गये हैं। श्री आफताब अहमद जी ने भी इस बारे में बात की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे द्वारा दिए गए कॉलिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार नहीं किया लेकिन मैं सदन में कवि हुल्लड़ मुरादाबादी का एक शेर पढ़ना चाहती हूं–

सुबह सवेरे बतलाते अखबार हैं,
8 मरे, 10 घायल, 3 फरार हैं,
बलात्कार, कत्ल, अपहरण।
पढ़कर लगता है
रामराज्य आने के शुभ आसार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक के द्वारा दिल्ली–मुम्बई–बड़ोदरा एक्सप्रैस हाई–वे के निर्माण में हो रहे बड़े गोलमाल बारे कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया था जिसको डिस अलाउ कर दिया गया है और उन्हीं द्वारा जो दादरी–मुंबई रेलवे फ्रेंट कोरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में प्रशासनिक मिलीभगत होने बारे कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया था। मैंने उसको 24 घंटे में टिप्पणी के लिए सरकार के पास भेजा था। सरकार के कॉमैंट्स प्राप्त हो गये हैं। सरकार ने जांच के लिए समिति बना दी है इसलिए यह कालिंग अटैंशन मोशन भी डिस अलाउ किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

हरियाणा में किसानों के लंबित नलकूप कनैक्शन जारी करने से संबंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री प्रवीण डागर, विधायक द्वारा हरियाणा में किसानों के लंबित नलकूप कनैक्शन जारी करने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–10 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–14 जोकि श्री वरूण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है। समान विषय का होने के कारण इसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–10 के साथ जोड़ दिया गया है इसलिए

श्री वरूण चौधरी, विधायक सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री प्रवीण डागर, विधायक अपनी सूचना पढ़ेंगे।

श्री प्रवीण डागरः अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–10 के द्वारा मैं हरियाणा में किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शन लेने में दिक्कत आने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अतिलोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसान इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अक्सर देखा जाता है कि जटिल प्रक्रिया होने के कारण किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शन लेने में दिक्कत आती रहती हैं। इसके साथ–साथ जो सिक्योरिटी राशि है वह भी बहुत ज्यादा है जिससे छोटे किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार इस मामले में जांच पड़ताल कर जरूरी कार्यवाही से अवगत कराने हेतू अपना वक्तव्य दे। धन्यवाद।

वक्तव्य–

बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बंधी

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पूरी तरह से इस मत का समर्थन करती हैं कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं तथा यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह किसानों को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 में दो व्यापक मुद्दों पर चिंता जताई गई। (ए) कठिन प्रक्रिया और (बी) अधिक प्रतिभूति राशि– जबकि, ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 का विषय है – (सी) किसानों द्वारा मोटर–पंपसेट की खरीद की कीमत जमा कराने के लिए डिस्कॉम द्वारा वेब पोर्टल ना खोलना और (डी) पिछले 7 वर्षों से 35 बीएचपी से ऊपर के ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी न करना । उत्तर इस प्रकार से है–

(ए) नए नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए प्रक्रिया

नलकूप कनैक्शन जारी करने की प्रक्रिया हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा जारी विनियमों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य के दोनों डिस्कामस द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रक्रिया, जिसका विवरण नीचे किया गया है, राज्य तथा किसानों के सर्वोत्तम हित में है और किसानों को कम से कम असुविधा पहुंचाने के लिए निर्धारित की गई है।

1. ऑनलाइन आवेदन

किसान, नए टयूबवैल कनैक्शन का आवेदन अपने घर पर बैठ कर ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही वे डिस्कामस के फील्ड कार्यालयों में भी जाकर आवेदन कर सकते है जहां उनको ऑन लाइन आवेदन करने में सभी प्रकार की संभव सहायता प्रदान की जाती है। ऑन लाइन प्रक्रिया में किसानों/आवेदकों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर भी खोले गए है। नए नलकूप कनैक्शन के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों को 100/–रू. प्रति किलोवाट की दर पर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होती है जैसा कि एचईआरसी (अनुरोध पर बिजली आपूर्ति की ड्यूटी तथा सप्लाई उपलब्ध करवाने का खर्च वसूल करने की पावर और प्रतिभूति) रेगुलेशन, 2016 (पहला संशोधन, 2020) दिनांक 19.03.2020 के क्लाज 5.6 में निर्धारित है।

2. डिमांड नोटिस जारी करना

राज्य सरकार उस समय सीमा का निर्णय करती है जिस दौरान प्राप्त नलकूप आवेदनों पर कनैक्शन जारी करना होता है। तदनुसार डिस्कामस सभी पात्र आवेदकों को एक साथ 30,000/–रू. की सहमति राशि जमा करवाने के लिए डिमांड नोटिस जारी करती है। कृषि कनैक्शनों के मामले में डिमांड नोटिस की वैधता एचईआरसी सप्लाई कोड रेगुलेशन, 2014 (व समय–समय पर संशोधित संस्करण) की क्लाज 4.15.2 के अनुसार 3 महीने है।

सरकार ने ऐसे सभी नए नलकूप आवेदकों (84537 नं.) को डिमांड नोटिस जारी करने की घोषणा की है जिन्होंने 01.01.2014 से 31.12.2018 तक की अवधि के दौरान आवेदन किया था। इन सभी आवेदकों को 31.03.2019 को दोनों डिस्कामस द्वारा डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके है तथा इनमें से 58465 (22726 यू.एच. + 35739 डी.एच.) आवेदकों ने 30,000/– रूपए की सहमति राशि भी जमा करवा दी है।

3. 5 स्टार रेटिड ऐनर्जी कुशल मोटर पम्प सेट का प्रावधान

भूमिगत जल को बचाने तथा कृषि सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने ऐसे सभी आवेदकों जिन्होंने 01.01.2014 से 31.12.2018 तक की अवधि के दौरान आवेदन किया था, को नए नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए पॉलिसी स्वीकृत करते समय, निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य किए हैः–

(ए) 5 स्टार (अब 3 स्टार) ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट का प्रयोग तथा

(बी) लघु सिंचाई/अंडर ग्राउंड पाइप लाइन सिस्टम की स्थापना।

आगे, किसानों के लाभ हेतु, राज्य सरकार ने डिस्कामस के माध्यम से सब्सिडाईज दरों पर 5 स्टार (अब 3 स्टार) ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट प्रदान करने का निर्णय लिया। लघु सिंचाई/यूजीपीएल प्रणाली के लिए, कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इस प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए, डिस्कामस द्वारा नामांकित वेब पोर्टल बनाए गए थे जहां आवेदकों को 5 स्टार (अब 3 स्टार) ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट खरीदने के लिए उनका योगदान जमा करवाना था। वेब पोर्टल पहली बार 06.09.2019 से 30.09.2019 तक सक्रिय किया गया था। इस अवधि के दौरान, कुल 84537 पात्र आवेदकों में से कुल 12074 आवेदक मोटर पम्प सेट की लागत जमा करवा सके। इन आवेदकों के लिए, डिस्कॉम्स ने हाई पावरड परचेज कमेटी (राज्य) द्वारा फाईनल की गई प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर खुली निविदा (जुलाई 2019 में) आमंत्रित करके 5 स्टार ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट खरीदे। 11.09.2019 को मोटर पम्प सेट खरीदने के लिए अनुबन्ध जारी कर दिया गया है।

इसी दौरान फरवरी 2020 में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), भारत सरकार ने कृषि मोटर पम्प सेटों के ऊर्जा कुशल मानको को डाऊन ग्रेड कर दिया। नए मानकों के अनुसार, डिस्काम्स द्वारा खरीदे गए 5 स्टार ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट 01.02.2020 से 3 स्टार रेटिंग के लिए मान्य हैं।

डिस्कॉम्स ने बीईई के नवींनतम मान दण्डों के साथ 5 स्टार रेटिड मोटर पम्प सेट खरीदने के लिए नए ई–टेन्डर आमंत्रित किए, परन्तु 5 स्टार रेटिड मोटर पम्प सेट उपलब्ध न होने के कारण कई बार दी गई एक्सटेंशन के बावजूद किसी फर्म ने हिस्सा नहीं लिया। इस बदलाव के कारण, वेब पोर्टल को दुबारा नहीं खोला जा सका। दूसरी बार वेब पोर्टल को न खोलने से मोटर पम्प सेटों को खरीदने में किसानो/आवेदकों को असुविधा हुई।

हालांकि, नलकूप कनैक्शनों के अगले चरण के लिए, राज्य सरकार ने इस मुद्दे का हल किया तथा सूचीबद्ध विनिर्माण फर्मों द्वारा 3 स्टार (पहले 5 स्टार) के साथ नलकूप कनैक्शन जारी करने का निर्णय लिया। अब आवेदक सूचीबद्ध फर्म के नामांकित डीलरों से सीधे अपने मोटर पम्प सेट खरीद सकते हैं। इस प्रक्रिया से वेब पोर्टल की मांग से छुटकारा मिल गया।

हाल ही में, डिस्कॉम्स ने 40,000 तीन स्टार रेटिड मोटर पम्प सेट खरीदने के लिए अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) आमंत्रित की जिसको प्रतिस्पर्धात्मक दरों की प्राप्ति सहित हाई पावरड परचेज कमेटी (राज्य) द्वारा अन्तिम रूप दिया गया। प्राप्त दरें उन दरों की अपेक्षा काफी कम है जिन पर डिस्कॉम्स मोटर पम्प खरीद रहे थे। ये लगभग 40,000 शेष कनैक्शन 30.06.2022 तक जारी किए जाने संभावित हैं।

4. बिजली ढ़ांचे की लागत

डिस्कॉम्स उन नलकूप आवेदकों का साईट सर्वे करती है जो डिमांड नोटिस का पालन करते हैं तथा एक महीने में कनैक्शन जारी करने के लिए आवश्यक बिजली ढ़ांचा खड़ा करने के लिए एस्टीमेट तैयार करती हैं। इसके बाद, एचईआरसी (अनुरोध पर बिजली आपूर्ति की ड्यूटी तथा सप्लाई उपलब्ध करवाने का खर्च वसूल करने की पावर और प्रतिभूति) रेगुलेशन, 2016 (पहला संशोधन, 2020) दिनांक 19.03.2020 के तहत बिजली ढ़ांचे की लागत जमा करने के लिए 15 दिनों के लिखित नोटिस के माध्यम से आवेदकों को अधिसूचित किया जाता है जो निम्न प्रकार हैः–

''कनैक्शन जारी करने के लिए वहन किए जाने वाला वास्तविक खर्च जिसमें एलटी/एचटी लाइन तथा वितरण ट्रांसफार्मर की लागत शामिल होगी। यदि एक ही ट्रांसफार्मर से एक से अधिक उपभोक्ताओं को कनैक्शन जारी किए जाते है, तो वितरण ट्रांसफार्मर की लागत प्रत्येक उपभोक्ता के लोड के अनुरूप समानुपातिक आधार पर बांटी जाएगी।''

डिमांड नोटिस की अनुपालना में नलकूप आवेदकों द्वारा जमा की गई 30,000/– रू. की सहमति राशि बिजली ढ़ांचे की लागत में समायोजित की जाती है। आवेदकों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बिजली ढ़ांचे की जमा कराई लागत पर आधारित अन्तिम वरिष्ठता के अनुसार कनैक्शन जारी किए जाते हैं।

उक्त एचईआरसी विनियमों के अनुसार, किसानों/आवेदकों को उनके नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए बिजली ढ़ांचे के निर्माण हेतु डिस्कॉम्स द्वारा वहन किए गए वास्तविक प्रभार जमा करवाने के लिए कहा जाता है। जैसा कि प्रभार वास्तविक आधार पर वसूल किए जाते है, इसलिए वे निम्नलिखित पर निर्भर करते हुए साईट से साईट बदलते रहते है–

i एचटी लाइन की लम्बाई

ii एलटी लाइन की लम्बाई

iii वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता (मोटर की क्षमता पर आधारित)

iv केबल का साईज

v सहायक सामग्री

डिस्कामस की कोस्ट डाटा बुक के अनुसार, 9 मीटर पोल सहित 50एमएम^2 की एसीएसआर कंडक्टर के साथ 1 किलोमीटर लम्बी 11 केवी लाइन बिछाने की लागत लगभग 4.22 लाख है। बिजली ढ़ांचे के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉमस ने यह कार्य यूएचबीवीएन में मैसर्ज गोपी कृष्णा, हैदराबाद तथा डीएचबीवीएन में मैसर्ज पेस पावर, हैदराबाद को टर्नकी आधार पर 16.09.2019 को दिया है।

तदानुसार, डिस्कॉम्स ने उन आवेदकों के लिए इलैक्ट्रिकल कार्य के एस्टीमेट तैयार किए जिन्होंने सहमति राशि तथा मोटर पम्प सेट की लागत जमा करवाई है।

5. निःशुल्क स्मार्ट मीटर

वर्तमान समय में, डिस्कॉम्स द्वारा निःशुल्क स्मार्ट मीटर प्रदान करके नए नलकूप कनैक्शन जारी किए जा रहे है। इस संबंध में राज्य सरकार ने डिस्कॉम्स को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

6. नलकूप कनैक्शन जारी करने की स्थिति

पहले चरण में, 18419 आवेदक (सबमर्सिबल + मोनोब्लॉक) जिन्होंने 5 स्टार (अब 3 स्टार) ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट तथा बिजली ढ़ांचे की लागत जमा करवा दी है, उनको कनैक्शन जारी करने के लिए लिया गया है। 03.03.2021 तक, 18419 में से 8152 नलकूप कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष कनैक्शन वरिष्ठता के अनुसार तेजी से जारी किए जा रहे हैं। शेष 10267 एवं लगभग 40,000 अतिरिक्त नए नलकूप कनैक्शनों (दूसरे चरण में) को 30.06.2022 तक जारी किए जाना संभावित है।

ऑफ–ग्रिड सोलर पावर्ड नलकूप कनैक्शन

इसके अतिरिक्त, किसानों को रियायती दरों पर 10 बीएचपी क्षमता तक एनआरई एवं हरेडा विभाग के द्वारा ऑफ–ग्रिड सोलर बेसड नलकूप कनैक्शन चुनने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए किसान सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। 01.02.2020 से अब तक, 7922 ऑफ–ग्रिड सोलर बेसड नलकूप कनैक्शन प्रदान किए गए हैं।

(बी) अधिक प्रतिभूति राशि

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नए टयूबवैल कनैक्शन का आवेदन करते समय आवेदकों से प्रतिभूति राशि एचईआरसी (अनुरोध पर बिजली आपूर्ति की ड्यूटी तथा सप्लाई उपलब्ध करवाने का खर्च वसूल करने की पावर और प्रतिभूति) रेगुलेशन, 2016 (पहला संशोधन, 2020) दिनांक 19.03.2020 के क्लाज 5. 6 के तहत जमा करवाई जाती है जो निम्न प्रकार हैः–

क्लाज 5.6ः अग्रिम खपत जमा (एसीडी)

नए आवेदक नीचे दिए गए फ्लैट रेट पर (दो बिलिंग साइकिलों के लिए अनुमानित बिजली खपत प्रभार कवर करने के लिए) एचईआरसी द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित खपत प्रतिभूति जमा (अग्रिम खपत जमा) करवाएंगेः

क्र.सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	प्रतिभूति राषि (रूपए/किलोवाट या कनैक्टिड लोड का भाग)
1.	कृषि आपूर्ति	100
2.	घरेलू आपूर्ति/बल्क आपूर्ति (घरेलू)	750
3.	एलटी औद्योगिक आपूर्ति	1000
4.	एचटी औद्योगिक आपूर्ति	1000
5.	गैर घरेलू आपूर्ति	1000
6.	बल्क आपूर्ति	1000
7.	एमआईटीसी	1000
8.	लिफ्ट सिंचाई	1000
9.	पब्लिक वाटर वर्कस	1500
10.	स्ट्रीट लाईट	2000
11.	रेलवेज	1500
12.	स्वतंत्र हॉर्डिंग/सजावटी लाईटिंग	2000

जैसा कि देखा जा सकता है, नलकूप आवेदकों के लिए एसीडी अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत कम है तथा 2005 से 100 रू. प्रति किलोवाट है। आगे, जैसा कि ऊपर पहले ही प्रस्तुत किया गया है, किसानों/आवेदकों द्वारा उनके नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए जमा की गई सभी प्रकार की राशि डिस्कामस द्वारा हर्क/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा दरों के अनुसार ली जाती है।

(सी) वेब–पोर्टल का न खुलना

यह प्रस्तुत किया जाता है कि वेब–पोर्टल को इसके पहले चरण में 06.09.2019 से 30.09.2019 तक सक्रिय किया गया था। इस अवधि के दौरान कुल 84537 पात्र आवेदकों में से 12074 आवेदकों ने मोटर–पंपसेट की लागत जमा करवाई। इन आवेदकों के लिए डिस्कॉम्स ने उच्च शक्ति खरीद समिति (राज्य) द्वारा अंतिम रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर एक खुली निविदा (जुलाई, 2019 में) मंगवाकर 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट मोटर–पंपसेट की खरीद की। मोटर–पंपसेट की खरीद के लिए दर अनुबंध 11.09.2019 को जारी किया गया था। 84537 ट्यूबवेल कनेक्शनों को एक ही लॉट में जारी करना डिस्कॉम्स के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है और यह समझना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में कनेक्शन एक या दो साल में जारी नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि विद्युत लाइनों को मुख्य रूप से लीन पीरियड के दौरान ही जोकि एक वर्ष में केवल 3 महीने (अप्रैल से जून) तक होता है, में ही खड़ा किया जा सकता है। बाकी समय के दौरान, फसलों की वजह से विद्युत लाइनों को खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए, ट्यूबवेल कनेक्शन चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं।

ट्यूबवैल कनेक्शन जारी करने के लिए, डिस्कॉम ने 15000, 5 स्टार ऊर्जा कुशल मोटर–पंपसेट की खरीद के लिए मैसर्स ड्यूक प्लास्टो, गुजरात के साथ दर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है।

राज्य सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार, निम्नलिखित अवसर पर वेब पोर्टल फिर से खोलने थे –

> "जैसे ही उपरोक्त वरिष्ठता सूची से लंबित कनेक्शनों की संख्या 50 प्रतिशत से नीचे या अगले दो महीनों में जारी किए जाने वाले कनेक्शनों की संख्या, जो भी कम हो, किसानों से राशि जमा करवाने के लिए वेबलिंक फिर से सक्रियहो जाएगा और यह प्रक्रिया सभी कनेक्शन जारी होने तक जारी रहेगी। "

इसी बीच फरवरी 2020 में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), भारत सरकार ने कृषि मोटर पम्प सेटों के ऊर्जा कुशल मानको को घटा दिया। नए मानकों के अनुसार, डिस्काम्स द्वारा खरीदे गए 5 स्टार ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट 01.02.2020 से 3 स्टार रेटिंग के लिए मान्य हैं।

डिस्कॉम ने बीईई के अपडेटेड मानदंडों के साथ 5 स्टार रेटेड मोटर–पंपसेट की खरीद के लिए नए ई.टेंडर जारी किया, लेकिन कई बार एक्सटेंशन दिए जाने के बावजूद किसी भी फर्म ने 5 स्टार रेटेड मोटर–पंपसेट की उपलब्धता न होने के कारण भाग नहीं लिया। इस परिवर्तन के कारण, वेब–पोर्टल फिर से खोला नहीं जा सका। दूसरी बार वेब–पोर्टल के नहीं खुलने से किसानों/आवेदकों को मोटर–पंप खरीदने में असुविधा हुई।

हालांकि, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के अगले चरण में, किसी भी वेब पोर्टल की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आवेदक अब उन कंपनियों के नामित डीलरों से सीधे अपने मोटर–पंपसेट खरीद सकेंगे जिन्हें डिस्कॉम द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। और ट्यूबवेल कनेक्शन अब 3 स्टार (पहले 5 स्टार) रेटेड ऊर्जा कुशल मोटर–पंपसेट के साथ जारी किए जा सकते हैं।

हाल ही में, डिस्कॉम ने 40,000 तीन स्टार रेटिड (पहले 5 स्टार) मोटर पम्प सेट खरीदने के लिए अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) आमंत्रित की, जिसको 05.02.2021 को हाई पावरड परचेज कमेटी (राज्य) द्वारा अंतिम रूप दिया गया इस दौरान प्रतिस्पर्धात्मक दरें भी फाइनल की गई जिन पर फर्म आवेदकों को मोटर पंप सैट बेच सेंकेगी। नई दरें उन दरों से भी कम हैं जिस पर डिस्कॉम मोटर–पंपसेट खरीद रहे हैं। इन लगभग 40,000 शेष कनेक्शनों को 30.06.2022 तक जारी होने की संभावना है।

(डी) 35 बीएचपी से अधिक के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी न करना

यह सही है कि जिन आवेदकों ने 01.01.2014 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान 30 बीएचपी से अधिक ट्यूबवेल क्षमता के लिए आवेदन किया था, उन्हें अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए नहीं लिया गया है।

यह बताया जाता है कि कुल 84537 योग्य आवेदकों में से केवल 1649 आवेदक ऐसे हैं, जिन्होंने 30 बीएचपी से अधिक की क्षमता के लिए आवेदन किया है, यानी केवल 1.95 प्रतिशत । राज्य सरकार द्वारा भूमिगत जल की अतिरंजित निकासी और कृषि सब्सिडी की उच्च मात्रा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 30 बीएचपी से ऊपर के ट्यूबवैल कनैक्शन जारी न करने के बारे में यह सचेत निर्णय लिया गया है।

यह भी बताया जाता है कि डिस्कॉम ने (01.01.2014 से पहले अप्लाई किए गए) सभी ट्यूबवेल कनेक्शनों को उनकी मोटर की क्षमता का ख्याल किए बिना जारी किया है। 2014–15 से फरवरी, 2021 तक, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने 30 बीएचपी से अधिक क्षमता वाले क्रमशः 42 और 1131 (1173) नलकूप कनेक्शन जारी किए हैं।

पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि अब किसी भी तरह के वैब पोर्टल की जरूरत नहीं है तथा राज्य सरकार उन सभी किसानों को शीघ्रता से नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए वचनबद्ध है जिन्होंने इस योजना में शामिल होने की सहमति दे दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कुछ और बातें भी कहना चाहूंगा। साईंस एंड टैक्नोलोजी तथा आई.टी. ने आज देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछले 1800 साल में मनुष्य ने जितना ज्ञान अर्जित करने का काम किया था उतना ज्ञान, इंफार्मेशन एंड टैक्नोलोजी की वजह हमने पिछले 150 सालों में अर्जित करने का काम किया है और पिछले 150 सालों में जितना ज्ञान अर्जित किया है उतना ज्ञान हमने पिछले 18 सालों में अर्जित करने का काम किया है और पिछले 18 सालों में जितना ज्ञान अर्जित किया उतने ज्ञान को हम लैपटाप और आई.टी. की मदद से 5 साल में प्राप्त करने का काम कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि जब ज्वॉयंट पंजाब था जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी शामिल था तो उस वक्त बिना बिजली के तथा आज के ट्यूबवैल कनैक्शंज से अलग कुल 2700 ट्यूबवैल की तरह काम करने वाले स्रोत थे। आज हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ गया है। इस वक्त हरियाणा में 649991 ट्यूबवैल कनैक्शंज चालू हैं। आज किसान नए ट्यूबवैल कनैक्शन का आवेदन अपने घर बैठकर ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही वे डिसकॉम के फिल्ड कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से सिक्योरिटी की राशि जमा करवानी होती है जोकि सभी श्रेणियों में कम है। नए आवेदकों को कनैक्शन जारी करने के लिए डिमांड नोटिस की सीमा सरकार द्वारा तय की जाती है, तद्नुसार सभी किसानों को 30000 रुपये की सहमति राशि जमा कराने के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जाते हैं। सरकार ने उन सभी 84537 नए नलकूप आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी करने की घोषणा की है जिन्होंने दिनांक 1.1.2014 से 31.12.2018 तक की अवधि के दौरान

आवेदन किया था। इन कुल 84537 नए नलकूप आवेदकों में से 58465 जो आवेदक थे उन्होंने 30000 की सहमति राशि जमा करवा दी है। डिसकॉम उन सभी आवेदकों का साइट सर्वे करती है जो डिमांड नोटिस का पालन करते हैं तथा एक महीने में कनैक्शन जारी करने के लिए एस्टिमेट्स भी तैयार करती है। एस्टिमेट्स की लागत जमा कराने के लिए 15 दिन के लिखित नोटिस के माध्यम से आवेदकों को सूचित किया जाता है। यदि एक ही ट्रांसफार्मर से एक से अधिक उपभोक्ताओं को कनैक्शन जारी किए जाते हैं तो ट्रांसफार्मर की लागत प्रत्येक उपभोक्ता के लोड के अनुरूप समानुपात आधार पर बांट दी जाती है। आवेदकों द्वारा जमा की गई 30000 रुपये की सहमति राशि एस्टिमेट्स में एडजस्ट की जाती है। वर्तमान समय में डिसकॉम द्वारा निःशुल्क स्मार्ट मीटर प्रदान करके नए नलकूप कनैक्शन जारी किए जा रहे है। इस संबंध में राज्य सरकार ने डिस्कॉम को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। दिनांक 3.2.2021 तक 8152 नलकूप कनैक्शंज जारी किए जा चुके हैं, दिनांक 15.6.2021 तक कुल 20000 नए ट्यूबवैल कनैक्शन चालू होने का अनुमान है। यह काम एक साउथ इंडियन फर्म को दे दिया गया है और शेष ट्यूबवैल कनैक्शंज दिनांक 30.6.2022 तक जारी कर दिए जायेंगे। ऑफ ग्रिड सोलर से 10 बी.एच.पी. के अब तक 8922 नलकूप कनैक्शंज जारी किए गए हैं जिनमें ज्यादातर झज्जर जिले में जारी किए गए है। अब वैब पोर्टल की जरूरत नहीं है तथा राज्य सरकार उन सभी किसानों को शीघ्रता से नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए वचनबद्ध है जिन्होंने इस योजना में शामिल होने की सहमति दे दी है। यह सही है कि जिन आवेदकों ने दिनांक 1.1.2014 से 31.12.2018 अवधि के दौरान 30 बी.एच.पी. से अधिक क्षमता के ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था उन्हें अभी तक ट्यूबवैल कनैक्शन जारी नहीं किया गया है ऐसे आवेदकों की संख्या 1649 हैं।

अध्यक्ष महोदय, टयूबवैल कनैक्शंज जारी करने के लिये डिस्कॉम ने फाइव स्टार मोटर पम्प के 15 हजार सैट की खरीद के लिए मैसर्ज डयूक प्लास्टो, गुजरात के साथ अनुबंध किया हुआ है। हाल ही में डिस्कॉम द्वारा थ्री स्टार पम्प सैट खरीदने डिसीजन को दिनांक 5 फरवरी, 2021 को हाई पावर परचेज़ कमेटी द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है। जिसमें मैसर्ज ओसवाल पम्प लि0 करनाल को अधिकृत किया गया है। इस कंपनी ने हमें यह विश्वास दिया हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा मोटर पम्प सैट कम समय में ही उपलब्ध करवा देंगे। हमें गुजरात

वाली कंपनी से ज्यादा से ज्यादा मोटर पम्प सैट कम समय में नहीं मिलने थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यही चाहते थे कि हमें टयूबवैल कनैक्शंज के संबंध में कोई भी दिक्कत हमारे किसानों को नहीं आनी चाहिए और हम पोर्टल के बिना किसानों को टयूबवैल कनैक्शंज जारी कर देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई स्वयं कंपनी के शोरूम में जाये और स्वीकृत की हुई मोटर पम्प सैट खरीदे। हमारे बिजली विभाग के अधिकारी/कर्मचारी शोरूम में जाकर चैक करे कि यह मोटर पम्प सैट ठीक है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इनका रेट कम से कम फिक्स कर रखा है। हमारी सरकार पानी की खपत को बचाने के लिये माइक्रो इरीगेशन/अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन सिस्टम द्वारा नए टयूबवैल कनैक्शंज देने जा रही है। नये कनैक्शन जारी करने के लिये पैडी एरिया की अपेक्षा गैर पैडी एरिया को प्राथमिकता दी जायेगी। सरकार डार्क जोन में नए नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिये भी विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता यह है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा टयूबवैल कनैक्शंज मिलें। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में लोगों की यह भी शिकायत आती थी कि एक गांव में एक आदमी को कनैक्शन दे दिया तो दूसरे आदमी से कहा जाता है कि तुम्हारा नम्बर अगली बार आयेगा। गांव के लोगों की समस्या को देखते हुए हमने मीटिंग में यह डिसाईड किया कि जिस गांव में किसी एक को नलकूप कनैक्शन दे देते हैं तो मांग के अनुरूप उसके पूरे गांव के लोगों को नलकूप कनैशन जारी करेंगे ताकि इस प्रकार की शिकायत ही खत्म हो जाये। सरकार इस प्रोसैस में काफी तेजी से सुधार कर रही है और जहां–जहां किसानों को दिक्कतें आ रही हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर दूर भी कर रही है। धन्यवाद।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार एक तरफ तो किसानों की आय दोगुनी करने का स्वर्णिम स्वप्न दिखा रही है और दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों को नलकूप कनैक्शन न देकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा क्यों? यह बात भी सदन जानना चाहता है। हरियाणा प्रदेश में बिजली बचाने का भार केवल किसानों पर ही क्यों होता है। समाज में बिजली उपभोक्ता तो बहुत सारे लोग होते हैं। बिजली विनियामकों को 640 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। क्या इस सदन ने इस बात का भी आंकलन किया है कि जो 6 वर्षों तक किसानों को नलकूप कनैक्शन नहीं मिले इससे उनको कितना नुकसान हुआ होगा। किसानों के नुकसान की भरपाई किस प्रकार से होगी क्या इस प्रकार का आंकलन कभी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी सदन को बता रहे थे कि मोटर पम्प सैट का हमने ठेका दिया हुआ था। मोटर पम्प की क्षमता को बिना जांच–पड़ताल के मोटर पम्प सैट खरीदने का ऑर्डर क्यों दिया गया? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इस गलती को फिर से दोहराया जा रहा है और पूरे प्रदेश में दो ही कंपनियों को लाइनें बिछाने और खम्भे लगाने का कार्य दिया जा रहा है। यह कार्य जिला स्तर पर भी दिया जा सकता है ताकि यह कार्य जल्दी पूर्ण हो सके लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अध्यक्ष महोदय, 6 वर्ष के करीब नलकूप कनैक्शन किसानों को देने का मामला लम्बित पड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी किसानों को नलकूप कनैक्शन जारी करे। धन्यवाद।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री वरूण चौधरी जी से कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी अभी नलकूप कनैक्शन लगा रही है वह साउथ इण्डियन है। हमने उन्हें निर्देश दिया हुआ है कि वह इस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाये। बिजली विभाग के एम.डी. साहब और अन्य उच्च अधिकारी भी बराबर इस चीज पर नजर रखे हुए हैं। हमने यह भी कहा हुआ है कि अगर यह कार्य तुमसे नहीं होता तो आगे सब्लैट करें। अब हम थोड़े समय में ही सारे के सारे नलकूप कनैक्शन जारी करने जा रहे हैं। इस प्रकार से 20 हजार के करीब तो नलकूप कनैक्शन जारी कर दिये हैं और जल्दी ही 20 हजार और नलकूप कनैक्शन जारी करने जा रहे हैं। अब भविष्य में हम इस संबंध में पोर्टल पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। सरकार को पूरी उम्मीद है कि आगामी 6 महीने के अंदर–अंदर 58 हजार नलकूप कनैक्शन जारी कर देगी। इसके बाद हम यह सिस्टम करेंगे कि जो भी किसान नलकूप कनैक्शन लेना चाहेगा वह सरकार द्वारा स्वीकृत मोटर पम्प सैट डीलर के पास जाये और मोटर पम्प सैट खरीद कर अपना नलकूप कनैक्शन कर ले। जारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द नलकूप के लिए बिजली के कनैक्शंज दिए जायें और हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं ।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर पिछले 6 साल से पैंडिंग है, इसलिए सरकार को किसान की ओर भी देखना चाहिए । बोरवैल आदि में किसानों के लाखों रुपये लगे हुए हैं । किसान ने ट्यूबवैल के लिए खेत में कमरा भी बनाया हुआ है, नलकूप भी लगवाया है आदि । अतः सरकार किसान के नुक्सान की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करे ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि किसानों को नलकूप के लिए बिजली के कनैक्शंज देने में पहली बार देरी हो रही है । ऐसा पहले भी हुआ है । मेरा कहना है कि सारी चीजें किसान को एकदम तो नहीं दी जा सकती । सरकार के पास लिमिटड साधन हैं । अतः हमें पावर की अवेलेबिलिटी और पावर के कनैक्शंज की जरूरत जैसी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी । माननीय सदस्य ने कहा कि पावर बचाने के लिए अकेले किसान पर ही बोझ डाला जा रहा है तो इस विषय में मैं सब्जैक्ट से हटकर माननीय सदस्य को एक घटना बताना चाहता हूं । हरियाणा बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 1500 कर्मचारियों की 236 टीम्ज ने साइमलटेनियसली पूरे हरियाणा की फैक्ट्रीज, शॉरूम्ज, मॉल्स, गैस्ट हाउसिज आदि में सुबह से रात तक लगातार रेड की । हमारे विभाग का असैसमैंट है कि इसके बाद हमारा 200 करोड़ रुपये का रिवैन्यू बढ़ा है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया है कि अगले 2 महीने तक गांवों में न तो रेड की जाए और न ही मीटर उतारे जाएं । मेरा कहना है कि कहीं पर भी किसानों को तंग नहीं किया जा रहा है । यह सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है ।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं bureau of energy efficiency और 5 स्टार रेटिंग की नलकूल की मोटर की बात कर रहा था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों को बिजली की मोटरें नहीं दी हैं जबकि उन्होंने इसके लिए सिक्योरिटी भी जमा करवाई हुई है । किसान अपने नलकूप के लिए प्राइवेट व्यक्ति से मोटर खरीदकर काम चला रहे हैं । इसके अलावा अगर किसान बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो उनसे सरचार्ज वसूला जाता है । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार उनको ब्याज समेत पैसा वापिस करेगी जिन्होंने विभाग के पास सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है ?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक से कहना चाहूंगा कि वे अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड देख लें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । अतः आप इनका जवाब सुन लीजिए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, किसानों को सिक्योरिटी जमा करवाये हुए 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं उनकी बात धैर्य से सुन रहा था । अतः माननीय सदस्य को सदन में प्रोटोकॉल का ध्यान

रखना चाहिए और धैर्य से जवाब सुनना चाहिए । मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि वे पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देख लें । माननीय सदस्य के सब–डिविजन, गोहाना में बिजली के जितने कनैक्शंज इस साल लगे हैं इतने पहले कभी भी नहीं लगे थे । अतः मेरा कहना है कि माननीय सदस्य ठीक बात नहीं कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में बिजली के कनैक्शंज नहीं दिए गए हैं । वे अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड चैक करके मुझसे बात कर लें।

.....

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यों की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

.....

विधान सभा की समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(i) नियम समिति की अंतिम रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब डॉ0 अभय सिंह यादव, सदस्य, नियम समिति प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से संबंधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की अंतिम रिपोर्ट पारित की जाए।

सदस्य, नियम समिति (डॉ0 अभय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> ''कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से संबंधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की अंतिम रिपोर्ट पारित की जाए।''

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> ''कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से संबंधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की अंतिम रिपोर्ट पारित की जाए।''

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, नियम समिति की फाईनल रिपोर्ट के रूल 2 में "क्लीयर डेज" की डैफिनेशन में लिखा हुआ है कि "but does not include the day of receipt of a notice by the Speaker or Secretary." इसमें यह तो लिख दिया गया कि it does not include that day. लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि जिस दिन नोटिस जारी होगा, उसमें वह दिन भी एक्सक्ल्यूड होगा। इसमें "Clear days" मीन्स यह है कि जिस दिन नोटिस जारी होगा और जिस दिन नोटिस रिसीव होगा वह दिन भी एक्सक्लयूड होगा। इसके बीच में तीन दिन का समय चाहिए। यह "Clear days" की डैफिनेशन है।

Mr. Speaker: It is clearly mentioned that "Clear days" include Saturdays, Sundays and holidays.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यह पटना हाई कोर्ट का फैसला है कि जिस दिन नोटिस जारी होगा वह दिन भी एक्सक्लयूड होगा और जिस दिन नोटिस रिसीव होगा वह दिन भी एक्सक्लयूड होगा। इसमें बीच के दिन क्लीयर डेज होंगे। यह पटना हाई कोर्ट का फैसला है। आप इसको क्लैरीफाई कर लें।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, ठीक है। अगर इसमें कोई अमैंडमैंट की जरूरत होगी तो हम उसको करैक्ट करवा देंगे। आपने जो कहा है उसको चैक करवा देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप इसको चैक करवा लें। इसके अतिरिक्त मैं और भी बताना चाहूंगा कि इसमें In Rule 15, it is mentioned that "The sitting of the Assembly shall meet on first sitting of the session....."

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आप इसमें कौन सी रूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यह रूल 15 नम्बर है। इसमें ग्रामैटिक्ली गलती हुई है इसमें "The sitting of the Assembly shall meet on first sitting of the session." इसमें 3 बार सिटिंग शब्द आया है। यह पता नहीं कैसे ग्रामैटिक्ली गलत हुआ है ?

Mr. Speaker: It is clearly mentioned in the Rule 15 that the sitting of the Assembly shall meet on first sitting of the session.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, 'the sitting of the Assembly shall meet on first sitting of the session इसमें 3 बार सिटिंग शब्द आया है ? How grammatically is it correct?

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, हम सिटिंग को ही बैठक कहते हैं। इसमें 2 बार ही सिटिंग शब्द लिखा हुआ है। अगर यह ग्रामैटिक्ली गलत होगा तो हम इसको करैक्ट करवा लेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं रूल नम्बर 17 के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें हाऊस को अनब्रिडल्ड पॉवर दी गयी है। इसमें लिखा हुआ है कि "To the extent as the House may determine." इसमें हाऊस के पास पॉवर है और वह किसी भी माननीय सदस्य को 5 साल के लिए हाऊस से निकाल सकता है। इस प्रकार तो हाऊस में कोई ऑपोजीशन का मैम्बर ही नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, इसको कल रूल्ज कमेटी की मीटिंग में दोबारा से ठीक कर दिया गया था। उस रूल्ज कमेटी की मीटिंग में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बत्तरा जी भी सदस्य थे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसमें रूल 73(3) में दूसरे पैराग्राफ में "दि सेम मैम्बर्ज" लिखा हुआ है। इसमें भी आप 'मैम्बर्ज' का 'एस' शब्द कटवा दें क्योंकि यह 'एस' शब्द गलत है इसको भी करैक्ट करवा दें।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, इसमें रूल 73(3) में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसमें रूल 73 (3) में प्रोवीजो में "दि सेम मैम्बर्ज" लिखा हुआ है। मेरा कहना यह है कि इसमें "दि सेम मैम्बर" होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 73(3) के बारे में ही अपनी बात रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैम्बर्स में ''एस'' कटेगा।

Mr. Speaker:

> "Provided that the second matter shall not be raised by the same Members who have raised the first matter and it shall be raised at such time as the Speaker may fix."

मलिक साहब, ऐसा है कि एक मैम्बर भी नोटिस दे सकता है और दो–तीन मैम्बर्स मिलकर भी नोटिस दे सकते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें ''सेम मैम्बर्ज'' की जगह ''सेम मैम्बर'' होगा तो ज्यादा सही रहेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इसमें मैम्बर/मैम्बर्ज कर देते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन 233 (3) में एडीशन की रिकमण्ड की गई है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस बार रूल कमेटी के मैटर्ज को टेक–अप किया। विधान सभा के ऑफिसर्ज की कमेटी बनाकर सभी प्रावधानों को स्टडी करके जो इनीशिएटिव आपने लिया, it is a very good initiative. उसके बाद उसमें जो भी प्रावधान थे उन सभी को आपने meticulously असैस किया। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा और माननीय अध्यक्ष महोदय को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि first time matter regarding discourteous behaviour of the Government Servants or violation of the protocol को आपने रूल के अंदर लिया और इस रूल के अंदर आपने उसको प्रिविलेज कमेटी को भी रैफर किया

क्योंकि काफी विधायकों की शिकायत रहती थी कि जो अधिकारी हैं वे प्रोपरली बिहेव नहीं करते और कॉल भी नहीं सुनते हैं। यहां तक कि चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते हैं। It is a very good step so far as the working of the democracy is concerned. इस बात के लिए मैं आपको बहुत–बहुत मुबारकबाद देता हूं। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)**

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा यह जो अमैंडमैंट हुई हैं और खास तौर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में भी आपने रूल–243, 256 और 271 के अंदर क्लीयर डायरैक्शन दी है कि विभाग समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सब्मिट करे। अगर किसी कारण से रिपोर्ट देने में देर होती है तो उसकी जानकारी प्रोग्रैस रिपोर्ट के साथ देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहूंगा कि पूरी प्रक्रिया होने के जो अंतिम चरण में ढील होती थी, अब वह भविष्य में नहीं हुआ करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें विभागीय अधिकारीगणों की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा और यह सब होने के बाद हम सरकार को जो फंड देते हैं, उसकी सही तरीके से जस्टीफिकेशन भी होनी चाहिए कि पैसा ठीक तरीके से खर्च हुआ है या नहीं? अगर इसमें कोई कमी नजर आती है तो उस पर एक्शन लिया जायेगा तभी यह प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद ही हमारी समिति का रोल सही तरीके से जस्टिफाई होगा।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अमैंडमैंट के लिए जो सुझाव दिये हैं। अगर हाउस की इजाजत हो तो इसमें करैक्शन कर ली जाये।

चौधरी आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, आपने लिस्ट में जो कारपोरेशंज बढ़ाई हैं जैसे स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजिज, को–ऑपरेटिव इन्स्टीच्यूशंज, बोर्ड ऑफ अथॉरिटी सोसायटीज, यूनिवर्सिटीज, बिग ऑटोनोमस बॉडीज, मेरा निवेदन है कि इनको भी कमेटी के परव्यू में लाने के लिए कंसीडर किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, इस विषय पर रूल कमेटी में बैठकर आपस में विचार विमर्श कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> ''कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से संबंधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की यथासंशोधित अंतिम रिपोर्ट पारित की जाये''।

(प्रस्ताव, यथासंशोधित, सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

12.00 बजे

सदन की मेज पर रखा गया कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (01.01.2019 से 31.12.2019) के लागू होने पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 14वीं रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूं।

.....

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

(ii) अधीनस्थ विधान समिति की 48वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री जयवीर सिंह, सदस्य, अधीनस्थ विधान समिति, वर्ष 2020–21 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 48वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सदस्य, अधीनस्थ विधान समिति (श्री जयवीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020–21 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 48वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(iii) याचिका समिति की 10वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती गीता भुक्कल, सदस्या, याचिका समिति, विभिन्न याचिकाओं/प्रतिनिधित्वों पर वर्ष 2020–21 के लिए याचिका समिति की 10वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

सदस्या, याचिका समिति (श्रीमती गीता भुक्कल) : अध्यक्ष महोदय, याचिका समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि पैटीशन कमेटी के चेयरमैन, सभी मैम्बर्ज और सभी स्टॉफ सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढ़ंग से प्रयास करने का काम किया है कि समिति के पास जितनी भी पैटीशंज आई उनमें से

ज्यादातर में संतोषजनक कार्यवाही करते हुए उन पैटीशंज को डिस्पोज–ऑफ किया गया। हमारी कमेटी की पूरी की पूरी वर्किंग ऑलमोस्ट सैटिस्फैक्ट्री रही है जिसमें चेयरपर्सन, सभी मैम्बर्ज और स्टॉफ सदस्यों का बहुत ही अच्छा और अहम रोल रहा।

Sir, now, I beg to present the 10th Report of the Committee on Petitions for the year 2020-2021.

(iv) लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 67वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री असीम गोयल, चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति, 31 मार्च, 2015, 2016 तथा 2017 को समाप्त हुए वर्षों के लिए लोक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2020–2021 के लिए लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 67वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति (श्री असीम गोयल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 की रिपोर्ट पर लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 67वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने विधान सभा की तमाम समितियों के कामकाज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसी संदर्भ में आपने एक नई प्रथा की भी शुरूआत की है कि आप हरियाणा विधान सभा की सभी समितियों के चेयरपर्संज के साथ समय–समय पर निरंतर मीटिंग्स करते रहे हैं। इसके अलावा भी आपने हरियाणा विधान सभा की सभी समितियों के कामकाज को प्रभावशाली बनाने के लिए काफी कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री हरविन्द्र कल्याण जी, माननीय चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति, ने दिनांक 15.03.2021 को सदन की बैठक के दौरान समितियों की फंक्शनिंग से रिलेटिड कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। श्री हरविन्द्र कल्याण जी ने एक सुझाव यह भी दिया था कि सैशन में कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद उन रिपोर्ट्स पर चर्चा होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा भी यही निवेदन रहेगा कि हरविन्द्र कल्याण जी के इस सुझाव को जरूर माना जाये। मैं कल्याण जी के इस सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : असीम जी, इस विषय को हमने रूल्ज में डाल दिया है।

चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति (श्री असीम गोयल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि कैग की रिपोर्ट टेबल्ड होने के बाद फाईनैंस डिपार्टमैंट द्वारा सभी डिपार्टमैंट्स, कारपोरेशंज और बोर्ड्स को उनसे सम्बंधित पैराज के रिप्लाईज देने के लिए कहा जाता है। इसका निर्धारित समय तीन महीने होता है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2016–17 और 2017–18 के रिप्लाईज भी अभी तक सम्बंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं। बार–बार रिमाईंडर देने के बाद भी रिप्लाई नहीं आता। जब कभी हम सम्बंधित डिपार्टमैंट्स को नॉन सप्लाई के लिए नोटिस निकालते हैं तो वे रिप्लाई तुरंत ही आ जाते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में चीफ सैक्रेटरी साहब को एक जरूरी डॉयरेक्शंज जारी करें कि इस विषय को सभी डिपार्टमैंट्स, कारपोरेशंज और बोर्ड्स द्वारा पूरी गम्भीरता से लिया जाये। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि कुछ ऑफिसर्ज हरियाणा विधान सभा की तमाम समितियों के कामकाज को महज खानापूर्ति के नाते बड़ा लाईटली लेते हैं। जब सम्बंधित ऑफिसर्ज को समिति की बैठक में बुलाया जाता है तो कई बार यह कह दिया जाता है कि उन्हें तो चीफ सैक्रेटरी साहब ने बुलाया हुआ है या इसी प्रकार के कुछ दूसरे एक्सक्यूज दिये जाते हैं जिनके बारे में मैं यहां पर बता नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप भी पी.ए.ए.सी. के चेयरपर्सन रहे हैं और आपको पता भी है कि किस हिसाब से सारा काम चलता है। मेरा निवेदन यह है कि समितियों की मीटिंग्ज के बारे ऑफिसर्ज को हिदायतें जारी की जाएं कि समितियों को टॉप प्रायरिटी पर रखा जाए। विभागों में ऑफिसर्ज की मीटिंग्ज तो होती ही रहती है। अभी पीछे कोरोना काल आया तो कभी ऑफिसर्ज के पास समय का अभाव हो गया और कभी हमें राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण समय नहीं मिल पाया जिसके कारण कमेटीज का काम प्रोपर ढंग से नहीं चल पाया इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप जरूर संज्ञान लें। सदन में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि या तो सभा में प्रवेश न किया जाये और अगर प्रवेश किया जाये तो सच बोला जाए। यह सभी पर लागू होता है। इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि ए.सी.एस. लैवल के ऑफिसर्स भी समितियों को मिसलीड कर जाते हैं जबकि आपको पता है कि समितियों को यह पॉवर हाउस ही डैलीगेट करता है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह विषय भी है उसका मैं यहां पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि उसके लिए भी आपको संबंधित ऑफिसर्ज को

डायरैक्शन्ज देनी चाहिएं। कई बार ऐसा होता है कि ऑडिट पैराज का रिप्लाई ओरल एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भिजवाया जाता है जिसके कारण समिति उसका अध्ययन नहीं कर पाती है। कई बार तो उसी दिन भिजवाया जाता है। कई बार भिजवाते हैं उसके बाद कह देते हैं कि हमने इसमें कुछ चेंजिज किये हैं इसलिए आप पुराना रिप्लाई वापिस कर दें और नये रिप्लाई को माना जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास समय ही नहीं होता कि समिति उसको बैठ कर पढ़ सके। अगर पढ़ ही नहीं सकेंगे तो उस पर चर्चा क्या करेंगे इसलिए यह प्रथा बंद होनी चाहिए। इस बार मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के बीच पी.यू.सी. की रिपोर्ट्स चल रही हैं। पहले ऐसा होता था कि अपने कार्यकाल के समय हुई गलतियां समितियां छिपाती थी। हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम किया है। अगर इस दौरान सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा कोई गलती हुई है तो उसको भी उजागर करने का काम किया है। मेरा एक निवेदन है कि कमेटीज की रिकमंडेशन्ज कई विभागों की 30–40 सालों से पैंडिंग पड़ी हुई हैं इसलिए आप उनके लिए अधिकारियों को एक स्टैंडिंग डायरैक्शन्ज जारी करें। अंत में मेरा एक सुझाव है कि आप भी हर तीन महीने में समितियों के चेयरपर्सन्ज तथा विभागों के ए.सी.एस. लैवल के अधिकारियों के साथ मीटिंग लें ताकि समितियों के काम को और अधिक प्रभावी किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं 31 मार्च, 2015, 2016 तथा 2017 को समाप्त हुए वर्षों के लिए लोक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2020–2021 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 67वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(V) सरकारी आश्वासन समिति की 50वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री जगबीर सिंह मलिक, चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति वर्ष 2020–2021 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 50वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति (श्री जगबीर सिंह मलिक): अध्यक्ष महोदय, समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मैं एक–दो बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। विधायकों के प्रश्नों पर मंत्रियों और मुख्यमंत्री की तरफ से सदन के पटल पर जो आश्वासन दिये जाते हैं उनको यह समिति पूरा करवाती है। हर विधायक चाहता है कि इसी टर्म में उनका आश्वासन पूरा होना चाहिए लेकिन बड़े

आश्चर्य की बात है कि 1992 से लेकर अब तक के आश्वासन पैंडिंग पड़े हुए हैं। ये क्यों पैंडिंग रहते हैं, इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? कई बार ऐसा होता है कि यहां सदन में मंत्री जी विधायक को खुश करने के लिए आश्वासन दे देते हैं और बाद में विभाग की तरफ से जवाब आता है कि यह काम फिजिबल ही नहीं है। जब हाउस में आश्वासन दिया जाता है उस समय जो अधिकारी रिपोर्ट देते हैं कि यह काम हो जायेगा और बाद में जब वह फिजिबल नहीं होता तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली टर्म में वे विधायक तो चले गये और उनकी जगह कोई दूसरा विधायक आ गया तो उस विधायक को जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं होता। उसने तो अपने हल्के में जा कर लोगों को बता दिया कि मैंने तो आपके काम की मंत्री जी से हां करवा दी है और बाद में वह काम नहीं होता है। उसके बाद वह पब्लिक में क्या बतायेगा। फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी का बहुत चक्कर पड़ता है। हमने एक पॉलिसी रिकमैंड की थी जिसको आपने रूल 223 में अमैंड किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके अतिरिक्त एक और समस्या यह है कि सरकार की जो लैंड एक्वीजीशन की पॉलिसी है उसमें हमें जो भी दिक्कत आती है उसके बारे में हमने सुझाव दिया है। किसी लैंड एक्वीजिशन के केस में यदि 30 प्रतिशत लोग लैंड देने के लिए इंकार कर देते हैं तो सारा हरियाणा सफर करता है। अब जैसे नैशनल हाई–वे पर गोहाना का बाईपास वर्ष 2015 में पास हुआ था। वह मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमैंट है और मंत्री जी ने भी हाऊस में दो बार इसके लिए हां कही हुई है कि हम उसको बनाएंगे लेकिन आज तक उसके लिए जमीन भी नहीं खरीदी गई क्यों? क्योंकि वहां लैंड एक्वीजिशन की पॉलिसी में जितने प्रतिशत लैंड एक्वीजिशन होनी चाहिए थी उतने प्रतिशत लैंड एक्वीजिशन नहीं हो पाई। वहां लोगों की डिमांड के हिसाब से, लोगों की जरूरत को देखते हुए क्या लैंड एक्वीजिशन की प्रतिशत्ता को पर्टिकुलर घटाया नहीं जा सकता है? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये चीजें हम इसलिए रिक्मैंड करते हैं ताकि लोगों के काम हो जाएं और उनको एश्योरैंस मिल जाएं। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए।

Speaker Sir, now I beg to present the Fiftieth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2020-2021.

(vi) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 44वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री ईश्वर सिंह चेयरपर्सन, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति, विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण/प्रतिनिधित्व, आरक्षित श्रेणियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार की लागू योजनाओं, विभिन्न मामले जिनमें स्वतः संज्ञान लिया गया था अर्थात् अनुसूचित जाति की श्रेणियों के विरूद्ध अत्याचारों के मामले, आरक्षित श्रेणियों को 100–100 वर्ग गज के आबंटित किए गए/आबंटित नही किए गए/बेकब्जा किए गए प्लाटों के मामले तथा आरक्षित श्रेणियों इत्यादि को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013" के दिशा निर्देशों के अनुसार खाद्य वस्तुएं उपलब्ध न करवाने तथा सरकार द्वारा इसकी 43वीं रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही पर वर्ष 2020–2021 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति की 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति (श्री ईश्वर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण/प्रतिनिधित्व, आरक्षित श्रेणियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार की लागू योजनाओं, विभिन्न मामले जिनमें स्वतः संज्ञान लिया गया था अर्थात् अनुसूचित जाति की श्रेणियों के विरूद्ध अत्याचारों के मामले, आरक्षित श्रेणियों को 100–100 वर्ग गज के आबंटित किए गए/आबंटित नही किए गए/बेकब्जा किए गए प्लाटों के मामले तथा आरक्षित श्रेणियों इत्यादि को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013" के दिशा निर्देशों के अनुसार खाद्य वस्तुएं उपलब्ध न करवाने तथा सरकार द्वारा इसकी 43वीं रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही पर वर्ष 2020–2021 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति की 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(vii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की आठवीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री दीपक मंगला, चेयरपर्सन, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति वर्ष 2020–2021 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति (श्री दीपक मंगला) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020–2021 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(viii) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की छठी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती सीमा त्रिखा, चेयरपर्सन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति, स्वास्थ्य सेवाएं तथा विद्यालय शिक्षा विभाग पर वर्ष 2020–2021 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग तथा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की छठी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति (श्रीमती सीमा त्रिखा): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूं मेरा निवेदन है कि मेरे साथी आदरणीय श्री हरविन्द्र कल्याण जी, आदरणीय मलिक साहब और श्री असीम गोयल जी ने जो विषय रखें हैं, उन विषयों पर विशेष गौर करें ताकि नई समितियों में थोड़ा प्रभावी और अच्छे तरीके से बेहतर कार्य हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य सेवाएं तथा विद्यालय शिक्षा विभाग पर वर्ष 2020–2021 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की छठी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

(ix) प्राक्कलन समिति की 48वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2019–2020 के लिए परिवहन विभाग के बजट अनुमानों पर वर्ष 2020–2021 के लिए प्राक्कलन समिति की 48वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति (श्री सुभाष सुधा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे वर्ष 2020–21 के लिए एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया और आपने तीन–तीन महीने के अंतराल में जो इस कमेटी के साथ मीटिंग करके कमेटी की कार्यप्रणाली को इंप्रूव करने के लिए जो मार्गदर्शन किया उसके लिए भी मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी के सभी माननीय सदस्यों भाई आफताब अहमद जी, अमित सिहाग जी, मेवा सिंह जी, प्रमोद विज जी, लक्ष्मण नापा जी, राव दान सिंह जी तथा सीता राम यादव जी हैं, इनका भी मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव देकर इस कमेटी को पूरा वर्ष बहुत ही अच्छी तरह से चलाने का काम किया। इसके अतिरिक्त हमारी विधान सभा के अधिकारी/कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने पूर्ण सहयोग देकर कमेटी को चलाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी ही एक ऐसी कमेटी इस बार रही जिसने निर्णय लिया कि कोविड के समय में कमेटी का कोई भी मैम्बर टूर पर नहीं जायेगा और हमने इस वर्ष कोई भी टूर बनाने का कार्य नहीं किया। इस कमेटी ने पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय भाई हरविन्द्र कल्याण जी ने कमेटियों की कार्यप्रणाली को सशक्त व प्रभावी बनाने संबंधी जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों के आधार पर अगर भविष्य में कमेटी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जायेगा तो यह बहुत अच्छा कदम होगा। Sir, now I beg to present the Forty Eighth Report of the Committee on Estimates for the year 2020-21 on the Budget Estimates for 2019-2020 Transport Department.

विधायी कार्य–

(i) प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नम्बर–2) बिल, 2021

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा विनियोग (संख्या–2) विधेयक 2021 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2021 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अब मुझे इस बिल पर बात रखने दी जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, अगर आप इस बिल पर चर्चा करना चाहते थे तो आपको पहले करनी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रिएशन बिल है और इसको पास कराने के लिए कंसीड्रेशन तो आपने अभी अनाउंस किया है और जब आपने कंसीड्रेशन के लिए बोला है तभी तो हम बोलेंगे ना? पहले आपको थोड़े ही इंट्रप्ट करेंगे? अब सभी लोग अपनी अपनी डिमांड्ज पर बोलेंगे और मैं सबसे पहले बोल लेता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जब इस बिल की सारी क्लाजिज पास की जा रही थी तब आपको बोलना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अभी तक क्लाजिज और इनैक्टिंग फॉर्मूला ही पास किया गया था, बिल तो अब पास किया जा रहा है। आप मुझे बोलने के लिए अलाउ कर दो। यह सभी एम.एल.ए. के लिए जरूरी है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप बोलिए।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से डिमाण्ड नं0 11 जोकि Sports and Youth Welfare से संबंधित है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात कर रही है। मैं कहता हूँ कि राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोहतक 94 एकड़ में बना हुआ है। उसकी व्यवस्था बिल्कुल

खराब है। इस स्टेडियम में न तो कबड्डी खेलने की सही व्यवस्था है और न ही रनिंग ट्रैक की सही व्यवस्था है। यदि सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात करती है तो यह स्टेडियम भी उसका एक पार्ट बन सकता है। वहां पर बच्चे ट्रेनिंग लेने और खेलने के लिये दूर–दूर से आ सकते हैं। सब कुछ उस स्टेडियम में अवेलेबल हो सकता है लेकिन उस स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिये एक स्पैशल पैकेज की आवश्यकता है। इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्टाफ और कोचिज की व्यवस्था हर खेल के मुताबिक सही तरीके से होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह राज्य की इतनी बड़ी संपत्ति है और यह किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जानी चाहिए। इस स्पोर्ट्स स्टेडियम की बिल्डिंग की थोड़ी ही मरम्मत की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ से संबंधित डिमाण्ड नं. 13 Health के संबंध में अपनी बात सदन में रखना चाहता हूँ। पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के लिये बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। मैं तो यह कहता हूँ कि 45 करोड़ रुपये वहां के कुछ ब्लॉकस की मरम्मत और नये ब्लॉकस बनाने के लिये पिछले साल पास हुए थे। सरकार कम से कम उसी बजट को ही रिलीज कर दे और इस साल में ही बजट देने का काम करे। यह बजट स्टेट फाइनांस कमीशन ने भी पास किया हुआ है और सरकार ने भी बजट पास किया हुआ है। दूसरी मेरी मांग यह है कि रोहतक में सुपर स्पेशिलिटी 100 बिस्तरों का एक अस्पताल प्रदेश नागरिकों के हित को देखते हुए जरूर होना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्ज हैं और हमारे डॉक्टर्ज एम्स के डॉक्टर्ज से भी ज्यादा योग्य हैं। मैं यह बात भी सदन में जरूर कहना चाहूँगा कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये पी.जी.आई. एम.एस. रोहतक के डॉक्टर्ज और स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किये बगैर आगे बढ़कर कोरोना मरीजों का इलाज किया है। Dr. Dhruva Chaudhary को कोविड–19 के दौरान Nodal officer Rohtak लगाया गया। पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के डॉक्टर्ज और उनकी टीम ने कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये सही तरीके से व्यवस्थाएं भी की थी। इस महान सदन को Dr. O.P. Kalra, Vice Chancellor, Pt. B.D. Sharma University of Health Science, Rohtak की और उनकी पूरी टीम की भी भूरि–भूरि प्रशंसा करनी चाहिए। Dr. Kalra was on the toes to make all these arrangements. अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमाण्ड नं0 22 जो कि Welfare of Ex-Servicemen से संबंधित है, के बारे में कहना चाहता हूँ कि पैंशनर्ज का स्लैब बहुत कम है। वर्ष 2014 में

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने पैंशनर्ज का स्लैब बढ़ाने का ऑर्डर किया था लेकिन इस सरकार ने पैंशनर्ज का स्लैब बढ़ाने का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। इस संबंध में हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था लेकिन सदन ने इसे नामंजूर कर दिया, मैं अब उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि पैंशनर्ज का स्लैब 10, 20 और 30 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमाण्ड नं0 32 जो कि Rural and Community Development से संबंधित है, उसके बारे में सदन में कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। On the floor of the House Hon'ble Chief Minister announced that every MLA will get Rs. 5 crore for the development in his/her constituency. I should not say but thing is only that there is discrimination so far as the allotment of that Rs. 5 crore is concerned. I don't want to say but the thing is that all MLAs are equal. अध्यक्ष महोदय, कई विधायकों को ग्रांट मिल चुकी है और कई विधायकों को नहीं मिली है। सभी विधायकों ने अपने–अपने क्षेत्र में विकास के कामों की रिपोर्ट पहले से सब्मिट कर दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि बजट सत्र की समाप्ति होने के बाद सभी विधायकों को अपने–अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक के विकास के कार्य करवाने के लिये ग्रांट दी जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं. 35 पर बोलना चाहूंगा । आज के दिन हमारा टूरिज्म डिपार्टमैंट बिल्कुल ठीक हालत में नहीं है । इस विभाग को चलाने के लिए सरकार ने कर्मचारियों की कोई नई भर्ती नहीं की है। इस समय सदन में माननीय मंत्री श्री कंवर पाल जी बैठे हुए हैं । इनके पास टूरिज्म डिपार्टमैंट है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि you are a dynamic person and your personality is also dynamic. ये इस विभाग का कुछ बढ़िया हाल करें । टूरिज्म को इस तरह से संवारना चाहिए ताकि साउदर्न स्टेट्स से मुकाबला कर सके । अब तो कोविड–19 बीमारी भी खत्म होने जा रही है, इसलिए इस तरह कुछ पैसा इनवैस्ट किया जाना चाहिए । अगर हम जी.टी. रोड से जा रहे होते हैं तो हम तो 'ओएसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स' जाते हैं लेकिन हमने देखा है कि उसमें कोई भी टूरिस्ट जाना पसन्द नहीं करता है । वहां पर स्थित बाकी सभी प्राइवेट टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज में हर समय रश होता है जबकि 'ओएसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स' घाटे में जा रहा है । This is only even one

example. हमारे पास 'राजहंस होटल' और 'यादवेन्द्रा गार्डन' के रूप में एक बहुत बड़ी धरोहर है । मेरा प्रश्न है कि इनको प्रमोट करके मैक्सीमम टूरिस्ट्स को इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं किया जाता ? हरियाणा में बड़खल झील है, होडल के पास डबचिक के रूप में इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज और असैट्स हैं । इन असैट्स को एक्सप्लॉयट करके tourism can be made more attractive. हमें अपने टूरिज्म को इतना डिवैल्प करना चाहिए कि हरियाणा के कुरूक्षेत्र या पेहवा में अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसका 'ओएसिस टूरिस्ट कॉम्पलैक्स' में या करनाल टूरिस्ट कॉम्पलैक्स की तरफ अट्रैक्टशन अवश्य होना चाहिए । अतः सरकार को इस क्षेत्र को तवज्जो देनी चाहिए । पिछले साल तो कोविड–19 बीमारी आ गई थी लेकिन अब तो वह भी खत्म हो गई है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अभी कोविड–19 बीमारी खत्म नहीं हुई है । कोविड–19 बीमारी अब दोबारा बढ़ रही है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं. 38 पर बोलना चाहूंगा । मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के ए.सी.एस. श्री देवेन्द्र सिंह से मिला था । अध्यक्ष महोदय, हमारे रोहतक शहर में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की बहुत बुरी हालत है । वहां पर गंदे पानी की निकासी का समाधान नहीं हो रहा है । इसके लिए मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी निवेदन किया था । मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल–21 कहता है कि कम से कम स्वच्छ पानी तो सबको मिलना ही चाहिए । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के रोहतक में पानी की बहुत समस्या है । इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए । इस मुद्दे को मैं कई बार उठा चुका हूं । इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत–से पत्र भी लिखे हैं । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहां ए. सी.एस. की ड्यूटी भी लगाई गई थी और वहां पर स्वयं मैं भी गया था । मैंने इस बारे में नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से जिक्र भी किया था । हुड्डा साहब ने इस बात का संज्ञान लिया क्योंकि इनका भी घर वहीं रोहतक में है । अतः मेरा निवेदन है कि हमारी इस समस्या का समाधान अवश्य होना चाहिए । अब मैं डिमांड नं. 39 पर बोलना चाहूंगा । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हैं और माननीय मंत्री जी श्री अनिल विज जी भी बैठे हैं । हमारे यहां पर 7 करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट से 'पंडित श्रीराम रंगशाला' बनी है । इसका शिलान्यास हुड्डा साहब ने किया था और इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी

ने किया था । इस पर आज के दिन कॉरपोरेशन डिपार्टमैंट ने अपना दफ्तर बना लिया है और वह वहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है । वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी रहती हैं और वहां पर पार्किंग बनी हुई है । जब वह रंगशाला 'आर्ट एण्ड कल्चर' और धरोहर को संजोकर रखने के लिए बनी है, इसलिए मेरा कहना है कि वहां से कॉरपोरेशन डिपार्टमैंट का कब्जा छूटना चाहिए और उसको किसी अन्य दफ्तर में शिफ्ट कर दिया जाए । वहां पर बेचारे कलाकार रोज धरने दे रहे हैं । 'पंडित श्रीराम रंगशाला' में कलाकारों की तैयारी के लिए ओपन थियेटर वगैरह सब कुछ बना हुआ है । अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी से निवेदन है कि उसकी मेंटेनैंस की ओर भी ध्यान देकर उसको अच्छी तरह से चलाया जाए । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, कोई ऑनरेबल मैम्बर बजट पर बोलता है तो कोई राज्यपाल अभिभाषण पर बोलता है तो कोई ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलता है । आपने मुझे बोलने के लिए अपॉर्च्युनिटी दी है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं । मैं आपकी इजाजत से सिर्फ 2–3 डिमांड्ज पर बोलना चाहूंगा । मैं सबसे पहले डिमांड नं. 9 (एजुकेशन) पर बोलना चाहूंगा । वर्ष 2016 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे हल्के बेरी में एक जलसा किया था । मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता कि उन्होंने वहां पर कितनी घोषणाएं की थी और उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं । मैं सिर्फ एक घोषणा की बात करना चाहता हूं जोकि बहुत ही इम्पोर्टैंट है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बेरी में 'गवर्नमैंट कॉलेज फॉर वूमन' खोलने की घोषणा की थी । (विघ्न) उस बात को मैंने सदन में भी उठाया था । सरकार की पिछली टर्म के दौरान एजुकेशन मिनिस्टर बेरी गये थे तो उन्होंने पंडित भगवत दयाल जी के नाम से गवर्नमैंट कॉलेज फॉर वूमन बनाने की घोषणा की थी और यह बात एश्योरैंस में भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे अपने रिप्लाई में यह बताएं कि उसका स्टेट्स क्या है ? क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव/फाइनेंशियल एप्रूवल मिल चुकी है ? क्या उसके लिए टैंडर जारी हो चुका है ? इन बातों के बारे में जानकारी दी जाए। स्पीकर सर, मेरी दूसरी बात डिमांड नम्बर 10 टैक्नीकल एजुकेशन के बारे में है। वर्ष 2013–14 में बेरी में गवर्नमैंट पॉलिटैक्निक कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल/फाइनेंशियल अप्रूवल हो चुकी

थी। इसमें सिर्फ टैंडर्ज होना बाकी था। लेकिन वहां पर वह फाउंडेशन स्टोन पहले की तरह ही रखा हुआ है, उससे आगे की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके स्टेट्स के बारे में जानना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त एक डिमांड माईंस एंड जिओलॉजी के बारे में है।

श्री अध्यक्षः डॉ0 साहब, आप कौन से नम्बर की डिमांड पर बोल रहे हैं ?

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह डिमांड नम्बर 26 है। इल्लीगल माईनिंग पूरे देश की समस्या है। इसको रोकने के लिए कुछ स्टेट्स ने प्रिवैन्टिव मैजर लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर एक डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समैंट बनाया जाए। जो सभी जगहों पर इल्लीगल माईनिंग को रोके ताकि स्टेट गवर्नमैंट को रिवैन्यू का लॉस न हो। यह मेरा सुझाव है। इसके अतिरिक्त 28 नम्बर डिमांड एनीमल हसबैंड्री के बारे में है। मैंने पिछली बार भी सैशन के दौरान हमारे लकड़िया गांव के बुफैलो रिसर्च इंस्टीच्यूट के बारे में बात की थी। यह रिसर्च सैंटर दिल्ली के एयर पोर्ट के नजदीक है और वहां पर बाहर से सीमैन आता था और उसको पूरे देश में सप्लाई भी किया जाता था। रोहतक, जीन्द और झज्जर मुर्राह नस्ल का सैंटर है। हमारे वहां पर एक मुर्राह रिसर्च सैंटर भी बना हुआ था। इसमें स्ट्रेन की इम्प्रूवमैंट बहुत ज्यादा देखने को मिली थी और उससे लोगों को ज्यादा फायदा हुआ था। इसकी बिल्डिंग किसी वजह से उस टाईम पर जर्जर हालत में होती चली गयी। बाद में इसके लिए टैंडर जारी करके 5–6 करोड़ रुपये में बिल्डिंग बनवा दी गई, लेकिन उस बिल्डिंग के बनने के बाद उसमें थाना खोल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपके माध्यम से सरकार से मांग की थी कि वहां पर पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए। बल्कि वहां पर बैफलो रिसर्च सैंटर खोला जाए। उस पुलिस स्टेशन को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, परन्तु वहां पर बुफैलो रिसर्च सैंटर नहीं खोला गया है। अध्यक्ष महादेय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर बैफलो रिसर्च सैंटर खोला जाए। वह करीब 10 एकड़ जमीन है और 5–6 करोड़ रुपये की लागत से वहां पर बिल्डिंग बनायी गयी थी। वह कम्पलीट बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, इसलिए वहां पर उस बैफलो रिसर्च सैंटर को चालू किया जाए। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। इसके अतिरिक्त डिमांड नम्बर 33 कॉरपोरेशन के बारे में है। को–आपरेटिव सैक्टर के तहत 2 संस्थाएं लैंड मार्टगेज बैंक और हरको बैंक आती हैं। ये दोनों संस्थाएं प्रदेश में काम

कर रही हैं जो किसानों को मनीलैंडर के चंगुल से बचाती हैं और उनको आसानी से लोन मिल जाता हैं। इन दोनों संस्थाओं में मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों से कोई इम्प्रूवमैंट नहीं हुआ है। हमारी सरकार के समय पर भी नहीं हुआ है, लेकिन अब ये संस्थाएं बैठ रही हैं क्योंकि इनमें नया इम्पलॉयमैंट नहीं दिया गया है। इनमें पूरी तरह से इम्पलॉयमैंट देकर इस स्ट्रक्चर को बचाया जाए ताकि किसान की एक्सफ्लायटेशन और किसानों का शोषण न हो और किसान अपने ढंग से आगे बढ़ सके। मेरी सरकार से यह डिमांड है। इसके अतिरिक्त मेरी अगली बात चुनाव आयोग के बारे में है। चुनाव आयोग को पता है कि पंचायतों के चुनाव कब होने हैं? स्वर्गीय पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के समय में पंचायती राज सिस्टम को एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की गयी थी। उन्होंने पंचायतों को बहुत से राईट्स दिये थे ताकि वे गांवों के उत्थान और कल्याण में भागीदारी कर सकें। हमारे हरियाणा प्रदेश में तकरीबन 6500–7000 पंचायतें है और अब इस सरकार ने इनकी कमान अधिकारियों के हाथ में दे दी है। इन पंचायतों में कोई डिवैल्पमैंट नहीं हो रही और न ही कोई अन्य कार्य किये जा रहे हैं। सरकार चुनाव आयोग का खर्चा उठा रही है। कौन सी ऐसी कमियां रह गई कि चुनाव आयोग उस चुनाव की रिक्वायर्ड डेट तक नहीं पहुंच पाया? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर–27 पर अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही गई थी कि किसानों की आय दुगुनी की जायेगी लेकिन इस बजट में ऐसी कोई बात सामने निकलकर नहीं आई है। जिससे यह बात साबित हो सके कि आने वाले समय में किसानों की आय दुगुनी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश यह जानता है कि आज किसान दिल्ली में इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। किसानों को लगभग साढे तीन महीने दिल्ली मे बैठे हुए हो गये हैं और वहां पर 300 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया कि मैंने जिंदगी भर शादी नहीं करवानी है। इनकी यह बात राष्ट्रप्रेम को दर्शाती है। इसी तरह से अब माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति भी राष्ट्रप्रेम दर्शायें। यह सदन केन्द्र सरकार को एक लाइन का प्रस्ताव भेजे कि इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापिस ले लें ताकि दिल्ली धरने में बैठे हुए जो किसान हैं, वे हंसी खुशी अपने–अपने घरों को लौट जायें। अगर किसानों के सब्र का बाण टूट गया तो देश और प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जायेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी से उसी राष्ट्रवाद की दुहाई देते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे देश और प्रदेश का किसान हमारा अन्न दाता है, वह पूरे देश का पेट पालने का काम करता है। नैशनल कैपिटल के चारों तरफ देश का देवता, अन्न दाता बैठा हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप इस सदन में वही बातें दोहरा रहे हो जो आपने पहले और बाकी सदस्यों ने भी दोहराई है और हाउस में इस विषय पर डिस्कशन हो चुकी है। आप उसी विषय पर फिर सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कोई नई डिमांड नहीं है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

श्री चिंरजीव राव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड नम्बर 30 और 34 पर बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछले 7 सालों से रिवाड़ी के मनेठी में एम्स को बनाने के लिए लगातार डिमांड की जा रही है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक वहां पर एम्स नहीं बनाया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और जनता से वायदा भी किया था। अगर सरकार मनेठी का एम्स नहीं बना सकती तो कम से कम वहां पर एक मैडिकल कॉलेज तो बना दिया जाये क्योंकि सरकार ने कहा था कि प्रदेश के हर जिले में मैडिकल कॉलेज बनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप जो बात बजट भाषण में बोल चुके हो वही बात आप इस डिमांड पर रिपीट कर रहे हो।

श्री चिंरजीव राव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में केवल मनेठी के एम्स के बारे में बात कर रहा हूं और यह मेरी डिमांड भी है।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आपने मनेठी एम्स वाली बात बजट भाषण पर भी कही थी।

श्री चिंरजीव राव : अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 सालों से रिवाड़ी में बस स्टैंड बनाने बारे भी लगातार डिमांड की जा रही है। वह डिमांड भी अभी लम्बित पड़ी हुई है। रेवाड़ी शहर के अंदर ट्रैफिक जाम हमेशा लगा रहता है क्योंकि बस स्टैंड शहर के अंदर बना हुआ है। हमारे रिवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम बना हुआ है, उसकी हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्टेडियम को अपग्रेड करने का काम किया जाये। इसके अलावा मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि कोरोना के कारण

सरकार की तरफ से जो मुझे ''वेगी'' (विधायक आदर्श ग्राम योजना) के तहत दी जाने वाली 2 करोड़ रुपये की ग्रांट अभी तक नहीं मिली है, इस ग्रांट को भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने का काम किया जाये।

श्री कुलदीप वत्स (बादली): स्पीकर सर, मैं मांग संख्या 23 पर बोलना चाहता हूं। वर्ष 2016 में मेरे हल्के में माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने मेरे बादली को सब–डिवीजन बनाया। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। मैं यहां पर हर बार यह बात बोलता रहा हूं इस बार भी मेरी यही रिकवैस्ट है कि मेरे बादली में जल्दी से जल्दी मिनी सैक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये क्योंकि इससे सभी विभागों के अधिकारियों में तालमेल नहीं हो पाता है और बहुत से आवश्यक कार्यों में अनावश्यक डिले हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आप स्पैसिफिक बात करें। यह कोई बजट भाषण नहीं है।

श्री कुलदीप वत्स : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा बादली से फरूखनगर तक की रेलवे लाइन बनवाने की भी की थी। मेरी मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है कि इस रेलवे लाइन का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाये। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माछरौली में बी.डी.ओ. और एस. एच.ओ. को बिठा दिया गया। मेरी यह रिक्वैस्ट है कि वहां पर उप तहसील का कार्यालय भी स्थापित किया जाये। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह मेरी पर्सनल रिक्वैस्ट है। अब मैं फूड के बारे में बात करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे बादली के मुनीमपुर गांव में एक नर्सरी बागवानी के लिए दी और दूसरी रहिया गांव में दी। जो मुनीमपुर गांव वाली नर्सरी है उसका काफी काम पैंडिंग पड़ा है। इस काम को जल्दी से जल्दी करवाया जाये मेरी सरकार से यही रिक्वैस्ट है। इसी प्रकार से मैंने बादली बाई–पास के लिए लिखित रूप में भी रिक्वैस्ट दी हुई है। स्पीकर सर, मेरे हल्के में सुबाना गांव में किसान मॉडल स्कूल वर्ष 2011 में बनना शुरू हुआ था लेकिन इस स्कूल का निर्माण कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है कि किसान मॉडल स्कूल के भवन का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाकर उसको शीघ्रता से अविलम्ब शुरू करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री मेवा सिंह (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय जी, मैं डिमाण्ड नम्बर 8 पर बोलना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि उन्होंने करनाल से लाडवा सड़क को फोर लेन का बनाने के लिए काम शुरू करवाया था। इस सड़क को सिर्फ करनाल डिस्ट्रिक्ट की बाउण्ड्री तक ही फोर लेन का बनाया गया है और कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जो इस सड़क का महज 6 किलोमीटर का हिस्सा आता है उसको छोड़ दिया गया। मैंने पिछले सैशन में भी इस बात को उठाया था। इस बार फिर से मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी लाडवा शहर तक फोर लेन का बनाया जाये। इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा भी की गई है कि इस सड़क को शाहबाद तक फोर लेन किया जायेगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इस सड़क के शाहबाद तक फोर लेनिंग के काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये। इसी प्रकार से एक सड़क पेहवा से यमुना नगर तक की है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन तीन स्टेट्स को यह सड़क जोड़ती है। हरियाणा प्रदेश के पेहवा, थानेसर, लाड़वा, रादौर और यमुना नगर इन पांच विधान सभा क्षेत्रों से होकर यह सड़क निकलती है। हरियाणा प्रदेश की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इस पर कई शुगर मिल्ज स्थापित हैं। मेरी सरकार से यह रिक्वैस्ट है कि इस सड़क को भी फोर लेन बनाने का काम जल्दी से जल्दी किया जाये। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लाडवा शहर के बाई पास का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये। यह बाई–पास बनाया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि लाडवा शहर में बाई–पास न होने के कारण सारा दिन लाडवा शहर में जाम लगा रहता है। जितना भी रेत, बजरी और पत्थर ले जाने वाला ट्रैफिक है वह लाडवा शहर के बाजार से होकर निकलता है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, उस समय लाडवा शहर के बाई–पास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लाड़वा बाई–पास के लिए जो जमीन एक्वॉयर होनी थी उसके सैक्शन–4 और सैक्शन–6 के नोटिस जारी हो चुके थे लेकिन हमारी पार्टी की सरकार के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है तब से लेकर आज तक लाड़वा शहर के बाई–पास के निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्य सरकार के स्तर पर नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से बार–बार यही रिक्वैस्ट है कि लाड़वा शहर के बाई–पास का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया

जाये। उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से पांच साल पहले पिपली का बस स्टैण्ड बनाने की घोषणा की हुई है। इतना ही नहीं अपितु माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो–तीन बार वहां पर मौके पर जाकर दौरा करने का भी काम किया है। मेरी सरकार से और विशेषकर परिवहन मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि पिपली बस स्टैण्ड का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये। इसी प्रकार से बबैन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महिला कॉलेज बनाने की घोषणा की हुई है। उस कॉलेज के निर्माण कार्य को भी जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये। अब मैं डिमाण्ड नम्बर 10 के सम्बन्ध में यह बोलना चाहता हूं कि मेरे हल्के के गांव उमरी में एक नया पॉलिटैक्निक कॉलेज बनाने का काम किया गया है। आने वाले शिक्षा सत्र से वहां पर क्लासिज की शुरूआत होने जा रही है। मेरा यह कहना है कि इस पॉलिटैक्निक में इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है। इस कोर्स की बच्चों में सबसे ज्यादा डिमाण्ड होती है क्योंकि इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स करके बच्चे ए.एल.एम. बन सकते हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वैस्ट है कि गांव उमरी के पॉलिटैक्निक कॉलेज में इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग के कोर्स का भी प्रावधान करवाया जाये।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं सारे हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहती हूं। मैं डिमांड नं. 30 और 31 के बारे में बोलना चाहती हूं। मैं फोरैस्ट एण्ड वाइल्ड लाईफ, इकॉलोजी और इनवायर्नमैंट पर अपनी बात रखना चाहती हूं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में भी यह बात कही गई है कि अरावली और शिवालिक फोरैस्ट लैंड पर बहुत जबरदस्त तरीके से दूसरी गतिविधियां हो रही हैं तथा उस जमीन को नॉन फोरैस्ट परपज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इनवायर्नमैंट के लिए फोरैस्ट कवर बहुत जरूरी है। आज के दिन फोरैस्ट लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। इनक्रोचर्स अरावली और शिवालिक फोरैस्ट लैंड को नॉन फोरैस्ट्री परपज के लिए हथिया रहे हैं। इस बारे में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हरियाणा के लिए इनवायर्नमैंट को देखते हुए यह एक अहम विषय है इसलिए इस मामले में आप अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, आने वाली पुश्तें आपको याद करेंगी।

श्री विनोद भ्याना (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा। जैसे हमारे साथी विधायक श्री रामकुमार गौतम जी ने मांग की है कि हांसी को जिला बना दिया जाये तो मैं भी यह मांग करता हूं कि हांसी को जिला बना दिया जाये। मैं इस महान सदन की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि 1857 से पहले हांसी जिला था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। 1857 की क्रांति का दंश हांसी को भुगतना पड़ रहा है। मेरे पास एक खबर है कि 1857 के विद्रोह में इस क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजी हुकुमत से जमकर लोहा लिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस विद्रोह से पहले हांसी में ही अंग्रेज प्रशासनिक प्रक्रिया सम्भालते थे। हांसी के लोगों ने इतना जबरदस्त लोहा लिया कि अगर उनका जिक्र करूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हांसी के डरडल पार्क में हुकुम चन्द जैन को फांसी दी गई थी। हांसी में जो लाल सड़क है वहां पर लोगों को गिरडी से रौंद दिया गया था जिसके कारण वह सड़क खून से लथपथ हो गई थी जिसके कारण आज भी उसको लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने हांसी से जिले का खिताब खींच लिया और हिसार को जिला बना दिया। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हांसी के इस 1857 के दंश को भुला कर हांसी को एक बार फिर से जिला बनाया जाये।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असन्ध) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे पहली मांग तो यह है कि असन्ध को जिला बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्षः गोगी जी, यह डिमांड नं.1 तो नहीं है। आप डिमांड्ज पर बोलिये।

श्री शमशेर सिंह गोगीः सर, मेरी तो सबसे पहली डिमांड यही है कि असन्ध को जिला बनाया जाये क्योंकि असन्ध बहुत बड़ा शहर है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने असन्ध में घोषणा की थी कि स्कूल में स्टेडियम बनाया जायेगा इसलिए वह स्टेडियम यथाशीघ्र बनवाया जाये। मेरी अंतिम डिमांड यह है कि असन्ध बाईपास बन गया है, रिंग रोड बन गया है। इसके अन्दर जो अनएप्रूव्ड कालोनियां हैं उनको एप्रूव किया जाये ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें।

श्री राव दान सिंह (महेंद्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 22 पर बोलना चाहता हूं जो वैल्फेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन से संबंधित है। हमें गर्व है कि हर 10 वां सैनिक हरियाणा से होता है। जब एक जवान अपनी फौज से या पैरामिलिट्री से रिटायर होकर अपने घर आता है तो वह अपने आशियाना की तलाश में या तो हुडा में प्लॉट के लिए अप्लाई करता है या हाऊसिंग बोर्ड में। सर, पीछे का रिकॉर्ड

उठाकर देखें तो पिछले 10 साल से जिन एक्स सर्विसमैन ने हुडा में प्लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों को आज तक कोई प्लॉट्स ड्रॉ में अलॉट नहीं हुए हैं। अगर किसी को अलॉट हुआ भी है तो उसको पोजैशन नहीं दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी 55 साल की उम्र में रिटायर होकर आया है तो 10 साल के बाद वह 60 से 70 साल की उम्र की तरफ पहुंच गया है लेकिन उसको अभी तक न तो वे पैसे वापिस मिले हैं जो उसने जमा करवाए थे और न ही उसको किसी प्लॉट या मकान का पोजैशन दिया गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस पर संज्ञान लें और अधिकारियों को बुलाकर पूछें कि ऐसे कितने केसिज हैं। मैं जो समझ पाया हूं और जो मुझे एक्स–सर्विसमैन के द्वारा बताया गया है, उसके अनुसार 13 हजार ऐसे केसिज हैं जो बेचारे दर–दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। प्लीज, आप उन पर ध्यान दें और उनका कोई समाधान करें।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं डिमांड नं. 25 के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अम्बाला शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक आई.एम.टी. बनाने की घोषणा की गई थी। मेरा निवेदन है कि इसके लिए इसी बजट में प्रावधान करा कर उसके काम को ई–भूमि पोर्टल पर डालकर सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए। इसी के साथ डिमांड नं. 35 जो टूरिज्म से संबंधित है के बारे में बोलना चाहूंगा। अम्बाला के लखनौर साहब गांव जिसका महत्व वैसे ही बहुत बड़ा है क्योंकि यह गांव गुरू गोविन्द सिंह जी का ननिहाल भी है में मुख्यमंत्री जी ने एक वैटर्नरी कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। जिस पर अब काम चल रहा है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लखनौर गांव माता गुजरी कौर जी का मायका स्थल है। वहां पर मुख्यमंत्री जी ने एक म्यूजियम खोलने की भी घोषणा की थी ताकि जो भी आगंतुक वहां पर आएं वे उस ऐतिहासिक स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरा निवेदन है कि इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा के मुताबिक उस पर काम चल रहा है लेकिन किन्हीं कारणों से अब वह काम थोड़ा सा रूका हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि उस रूके हुए काम को भी शुरू करवाया जाए क्योंकि अम्बाला को वामन भगवान के अवतरण की धरती माना जाता है। इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्य भी शायद मेरी इस बात से इत्फाक रखेंगे। सर, इसको आप चाहे डिमांड नं. 3 में लें, डिमांड

नं. 6 में लें, डिमांड नं. 8 में लें या डिमांड नं. 15 में लें। मेरा निवेदन है कि सभी हल्कों में विधायकों का कैम्प ऑफिस के साथ–साथ एक विधायक आवास भी बनाया जाए। मैं इस बारे में एक प्रश्न भी लगा चुका हूं। जिस तरह से हर विधान सभा स्तर पर सरकार अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था करती है उसी तरह एक विधायक आवास की व्यवस्था विद कैम्प ऑफिस हर विधान सभा हल्के में जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री संजय सिंह (सोहना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की पिछली घोषणा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। दुबालू माईनर से सेम की समस्या को दूर करने के बारे में हथीन और नूहं विधान सभा में घोषणा की गई थी लेकिन दोनों विधान सभा क्षेत्रों में घोषणा होने के बाद आज भी वह समस्या लंबित है। वहां किसानों की सेम की फसलें सेम की वजह से ज्यादा खराब हो रही हैं क्योंकि वहां पर करीब–करीब 35–40 गांवों में इस माईनर से पानी भरता है। एक तो वह घोषणा पूरी करवाई जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरा तारांकित प्रश्न 929 जोकि सोहना में नई अनाज मंडी को विस्तार देने के बारे में लगा था लेकिन वह टेक अप नहीं हो पाया था। सोहना बहुत बड़ा कस्बा है उसके आस–पास 80–90 बड़े गांव हैं जो सोहना में आते हैं। उसके साथ लगते जो मेवात क्षेत्र के किसान हैं वह अपनी फसल को बेचने के लिए सोहना में लेकर आते हैं लेकिन सोहना की अनाज मंडी सोहना शहर के अन्दर आ गई है जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति बन जाती है और जिससे बड़े व्हीकल्ज उस मंडी में नहीं पहुंच पाते हैं। सोहना का जो सामान्य अस्पताल है वह भी उसी मंडी के रास्ते में पड़ता है। कई बार उस जाम के कारण मरीजों की एम्बुलैंस समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से कई मरीजों की मृत्यु भी हो गई हैं। जब किसान अपनी कटी हुई फसल को लेकर आते हैं तो वहां जाम की स्थिति बनने के कारण मरीज अस्पताल में सही समय पर नहीं पहुंच पाता। इसके साथ–साथ मैं एक मांग और करना चाहूंगा। हमारे जो 90 साथी विधायक हैं उनका स्टाफ चाहे वह ड्राईवर की बात हो, चाहे सुरक्षा कर्मी की बात हो जब वे हमें सैक्रेटेरियेट जाने के लिए ड्रॉप करके आते हैं तो वह आकर बाहर खड़े होते हैं। अतः उनके लिए भी वहां बैठने की व पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी कुछ और मांगे

भी हैं। अगर आपकी सहमति हो तो इनको भी प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अगर इसके अतिरिक्त आपकी कुछ और मांगे हैं तो उनको रिटन में दे दें, उनको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाएगा।

*** श्री संजय सिंह** : ठीक है जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी ये मांग हैं कि मेरे सोहना तावडू क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सभी Exit पोस्ट/ Exit गेट मेन बाजार चौक पर C.C.T.V. कैमरे लगाए जाएं, सोहना नगर पालिका में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए एक मल्टी लैवल पार्किंग बनाई जाए, सोहना क्षेत्र में खेलों की एकेड्मी व सभी खेलों के कोच लगाए जाएं व उनके लिए मैदान बनाया जाए, सोहना में सीवरेज व्यवस्था की जाए, सोहना में वैध कालोनियों के साथ लगने वाली 42 अवैध कालोनियों को वैध किया जाए या फिर अवैध कालोनियों में पूर्ण रूप से विकास करने की अनुमति दी जाए, सोहना के अस्पताल को अपग्रेड करके उसमें स्टाफ की संख्या को बढ़ाया जाए, सोहना शहर में एक बड़ी मंडी का निर्माण किया जाए, सोहना में एक अलग से ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए। इसी के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोहना टूरिज्म कॉम्पलैक्स का सौंदर्यकरण किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि सोहना क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएं। इसी के साथ मेरे सोहना क्षेत्र की मांग है कि वहां 20 एकड़ में एक बड़ा पार्क बनाया जाए और गुरूग्राम से बिलासपुर व बिलास पुर से तावडू तक जी.एम.डी.ए. की बसों को चलाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग हैं कि तावडू में एक लघु सचिवालय, उपमण्डल में न्यायिक परिसर का निर्माण करवाया जाए, हुडा सैक्टर स्थापित किया जाए, बाईपास का निर्माण करवाया जाए, अस्पताल को अपग्रेड किया जाए व एक बड़े पार्क का निर्माण करवाना आदि मांगे हैं जिनको पूरा करवाया जाए। इसी के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग हैं कि सोहना शहर में हुडा द्वारा रेजिडेंशियल जोन के रास्ते बनवाए जाएं, National Science City को घामडोज की जमीन में बनाया जाए, भारत यात्रा केंद्र भोंडसी और दमदमा झील का विकास किया जाए और Warehouse Hub को ग्राम पंचायत हसनपुर (तावडू) की भूमि में बनाने जैसी मांगें हैं जिनको पूरा किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

———————————————————

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह कोई बजट भाषण नहीं है। अगर किसी सदस्य ने डिमांड पर अपनी कोई बात रखनी है तो वह अपनी डिमांड पर ही शॉर्ट में बोले। अगर आप सब बजट पर बोलने लगेंगे तो फिर दोबारा से वही बजट पर लम्बा भाषण हो जाएगा इसलिए कृपा अपनी डिमांड नं. बोलकर के उसके ऊपर किसी को कोई अपनी बात कहनी है तो वह एक मिनट में कह सकता है।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड्ज पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे कोसली उप–मंडल को नया विकास खंड बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कार्यकाल में 14 नए विकास खंड बनाये गए थे। कोसली क्षेत्र दिनांक 1.11.1989 से उप–मंडल है और नया विकास खंड बनाने की सभी शर्तें पूरी करता है। कोसली क्षेत्र के विकास के लिए, इसको खंड मुख्यालय का दर्जा देने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि तभी इस क्षेत्र के गांवों का विकास हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दक्षिण हरियाणा में दुग्ध संयंत्र लगाने की घोषणा की है, के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर दक्षिण हरियाणा की बात की जाये तो हमारे यहां जो खोल ब्लॉक है वह बहुत पुराना ब्लॉक है, इसके तहत तीन गांव आते हैं दहिना, दवाना तथा सिहां। यहां पर उपयुक्त जमीन भी उपलब्ध है यदि यह दुग्ध संयंत्र यहां पर लग जायेगा तो इससे आने वाले समय में मेरे क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माइनरों की मरम्मत तथा पुनर्निमाण के विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां चार–पांच माइनर हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन के कार्य की बहुत जरूरत है। चाहे दवाना माइनर हो, चाहे रामपुरी माइनर हो, चाहे जखाला डिस्ट्रीब्यूटरी हो या चाहे बोहका–मंदोला माइनर हो इनके रिहेबिलिटेशन कार्य की बहुत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक कृष्णावती नदी है, जिसका एक पार्ट, मामपुरा तक तो कंप्लीट हो चुका है और अगर यह मंदोला तक बन जाता है तो इससे इस क्षेत्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि प्रश्न काल के एक घंटे के दौरान मात्र 20 प्रश्न लगाये जाते हैं और एक प्रश्न पर सप्लीमैंट्री इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिन सदस्यों के लास्ट में प्रश्न लगे होते हैं उनका तो नम्बर ही नहीं आता। अतः इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि नारनौंद को सब–डिवीजन तो बना दिया गयालेकिन अभी यह लांडा–बुच्चा ही है क्योंकि इसमें अभी तक कोर्ट नहीं बनाई गई है जबकि यहां पर कोर्ट की बहुत बड़ी संख्या में मांग की जा रही है। हांसी कोर्ट में जितने केस चल रहे हैं उनमें मैक्सीमम केसिज नारनौद के हैं और हांसी के कम हैं। अतः इस पर गौर करने की बहुत जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पी.डब्ल्यू.डी (बी. एंड. आर.) की डिमांड न. 8 पर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस डिपार्टमैंट में करप्शन इतनी बड़ी संख्या में है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी सड़क नहीं बची है जोकि टूटी हुई न हो। अगर विश्वास न हो तो बेशक सरकार एक कमेटी बनाकर अपने अधिकारियों को यह सब चैक करने के लिए भेज सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सभी सड़कें टूट चुकी हैं और बहुत ही खराब हालत में हैं। हमारे यहां जो लोहारी राघो की सड़क है तथा डाटा गांव की सड़क है, ये बिल्कुल खत्म हो गई हैं। यहां पर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पहले इनको 12 फुट चौड़ी बनाया गया था मेरा निवेदन है कि अब इनको 18 फुट चौड़ा बनाया जाये। जहां तक सुलचानी से कागसर रोड व इस पर आने वाले पुल की बात है, तो यह भी बिल्कुल खस्ता हालत में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कितनी सड़कों का नाम गिनवाउं, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जोकि खस्ता हालत में न हो। मेरे क्षेत्र की सारी की सारी सड़के खत्म हो चुकी हैं और इनको दोबारा से बनाने की बहुत आवश्यकता है और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इन सड़कों को निर्माण किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमाण्ड नं0 13 हैल्थ, के संबंध में इस महान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में नागरिक अस्पतालों में डॉक्टर्ज और अन्य स्टाफ की बहुत भारी कमी है। नारनौल नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्ज और अन्य स्टाफ की कमी के कारण एक्सरे मशीन वैसे ही पड़ी हुई है क्योंकि उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब मैं डिमाण्ड नं0 9 एजुकेशन, के संबंध में कहना चाहता हूँ कि प्राईवेट स्कूलों में तो बच्चों के एडमिशन की भरमार रहती है लेकिन सरकारी स्कूलों में इसके विपरीत है। हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूल

8–10 एकड़ में बने हुए हैं लेकिन उन स्कूलों में न तो पढ़ाने वाले हैं और न ही पढ़ने वाले हैं। सरकार को एजुकेशन की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अमित सिहाग (डबवाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से डिमाण्ड नं0 9 एजुकेशन, के संबंध में इस महान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने चौटाला गांव में महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। यह महिला कॉलेज अपने सारे के सारे मापदण्ड पूरे करता है, इसलिए सरकार को वहां पर जल्दी से जल्दी महिला कॉलेज प्राथमिकता के तौर पर खोलने का काम करना चाहिए। मेरी दूसरी मांग यह है कि हमारे क्षेत्र में बनवाला गांव है वहां श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल है, जिसे वहां के स्थानीय लोगों ने सरकार के साथ मिलकर बनाया था। अब वहां के स्थानीय लोग महिला कॉलेज के लिये जमीन वगैरह भी देने को तैयार है और यह कॉलेज भी अपने सारे मापदण्ड पूरा करता है, इसलिए वहां पर महिला कॉलेज खोलने का काम भी सरकार को करना चाहिए। (**इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**) अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमाण्ड नं0 21 महिला तथा बाल विकास, के संबंध में सदन में कहना चाहता हूँ। सरकार बसों के अंदर सी.सी.टी.वी. लगवायें। मैं यह बहुत बड़ी आवश्यकता मानता हूँ। राशन डिपो खोलने के लिये महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए भी मैं यह मांग करता हूँ कि उसमें पहले जो हमारी महिला विधवा, विकलांग आदि हैं उनको प्राथमिकता देने का काम सरकार को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमाण्ड नं. 36 गृह, के संबंध में महान सदन में कहना चाहता हूँ कि हांसी को पुलिस जिला बनाया गया है। उसी तर्ज पर डबवाली को भी पुलिस जिला बनाया जाये ताकि डबवाली में बढ़ रहे नशाखोरों पर कंट्रोल किया जा सके।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हम गलत परम्परा की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा विनियोग विधेयक सदन के पटल पर रखा जाता है और उसमें जो डिमाण्ड्ज बताई जाती है उसमें केवल इतना ही प्रावधान होता है कि इसमें इतना बजट इस डिमाण्ड के लिये रखा गया है। डिमाण्ड इसलिए की जाती है कि मान लो किसी चीज के लिये 5 करोड़ 20 लाख रुपये रखे गये हैं तो उसके संबंध में इतना ही बोलना होता है कि इस डिमाण्ड के लिये यह बजट कम है या फिर ज्यादा है, इसलिए यह बजट घटा दिया जाये या फिर बढ़ा दिया जाये। डिमाण्ड पर बोलने का तरीका केवल इतना ही होता है। इस विषय के ऊपर तो

कोई भी माननीय सदस्य नहीं कह रहा है बल्कि अपने–अपने क्षेत्र में सरकार यह कार्य करवा दें, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जब बजट पर चर्चा का समय आया था तो उस समय माननीय सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याएं और विकास के कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखनी थी। जो अब हम डिमाण्ड के माध्यम से रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यह बात भी सही है कि सदन में विधायकों को हरियाणा विनियोग विधेयक के माध्यम से अपनी भावना केवल बतानी होती है। उस भावना को फाइनैंस डिपार्टमैंट के अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी नोट कर लेगा कि फलां माननीय सदस्य की यह डिमांड आई है । आगे जब सप्लीमैंट्री बजट या रिवाइज्ड एस्टीमेट आएगा तो उसमें उस डिमांड को शामिल करने का प्रावधान हो सकता है । इस बिल पर इस तरह से डिमांड रखने से तो हमारी अब तक की सारी मेहनत विफल हो जाएगी और बजट के लिए तीन दिनों तक और सैशन चलाने का प्रावधान करना पड़ेगा । अगर सदन तीन दिन और चलाना चाहें तो चलाएं क्योंकि मैं सभी की बातें सुन भी सकता हूं और उनके जवाब भी दे सकता हूं । मैंने इस सत्र में चार बार जवाब दिए हैं और सदन चाहेगा तो मैं एक बार और जवाब दे सकता हूं । मुझे 2 घंटे का जवाब देने में भी कोई दिक्कत नहीं है । मेरा प्रश्न है कि क्या हम ऐसी नई–नई परम्पराएं शुरू करेंगे कि एक ही चीज पर बार–बार डिस्कशन की जाए ? अगर मैं इसमें एक बात को पकड़कर उसका जवाब दूं कि माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बत्तरा जी ने हमसे पूछा कि सरकार रोहतक में मैडिकल एजुकेशन के लिए इतना पैसा कहां से लाएगी तो इसका जवाब तो बनता है कि मैडिकल एजुकेशन के लिए हमने लगभग 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है । उसी से मैडिकल कॉलेज बनेंगे और इससे संबंधित अन्य कार्य होंगे। मेरा कहना है कि कोई क्लैरीफिकेशन हो या किसी डिमांड में पैसे के आबंटन के कम ज्यादा करने की बात हो तो उसकी तो जस्टिफिकेशन बनती है लेकिन माननीय सदस्य द्वारा बस स्टैण्ड, सैक्रेटेरियट, कॉलेज आदि चीजों की मांग करने का इसमें प्रावधान नहीं होता । पहले तो इस पर बोला भी नहीं जाता था लेकिन अब हमने इस पर भी बुलवाना शुरू किया है । मैं चाहता हूं कि पुराने माननीय सदस्य या पार्लियामैंटेरियन्स बताएं कि इस पर बोलने का क्या उद्देश्य होता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं। ऐप्रोप्रिएशन बिल पर माननीय सदस्यों का बोलने का अधिकार होता है और वे

बोल सकते हैं । इसके लिए जिस डिमांड पर उनको बोलना होता है वे उसका नंबर बताकर उसमें कुछ इम्प्रूवमैंट करने आदि के बारे में बोल सकते हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय सदस्य डिमांड पर केवल उसके लिए आबंटित राशि को घटाने या बढ़ाने के विषय में बोल सकता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, मैं पढ़ देता हूं –

> The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demand for grants were under consideration.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य अपने इलाके से संबंधित डिमांड्ज को लिखकर विभाग में या वित्त मंत्री होने के नाते मुझे या किसी भी तरह अन्य तरीके से एक बार हम तक पहुंचा दें । उसके बाद जब भी विभाग कोई योजना बनाएगा तो उसमें माननीय सदस्यों की डिमांड को अवश्य कंसीडर किया जाएगा। अगर वह डिमांड फिजीबल पाई गई तो उसे अवश्य पूरा किया जाएगा । मेरा कहना है कि सदन में डिमांड करने को केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा जताने के लिए प्रयोग न करें क्योंकि फिर इसका कोई अर्थ नहीं रहता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

(ii) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा शोर्ट टाइटल्स अमैंडमैंट बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021 पर तुरन्त विचार किया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak) : Speaker Sir, It is a good effort and attempt made by the Government to change the name from 'Punjab' to 'Haryana' in any Bill from where it has come. लास्ट बजट सैशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा की थी । वह घोषणा अब तक पूरी नहीं की गई है । उन्होंने घोषणा की थी कि हम एक रिपीलिंग एण्ड अमैंडिंग एक्ट लेकर आएंगे । इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अगर विधान सभा में कोई बिल पास होता है तो वह मेन स्टैच्यूट का पार्ट बन जाता है लेकिन वे अमैंडमैंट बिल भी हमारे स्टैच्यूट के अन्दर रहते हैं । पार्लियामैंट में यह सिस्टम है, इसलिए यहां भी इसे किया जाए अदरवाइज यह इतना बड़ा हो जाएगा कि इनसे बड़े–बड़े कमरे भर जाएंगे । बिलों के बोझ को कम करने के लिए there should be one legislative Committee. इसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी भी लिखी हुई है ।

श्री अध्यक्षः बत्तरा साहब, इसके लिए लम्बा प्रोसैस है।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, इसमें रिपीलिंग एक्ट लाया जाए और इसमें किताबों और कानून का वजन घटाया जाए।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि यह एग्जास्टिव लिस्ट नहीं है क्योंकि बहुत से एक्ट और भी है। इसमें पंजाब लैंड रिवैन्यू एक्ट मेंन है और उसका इसमें कहीं पर जिक्र नहीं है। बहुत से एक्ट और हैं जिनका इसमें जिक्र नहीं है। आप टाइटल तो अमैंड कर देंगे लेकिन इसमें जगह– जगह पर हरियाणा के एक्ट्स में लिखा हुआ है कि arrears will be recovered as per Panjab Land Revenue Act. इनको कैसे अमैंड किया जाएगा? स्पीकर सर, Preliminary के Title, extent and commencement में लिखा हुआ है कि it shall be called as such. आप टाइटल तो डिलीट कर देंगे लेकिन इसकी बॉडी के अन्दर जहां–जहां पंजाब लैंड रिवैन्यू एक्ट का हवाला दिया हुआ है उसको कैसे डिलीट करेंगे ?

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, इसके लिए बाद में कमेटी बनाकर ठीक करवा देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसमें अमैंडमैंट करो कि whenever the 'Panjab Act' is written, that should be understood as 'Haryana Amendment'. आप इसमें अमैंडमैंट करवाएं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, It is not going to suffice unless आप उसकी बॉडी में भी प्रॉवीजन करें।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, आप उन जगहों को चैक करवा लें जहां पर 'as per Punjab Land Revenue Act' रिकवरी की जाएगी लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, हमने एक प्रपोजल बनाया है। इसके लिए एक कमेटी बनाकर एल.आर. से राय लेकर चीफ सैक्रेटरी तक उस पर डिस्कशन करने के बाद ही यह तय किया है। आज इसको पास कर देते हैं और अगर कोई कमी होगी तो उसको बाद में अमैंडमैंट करवाकर दोबारा से ठीक करवा देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यही कहना है कि यह अच्छा स्टैप है और अच्छी बात है। लेकिन आप बार–बार कब तक डिलीट करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, आज इसको पास कर देते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम इसको दोबारा सैशन में ले आएंगे। आज इसको पास कर देते हैं और अगर कोई कमी होगी तो उसको बाद में अमैंडमैंट करवा देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: स्पीकर सर, मैंने तो इसमें कमियां बतायी हैं। आप इनको कैसे दूर करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, आप इसके बारे में लिखकर दे दें। अगर कोई अमैंडमैंट की जरूरत होगी तो हम उसको ठीक करवा देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, आप बार–बार कौन–कौन से एक्ट में अमैंडमैंट करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, इसके लिए जो प्रोसैस होगा, उसके हिसाब से अमैंडमैंट करवा देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, आप इस बिल को अभी पास न करें क्योंकि अभी कई एक्ट रह गये हैं जो इस बिल में कवर नहीं हो पाए हैं। उनमें कैसे अमैंडमैंट किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

> कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

2. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

---

3. दि पंजाब लैबर वैल्फेयर फंड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय पुरातत्व एंव संग्रहालय राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय पुरातत्व एंव संग्रहालय राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

---

(4) दि हरियाणा कंटीजैंसी फण्ड (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्गण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक पारित हुआ।)

---

(5) दि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बिल, 2021

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री संदीप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा मोती लाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, राई को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। उसमें वाईस चांसलर के सम्बन्ध में होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार की कोई डॉयरैक्शंज आई हैं लेकिन वहां पर जो बेसिक स्पोर्ट्स स्कूल था वह हरियाणा के बच्चों के लिए था। यूनिवर्सिटी में हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। हरियाणा के बच्चे सभी स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर उनके लिए इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का ही कोई प्रोविजन नहीं है then what is the use of this Sports University for Haryana State's players? यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हमें स्पष्ट रूप में यह बताया जाये कि इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हरियाणा को क्या फायदा होगा? हरियाणा के खिलाड़ियों को इस यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है और न ही नौकरियों में ही हरियाणा के निवासियों के लिए किसी प्रकार के रिजर्वेशन का प्रॉविजन किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में खिलाड़ी के तौर पर एडमिशन लेने के लिए डोमीसाईल की कोई जरूरत नहीं है और न ही

नौकरी लगने के लिए ही किसी डोमीसाईल की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में दी जाने वाली नौकरियों में भी हरियाणा के निवासियों के लिए 75 परसैंट रिजर्वेशन का प्रावधान कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रॉविजन नहीं किया गया है। हमारे यहां के बच्चों में जो खेलों की इनहैरेंट क्वॉलिटी है और उनके लिए इस यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। इन सब बातों के कारण मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही रिक्वैस्ट है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाये और सिलैक्ट कमेटी की रिकण्डेशन आने के बाद ही इस बिल को सदन में पारित करवाने के लिए लाया जाये।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सैक्शन–6 में जो प्रावधान किया गया है वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। Provided further that no such special provision shall be made on the ground of Domicile. एक तरफ तो सरकार बिल लेकर आती है कि हम प्राइवेट सैक्टर में 75 परसैंट नौकरियां हरियाणा के युवाओं को देंगे और दूसरी तरफ यह जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है इसमें हरियाणा के युवाओं के लिए डोमीसाइल की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। इस बारे में सरकार स्पष्ट करे कि सरकार की नीति क्या है? इसमें दोनों तरफ की बात तो नहीं हो सकती है। इस प्रकार से तो आपने जो एक्ट पास कर रखा है वह पूरा का पूरा एक्ट ही कंफलिक्टि हो गया है, यह पूरा प्रोविजन कंफलिक्टिंग है। It conflicting the Bill that you have passed. अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाए और इसको दोबारा से पेश किया जाये ताकि हरियाणा के बच्चों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

श्री भारत भूषण बतरा(रोहतक): अध्यक्ष महोदय, अभी हुड्डा साहब ने और किरण चौधरी जी ने इस बिल के सैक्शन–6 के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सैक्शन–6 किस मकसद से लाया गया है, यह स्पोर्टस यूनिवर्सिटी बन रही है और किसके लिए बन रही है? सैक्शन–6 में जो प्रावधान किया गया है उसके तहत तो आप हरियाणा के युवाओं को उनके हकों से वंचित रखना चाहते हैं। मैं सैक्शन–6 के बारे में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:–

"The University shall be open to persons of any sex and of whatever caste, religion, race or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religions belief or progession in order to entitle such person to be appointed as a teacher of the University"…
इस प्रकार से टीचर के लिए तो आपने कर दिया। इसके बाद आपने एडमिशन का जो प्रोविजन किया है उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं :–

" Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women, persons with disabilities or of persons belonging to the weaker sections of the society and in particular, of the Scheduled Castes, and the other socially and educationally backward classes of citizens;"
अध्यक्ष महोदय, यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हम सभी के इंट्रस्ट के लिए है।

Provided further that no such special provision shall be made on the ground of domicile.
अध्यक्ष महोदय, जिस स्पोर्टस स्कूल को आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसके सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को आप इस यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रोस्पैक्टस भी मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में लिखा हुआ है :–

" 80 percent of the seats in class-iv are reserved for the children whose parents or guardians are the residents of Haryana and 20 percent seats are reserved for non-Haryana. Reservation seats will be strictly in accordence with the Government orders. उसके बाद क्या है
Recent certificate of father and grand father of the children in favour of his application that they are the residents of Haryana.Domicile के साथ आज तो एडमिशन हो जायेगा और जब आप उसको यूनिवर्सिटी बना देंगे तो उसमें हरियाणा के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप प्राइवेट सैक्टर में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत नौकरियां रिजर्व कर रहे हैं दूसरी तरफ स्पोर्टस यूनिवर्सिटी में हरियाणा के युवाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रख रहे हैं। इस प्रकार से हरियाणा के युवा कहां जायेंगे। अगर आप बाहर के बच्चों के लिए 20 प्रतिशत सीट्स छोड़ते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है

लेकिन हरियाणा के बच्चों के लिए इसमें रिजर्वेशन जरूर रखें। It's a concern for everybody. Its not a concern for us. हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा इस बारे में सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाये भले ही सिलैक्ट कमेटी का चेयरपर्सन सत्ता पक्ष का रख लेना लेकिन इस बारे में विचार–विमर्श होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसको सिलैक्ट कमेटी को रैफर नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपनी अमैंडमैंट सदन के पटल पर रखता हूं। जब इससे संबंधित क्लॉज आयेगी उस समय मेरे अमैंडमैंट को टेकअप कर लेना। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि बहुत सी बातें उस समय सामने आती हैं जब विधान सभा के माननीय सदस्य यहां चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है कि जब बिल बनाया जाता है तो उस समय कुछ बातें ध्यान में नहीं रहती। मैं समझता हूं कि यह ठीक बात है कि इसके अन्दर कुछ चीजें और विचार करने योग्य हैं इस लिए मेरा भी सुझाव यही है कि इस बिल को अभी हम सिलैक्ट कमेटी को दे दें और टाईम बाऊंड तरीके से उस सिलैक्ट कमेटी को कहा जाए कि उसकी रिपोर्ट दे ताकि इसको जल्दी से पास किया जा सके क्योंकि पहले ही लम्बे समय से यह सैंट्रल एक्ट में जाकर अटक गया था। अब ये दोबारा न अटके इसलिए जो कुछ प्रावधान इसमें करने होंगे, सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट लेकर दोबारा से कर देंगे।(विघ्न)

———————————

चयन समिति के गठन सम्बंधी सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सिलैक्ट कमेटी बनाने के लिए आपकी एप्रूवल चाहिए। यह जो 'हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय' बिल है, इसके ऊपर सिलैक्ट कमेटी का गठन करने का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर हम सब की सहमति चाहते हैं। 'हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021' के संबंध में सिलैक्ट कमेटी बनाने बारे रूल 132 के अधीन सिलैक्ट कमेटी के सदस्य हाऊस द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 15 सदस्यों से अधिक यह कमेटी नहीं होनी चाहिए। अगर हाऊस सहमत हो तो जो नाम सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और निर्दलीय विधायक देंगे। उन नामों से सिलैक्ट कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। मैंने यह प्रस्ताव आपके समक्ष रखना था। धन्यवाद।

———————————

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

6. दि हरियाणा रिक्वरी ऑफ डैमेजिज टू प्रोपर्टी डयूरिंग डिस्टरबैंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृहमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए।

गृहमंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

> कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहां पर भिन्न–भिन्न विचारधारा के लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप मुझे इसकी प्रस्तावना तो पेश करने दीजिए। Now it is your property. (शोर एवं व्यवधान)

श्री रधुवीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मंत्री जी तो प्रस्ताव ही पेश कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि जब एक बार बिल कंसीड्रेशन के लिए मूव कर दिया जाता है तो उसके बाद मंत्री जी अपनी बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कह सकते हैं। किसने रोका है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह कौन से रूल में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से रूल में है। मंत्री जी, अभी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : कादियान जी, हम तो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, इस प्रस्ताव के बारे में आपको दो मिनट सुनने में क्या दिक्कत है।(शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं और वे उसकी भूमिका बना रहे हैं तो उसको सुनने में आपको क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह भारत लोकतांत्रिक देश है। जब हम आजाद हुए तब हमने प्रजातंत्र की व्यवस्था को चुना और उस वक्त यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती थी। प्रजातंत्र में भिन्न–भिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो बिल को कंसीड्रेशन के लिए रख दिया है। Let the House consider it. यह गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपने क्या कंसीडर करना है। उसी के बारे में तो मंत्री जी बोल रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को बिल कंसीड्रेशन के लिए मूव होने से पहले बोलना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको ज्यादा छूट दे रखी है उसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं इसलिए ये ज्यादा बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप इनको सुनना नहीं चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और उसमें भिन्न–भिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं।(शोर एवं व्यवधान) कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति अपनी पोलिटिकल फिलोस्फी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी आन्दोलन कर सकता है। कोई भी धरना, जुलूस और भूख हड़ताल कर सकता है। यह प्रजातंत्र में अधिकार है। हम ये बिल किसी प्रकार के धरने वगैरह करने वालों के खिलाफ नहीं ला रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको सुनने में क्या दिक्कत है।(शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, मेरी विनती है कि मंत्री जी आप लोगो को बता रहे हैं कि वे क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, किस लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा को प्रकट करने के लिए धरने, जुलूस, प्रदर्शन कर सकता है। हम ये बिल उसके खिलाफ नहीं ला रहे हैं। पिछले लम्बे समय से देखा गया है कि धरने प्रदर्शन की आड़ में वायलैस हो जाती है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, रूल्ज के अनुसार मंत्री जी इस बिल पर बोल नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हाऊस के आखिरी दिन मैं आपकी

प्रशंसा करना चाहता था क्योंकि आपने हाऊस में बहुत इम्प्रूवमैंट किया है। आप हमें यह बता दें कि मंत्री जी कौन से रूल के तहत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, ऐसा क्या है कि मंत्री जी बिल के ऊपर बोल नहीं सकते।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हम ये बिल लोगों के प्रजातांत्रिक हक को सुरक्षित करने के लिए लेकर आए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह किसी भी रूल के अन्दर नहीं है इसिलिए मंत्री जी इस बिल पर नहीं बोल सकते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मंत्री जी बिल के ऊपर ही बोल रहे हैं, बिल से बाहर थोड़ी बोल रहे हैं। वे यह बता रहे हैं कि वे किस बारे में बिल प्रस्तुत कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के 55 साल के कैरियर में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के प्रजातांत्रिक हकों को दबाने या रोकने के लिए यह बिल नहीं ला रहे हैं बल्कि हम तो खुद धरने प्रदर्शन करते रहे हैं और हम कभी भी प्रजातांत्रिक हकों के खिलाफ नहीं रहे हैं। कोई भी संगठन कोई भी जत्थेबंदी अपने हकों के लिए प्रदर्शन कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को प्रस्तुत किया गया तो विपक्ष द्वारा कहा गया कि इस बिल को किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 110 दिन से ज्यादा हो गए है, किसानों ने एक पत्ता तक तोड़ने का काम नहीं किया है। ये कैसे कह सकते हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, इस बिल का किसी भी तरह से किसान आंदोलन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की भिन्न–भिन्न अथारिटीज ने संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया था कि धरने प्रदर्शन की आड़ में कोई वॉयलैंस न हो इसके लिए कोई कानून बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि in the case of M.C. Mehta Vs Union of India reported in AIR 1987 SC 1986:(1987) 1 SCC 395 directed to lay down such principles of liability in almost all such incidents. इसे करने के लिए कहा है। इसी प्रकार इसी तरह के एक इंसीडेंट में Hon'ble Supreme Court initiated suo moto proceedings in the case of Destruction of Public and Private Properties Vs State of Andhra

Pradesh and others. धरने प्रदर्शन करें लेकिन लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि धरने प्रदर्शनों की आड़ में वॉयलेंस हो जाती है। लोगों के घर जला दिए जाते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं, साइकिलें जला दी जाती हैं, सरकारी दफ्तर जला दिए जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में तोड़–फोड़ कर दी जाती है तो इन चीजों को रोकने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। हम लोगों के प्रजातांत्रिक हक को रोकने के लिए यह बिल नहीं ला रहे हैं। किसी को धरना करना है तो कीजिए, भूख हड़ताल करनी है तो कौन मना करता है? प्रदर्शन करना है तो कौन रोकता है? हमने तो नहीं रोका? इन लोगों ने रेल रोकी हमने तो इनको नहीं रोका? रास्ता रोका हमने तो इनको नहीं रोका? धरने प्रदर्शन करें लेकिन कोई भी धरने प्रदर्शन की आड़ में वॉयलेंस करे, इसको नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, इस तरह के बिलों का सहारा लेकर जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है? सरकार द्वारा बार बार कानूनों की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, सदन में बिल के संदर्भ में जो प्रक्रिया एडॉप्ट की जाती है वह इस प्रकार होती है कि बिल इंट्रोड्यूज हो गया, कंसीड्रेशन के लिए आ गया, उसके बाद उस बिल पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद रिप्लाई दिया जायेगा लेकिन यहां तो बिल्कुल उलट किया जा रहा है। बिल इंट्रोड्यूज होने के बाद ही उसके एम्ज एंड ऑब्जैक्टिव के बारे में बताया जा रहा है। कवंर पाल जी, सदन में बैठे हैं वे पिछले पांच साल तक स्पीकर के पद पर रहे, भला कभी इन्होंने ऐसा किया? पिछले पांच साल में कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया था?

श्री अध्यक्षः कादियान जी, सदन में बहुत सी चीजें पहली बार की जा रही हैं? आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः कादियान जी, आप आपनी बात कर लेना लेकिन एक बार मुझे भी तो अपनी बात क्लीयर कर देने दो। Let me clear my stand. (Noise and Interruption)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह रॉंग प्रोसीजर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप बात तो सुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी बात रख लेना। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, कादियान जी कानून की बात करते हैं, मैं भी उनको कानून की ही बात बता रहा हूँ कि जब भी सदन में कोई विषय विचार के लिए आता है तो सदन उस पर चर्चा करता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह विषय नहीं है, यह बिल है? बिल इंट्रोड्यूज हो गया, बिल कंसीड्रेशन के लिए आ गया, कंसीड्रेशन के बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद रिप्लाई दिया जायेगा। बिल के संबंध में जो प्रक्रिया एडॉप्ट की जाती है वह यह होती है। आप लोग रॉंग प्रोसीजर एडॉप्ट कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अगर बिल लाया गया है तो क्या बिल के जो एम्ज एंड ऑब्जैक्टिव्ज हैं उनके उपर चर्चा नहीं हो सकती? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिह कादियानः अध्यक्ष महोदय, बिल की कंसीड्रेशन के बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद रिप्लाई दिया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी ने सदन का काफी समय एक छोटी सी बात पर खर्च कर दिया है। अब मैं सदन के माध्यम से विपक्ष के हमारे साथियों को क्लीयर बताना चाहूंगा कि सदन में बिल का प्रस्तुतकर्ता अपने बिल के एम्ज एंड ऑब्जैक्टिव्ज को लिखा होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी प्रकार से समझाने के लिए फ्री है। बिल जिस समय इंट्रोड्यूज होता है, उसके एम्ज एंड आब्जैक्टिव्ज को समझाने का काम इसी समय में ही किया जाता है। बिल के इंट्रोड्यूज होने के बाद, क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा होगी और इसके बाद आप लोग बिल के उपर चर्चा करना कि यह बिल क्यों लाया जा रहा है और तब उस बात को सरकार को बताना होगा। आज से हम इस नई परंपरा को शुरू कर रहे हैं और यह आगे के लिए भी जारी रहेगी और जो प्रस्तुतकर्ता होगा वह बिल के एम्ज एंड ऑब्जैक्टिव्ज पहले बतायेगा कि आखिरकार वह सदन में बिल क्यों लेकर आ रहा है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में विचार के लिये आता है, उस विधेयक पर सदन अपने सुझाव देता है और संबंधित मंत्री उस विधेयक के संबंध में अपना जवाब सदन में देता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले यह कभी नहीं देखा कि विधेयक विचार के लिये सदन में आये और संबंधित मंत्री व्याख्या करनी शुरू कर दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, बिल से संबंधित मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करते हुए, क्यों हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं, इस बिल को लाने का क्या कारण है, क्या इस तरह की तमाम बातें सदन को नहीं बता सकते? (शोर एवं व्यवधान) सरकार एक नई परंपरा शुरू कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप जो फैसला लेते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं लेकिन हम सदन को सही बात तो बता सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मुझे लगता है कि संबंधित मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए objects and reasons सदन को बताते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, 55 साल के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, जो काम दशकों से नहीं हुए थे और वे अब हो रहे हैं। हम लोग इसको एक नई शुरूआत समझे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि जब कोई संबंधित माननीय मंत्री बिल को सदन में प्रस्तुत करता है और उस बिल के संबंध में डिटेल में सदस्यों को समझाने की कोशिश करता है तो मैं इस महान सदन से यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कानून है जो संबंधित माननीय मंत्री जी को बोलने से रोकता है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा कानून है जो बोलने की आज्ञा देता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, न तो ऐसा कोई कानून है जो बोलने से रोकता है और न ही ऐसा कोई कानून है जो बोलने की आज्ञा देता है। अगर माननीय मंत्री जी एक नया प्रैसिडैंट शुरू कर रहे हैं तो सदन को क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से कुछ कहना चाहता हूँ। हुड्डा साहब पहले रोहतक लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए इन्हें सब बातों का अच्छी तरह से पता है। जब भी पार्लियामैंट्री प्रोसीज़र में कोई बिल विचार के लिये आता है तो संबंधित मंत्री हाउस को अपने समर्थन की मांग के लिये हमेशा ब्रीफ स्पीच पार्लियामैंट में देता रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक अच्छी नई सोच की शुरूआत हो

रही है। संबंधित माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हाउस की सहमति उस विधेयक के पक्ष में बढ़े। जो लोगों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है वह हटाया जाये। कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण ने इस महान सदन का 15 मिनट का कीमती समय इन बातों पर बहस करके बर्बाद कर दिया है कि आज सदन में नई प्रथा की शुरूआत क्यों की जा रही है। मैं तो चाहता हूँ कि सदन को इस नई शुरूआत की प्रशंसा करनी चाहिए। (**इस समय मेजें थपथपाई गईं।**)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सदन में 'चोर की दाड़ी में तिनका' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है । (शोर एवं व्यवधान) आज इस बजट सत्र का लास्ट डे है और मेरे मन में आपके प्रति इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपका धन्यवाद ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने विधान सभा में बहुत–से क्षेत्रों में इम्प्रूवमैंट करने की कोशिश की है । इसके लिए हम आपकी दिल से तारीफ करते हैं । स्पीकर की यह जो चेयर है यह एक प्रकार की ट्रेनिंग है । आप इस समय स्पीकर की ट्रेनिंग कर रहे हो । हमें अपने कार्यकाल में जब तक यह स्पीकरी समझ में आई तब तक हमारी स्पीकर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी । अतः हमारा सूत नहीं बैठा ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप तो ट्रेंड हो लेकिन मैं अभी अनट्रेंड ही हूँ ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो बिल आया है यह हमारे मन में कई शंकाएं पैदा करता है । ऐसी कौन–सी आफत आन पड़ी थी कि सरकार को इस बिल को लाना इतना जरूरी हो गया । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन–सी जरूरत आ गई थी कि केन्द्र सरकार द्वारा पार्लियामैंट में भी अध्यादेश लाए गए ? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत थी । केन्द्र सरकार के कानूनों के बारे में भी यही बात सामने आईं कि जिनके लिए वे कानून लाए गए थे वे स्वयं ही उन कानूनों के हक में नहीं थे । जिस तरीके से उन कानूनों ने किसानों के मन में शंकाए पैदा की उसी तरीके से यह बिल भी हमारे मन में शंकाएं पैदा करता है । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से इस बिल के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । (विघ्न) माननीय गृह मंत्री जी sitting murmuring ना करें । हम माननीय गृह मंत्री जी के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए इनको हमारी बात सुननी चाहिए । माननीय मंत्री जी बहुत लर्नड और भले इंसान हैं । इनका सारे प्रदेश में रूतबा है और इनको हमारी बात को ध्यान से

सुनना चाहिए । यह बिल सदन में जिस ढंग से लाया गया है उससे यह शंकाएं पैदा करता है । यह बिल ऐसे समय पर लाया गया है जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य सदन में इस तरह से वक्तव्य दे सकते हैं ? क्या ये क्लॉजिज पर बोल रहे हैं ? माननीय सदस्य मुझको तो बोलने से रोक रहे हैं और सदन में खड़े होकर स्वयं भाषण दे रहे हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को क्लॉजिज पर बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तावना की है । माननीय सदस्य उस पर भी एतराज कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) सदन में जो बिल इंट्रोड्यूज हुआ है मैंने उसका सदन को संक्षिप्त विवरण दिया है । (विघ्न) माननीय सदस्य उस पर तो एतराज कर रहे हैं और स्वयं केन्द्र सरकार के कानूनों को काले कानून कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं इस बिल में इनका कहां विवरण है? माननीय सदस्य हमें सारा बिल पढ़कर बता दें कि कहां पर तीन कानूनों का वर्णन है । विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सब्मिशन है कि इस बिल में स्मैल आ रही है क्योंकि आज अभिव्यक्ति की आजादी का स्तर गिर रहा है । अगर कोई आदमी किसी के समर्थन में कोई बात कह देता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकद्मा दर्ज कर दिया जाता है । इसी तरह टूलकिट के मामले में लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, इन सब घटनाओं को देखकर लगता है कि आज देश बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है । आज के दिन देश में कोई मामूली हालात नहीं हैं । जब देश में आग लगी हो तो हम उससे दूर नहीं जा सकते । We should be concerned. हमको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है । We are literary person. हम जनता के भले के लिए सोच–विचार कर सकते हैं । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को दोबारा आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बिल का किसान आन्दोलन से कोई भी ताल्लुक नहीं है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस बिल का किसान आन्दोलन से कोई भी ताल्लुक नहीं है तो सरकार में गिल्टी कोंशियस क्यों है ? (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस बिल का किसान आन्दोलन से कोई भी ताल्लुक नहीं है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में न तो कोई प्रश्न पूछा है और न ही हमने इस बारे में कुछ कहा है । हमने इस बिल को किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं बताया है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बिल स्केरिंग बिल है । It accounts to scaring.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि इस बिल का किसान आन्दोलन से कोई भी ताल्लुक नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सरकार का मतलब होता है – भय रहित समाज । अतः सरकार का काम जनता का भय दूर करना होता है । सरकार का काम जनता में भय का माहौल पैदा करना नहीं होता । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हरियाणा में किसानों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, सरकार का मतलब होता है – भय रहित समाज । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह बात तो माननीय सदस्य के दिमाग की उपज है । हमारे दिमाग में यह बात नहीं है । हम तो यह बिल किसान आन्दोलन के शुरू होने से पहले ही तैयार कर रहे थे । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों की तरफ से यह बात नहीं कही गयी है। माननीय मंत्री जी यह बात क्यों जोड़ रहे हैं ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य के मन की ऊपज है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी खुद guilty conscious हैं और सदन के नेता इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने अभी तक इस विषय में कुछ नहीं कहा है। ये खुद ही इस बात को किसान आंदोलन से जोड़ रहे हैं। ये guilty conscious हो गये हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, यह बिल किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह बिल तोड़–फोड़, आगजनी और लूट–पाट करने वालों से जुड़ा हुआ है। आज यह फैसला करना है कि क्या विपक्ष के माननीय सदस्य तोड़–फोड़, लूट–पाट, आगजनी या अराजकता फैलाने वालों के साथ हैं या पीसफुल आंदोलन करने वालों के साथ हैं ? इस बात का फैसला करना है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी ही बताएंगे ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार तो हम भी अपनी बात कहने लग जाएंगे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, he is referring me, I have every right to explain my stand.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इन बातों का रिप्लाई बाद में दे सकते हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैंने उनकी बात का ही रिप्लाई दिया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इसमें यह क्लीयर कट लिखा हुआ है। सरकारों का प्रजातंत्र में विश्वास होता है। इस देश के लिए फ्रीडम फाइटर्ज ने फांसी के फंदों को चूमते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। उनको बर्फीली चट्टानों पर लेटाकर कोड़े मारे गये थे। उन शहीदों का एक सपना था कि हमारा समाज भय रहित समाज हो।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, सरकार उन्हीं के सपनों को पूरा कर रही है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने भी यही बात कही थी कि दिमाग ज्ञान से भरा हुआ हो। इस बिल में infringement of fundamental rights नजर आता है। इस बिल में लोगों के फंडामैंटल राईट के ऊपर कुठाराघात नजर आता है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं ? क्या तोड़–फोड़ और आगजनी करने का फंडामैंटल राईट है ? यह कहां का फंडामैंटल राइट है ?

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इसमें एक वर्ड "instigators" आया हुआ है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा।

श्री असीम गोयलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी के घर में लूट –पाट करना फंडामैंटल राईट है? माननीय सदस्यों को इस बिल को पहले पढ़ लेना चाहिए ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या पहले घर लूटने वालों को सजा देने का कानून नहीं था ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि जब इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेंगे तब किसी क्लॉज में लगता है कि उससे फंडामैंटल राईट का इंफ्रिंजमैंट हो रहा है या कोई शंका है तो उसी समय क्लीयर करना चाहिए। विपक्ष के माननीय सदस्यों को केवल शंका के आधार पर ही कहीं ऐसा न हो जाए– कहीं ऐसा न हो जाए, इस पर बहुत ज्यादा सदन का समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। विपक्ष के माननीय सदस्य इस बिल को मूव करने के बाद एक–एक क्लॉज पर विचार करें और उस दौरान कोई आब्जैक्शन है तो उसके बारे में पढ़कर बताएं कि इस शब्द पर शंका है। इसलिए एक बार इस बिल को मूव होने दें, उसके बाद क्लॉज बाई क्लॉज विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बिल मूव तो पहले ही हो चुका है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में एक रिफ्लैक्शन है। वह रिफ्लैक्शन यह है कि जहां सरकारे प्रजातंत्र में भय रहित समाज की संरचना करती हैं, वहीं इस बिल से डर– भय की एक स्मैल आ रही है। जैसा अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यह बिल किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह बात यही कर रहे हैं, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि यह बिल इस प्रदेश को बांटने के लिए लाया गया है। सरकार द्वारा जो निन्दा प्रस्ताव लाया गया था वह भी प्रदेश को बांटने के लिए लाया गया था। इस बिल से प्रदेश के लोगों को बांटने के लिए एक भय क्रिएट किया जा रहा है। इसमें यह स्मैल आ रही है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को स्मैल आ रही है तो इनको अपनी नाक का इलाज करवाना चाहिए।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें एक 'इंस्टीगेटर्ज' वर्ड है। मान लीजिए, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और एक आंदोलन हो गया। जैसे दिल्ली के डिप्टी सी.एम. श्री मनीष सिसोदिया के घर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग मिलने आये थे तो वहां पर कुछ प्रोपर्टी डैमेज हो गयी। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और आपका नाम इंस्टीगेटर्ज में ले लिया गया तो आप क्या करेंगे ? इस बात पर सरकार सफाई दे।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अगर कोई वॉट्सअप के ऊपर या सोशल मीडिया से इन्स्टीगेट करता है तो वह इंस्टीगेशन है। इसमें कोई भी अपने घर पर बैठकर यह काम कर सकता है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह 'इंस्टीगेटर्ज' वर्ड बड़े कैल्कुलेटिड तरीके से लाया गया है। यह सत्ता का खेल है। ये मैजोरिटी के आधार पर इस बिल को पास भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, पहले आप इस बिल पर डिस्कशन होने दें।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बिल के द्वारा जनता पर बेरहमीपन और निर्दयीपन न करें। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों को लोगों के मकानों और दुकानों को जलाने की इजाजत दे दी जाये। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सदन के नेता से यह रिक्वैस्ट है कि इस बिल को विद होल्ड किया जाये या सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाये। (विघ्न) मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा–

निसार मैं तेरी गलियों के ऐ–वतन, कि जहां
चली है रस्म कि कोई न सर उठाके चले।

अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का बिल है कि कोई सर उठाकर नहीं चल सकता है। यह विंडिक्टव बिल है। It amounts to the feeling of vengeance यह ब्रूटल है, यह निदंनीय है। (विघ्न) मैं यह बात जिम्मेवारी के साथ कहता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बिल को लेकर आई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पहले बिल के Statement of Objection and Reasons पर ले जाना चाहता हूं। इसमें इन्होंने कहा है " lawful or unlawful, including riots" और आखिर में क्या लिखते हैंः–

"...In order to prevent recurrence of such circumstances, there should be a legal framework to cause deterrence in the minds of the perpetrators of violence as also the organizers, instigators etc.

इसका मतलब यह है कि इस बिल के माध्यम से लोगों में पहले ही डर बैठा रहे हो। यह कानून ऑलरेडी प्रोवाइडिड है। मान लो मेरी प्रोपर्टी को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचायेगा तो उस व्यक्ति पर मुकदमा चलेगा और उसको सजा होगी। सरकार इस बिल के द्वारा लोगों में डर बैठाने का काम कर रही है। यह किस मंशा से है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा लेकिन प्रजातंत्र में पीसफूल प्रोटैस्ट करने का सबको अधिकार है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की। In the Ram Lila Maidan Judgement 2012 में Supreme Court clearly establish करता है right for

peaceful protest to be a constitutional and valid. कोई भी व्यक्ति पीसफुल प्रोटैस्ट कर सकता है और उसमें कोई शरारती तत्व आ जाता है या इस तरह के हालात प्रदेश में पैदा हो जाते हैं तो उसके प्रावधान ऑलरेडी बने हुए है तो सरकार को इस बिल को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? वर्ष 2009 की जजमैंट है। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैः–

> Judgement also indicated that a perfect check and balance be made and certain guidelines about police and media were also issued.

अध्यक्ष महोदय, In this Bill, the law doesn't fix responsibility of police. पुलिस का कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता और न ही लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहीं कुछ मैंशन है। लापरवाही की वजह से जो दंगे होते हैं, उस जिम्मेदारी को तय करने बारे तो इस बिल में कोई जिक्र नहीं किया गया है। एक तरफा कैसे चल जायेगा? मैंने उस दिन भी कहा था कि बगैर सोचे समझे इस बिल को न लाया जाये। मेरा सरकार से इस बिल से संबंधित यही कहना है कि इस बिल को वापिस ले लें। This is very unfortunate. इसमें एक सिटीजन को कैसे जिम्मेदार बता सकते हो? मान लो कहीं पर 10000 आदमी हों और उसमें से 100 आदमी प्रदर्शन करने लग जायें तो क्या उस बात के लिए बाकी 9900 आदमी रिस्पोंसिबल माने जायेंगे?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मान लो 10,000 आदमियों में से 100 आदमी प्रदर्शन करते हैं तो 100 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी बाकी 9900 आदमियों पर थोड़े ही कोई कार्रवाई की जायेगी। जो करेगा वो ही भरेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चाहे तो आप इस बिल की पूरी डैफीनेशन पढ़ सकते हो। मैं यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में जिक्र कर रहा हूं। इस बिल के sub-Section 5 of section 5 पढ़ो। यह कहता हैः–

"(5) The Commissioner of Police or Superintendent of Police of the district may file an application claiming compensation on account for the cost of requisition of police or paramilitary forces from outside the State for managing the disturbances to public order where such disturbance to public order has led to damages."

02.00 बजे

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मैं हुड्डा जी के सवाल के जवाब में यह बताना चाहूंगा कि अगर कोई पुलिस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो उसका क्लेम पुलिस कमिश्नर करेगा। इसी प्रकार से अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस की प्रॉपर्टी का

नुक्सान हमारी स्टेट में होता है तो उसका क्लेम भी पुलिस कमिश्नर ही करेगा। हमने इस बिल में दिया है कि अगर किसी का लॉस हुआ है तो उसका क्लेम कौन करेगा ? घर का क्लेम कौन करेगा और मकान का क्लेम कौन करेगा? (विघ्न) स्पीकर सर, क्या विपक्ष के माननीय साथी यह चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों को लोगों के मकानों और दुकानों को जलाने की इजाजत दे दी जाये? (विघ्न) हमने बिल में स्पष्ट किया है कि कौन सी प्रॉपर्टी के डैमेज का कौन क्लेम करेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिल में सैक्शन 5 के सब–सैक्शन 5 में यह लिखा है कि

"claiming compensation on account for the cost of requisition of police or paramilitary forces from outside the State..."

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : स्पीकर सर, मैं यहां पर रिक्वीजिशन के अर्थ को क्लीयर कर देता हूं। जो हमारी पुलिस फोर्स है उसका इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है लेकिन अगर कभी प्रदेश में Law and Order की स्थिति खराब होती है या कोई हिंसक बावेला खड़ा हो जाता है तो उसमें सैंट्रल एजेंसीज और दूसरे राज्यों की एजेंसीज से रिक्वीजिशन करनी पड़ती है। इसमें जो खर्च होगा वह उसके ऊपर डालने की बात लिखी गई है आखिरकार वह भी हमारा लाखों रुपये का खर्च होता है। वे उसे भी हमारे से लेंगे। हमारे पास अपनी काबिल पुलिस है इसलिए हम बाहर से पुलिस क्यों मंगवायेंगे और क्यों उसका खर्च वहन करेंगे?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जो पुलिस वालों को तनख्वाह दी जाती है उसका खर्च भी प्रदर्शनकारियों पर डालना what is the logic behind it? What is logic to insert the word, "requisition" in this sub-section 5? स्पीकर सर, अगर कोई क्लेम ट्रिब्यूनल के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में जाना चाहता है तो उसमें यह प्रोवाईड किया हुआ है कि उसकी 20 परसैंट अमाउंट पहले जमा करवाई जाये this is totally undemocratic हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा होगा। सर, अब आप इस बिल के सैक्शन–14 के सब–सैक्शन 2 को देखों इसमें यह लिखा है कि –

"(2) The claims Tribunal while determining each claim for compensation shall also decide the apportionment of the compensation recoverable from amongst the persons leading, organising, planning, exhorting, instigating, participating or committing the incident that led to the damages."

इसमें "Planning" वर्ड भी लिखा है जो लॉफुल भी है। जिसने मीटिंग प्लॉन भी की है वह भी इसमें फंस जायेगा। इसमें "participating" वर्ड तक लिखा है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मैं हुड्डा साहब को यह बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर गलत काम करने वाले 50 लोग इक्ट्ठे होंगे और गलत काम की प्लॉनिंग तो वे 50 के 50 लोग कर रहे होंगे तो वे क्यों नहीं उसके अंदर शामिल होंगे? आग तो कोई एक आदमी लगाता है लेकिन वहां पर 50 आदमी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आग लगाने वाले आदमी को भड़काकर आग लगवाई हो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरे कहने का यह मतलब यह है कि– Sub-Section (2) of Section 14 of this Bill expands the definition even beyond the Supreme Court's directions. ये सुप्रीम कोर्ट की डॉयरैक्शंज हैं। The Supreme Court says :

"The recovery be made from those who committed violence and leaders."

But this sub-section included all including participants. They may be peaceful or they may not be. It has not been clarified. Those who promote the protest or those who supported the protest etc. By that means everyone will be covered जो मैं कह रहा था वे सभी आदमी इसमें कवर हो जायेंगे। It has reduced again the parameters fixed by the Supreme Court. With the specific rider जोकि सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है –

"That the law is not here to punish and initiate recovery from honest and innocent protesters. The law recognises the right to peaceful protest."

अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ही क्लीयर रूलिंग है। आगे इसमें आप Statement of Objects and Reasons देखो । इसमें लिखा है कि – "..any assembly, lawful or unlawful,.."

ये इसे खुद ही मान रहे हैं। How can a law stop an assembly of lawful protests? Can it stop? मेरे कहने का यही मतलब है कि सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे कि क्या यह बिल बिना सोचे समझे बनाया गया है या फिर किसी और मंशा से बनाया गया है? यह बिल हमें पूरी तरह से नामंजूर है इसलिए इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाये। यह बिल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के वॉयलेशन में है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को यह बताना चाहूंगा कि यह बिल किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वॉयलेशन नहीं कर रहा है। यह बिल केवल मात्र अनलॉफुल एक्टीविटीज के ऊपर है। अनलॉफुल एक्टीविटीज में जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके ऊपर ही यह बिल लागू होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हम इस बिल को पारित नहीं होने देंगे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या वे दंगाइयों के साथ हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम किसानों के साथ हैं, हम प्रजातंत्र के साथ हैं तथा हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वे दुकान, मकान, इंडस्ट्री तथा रेलगाड़ियां जलाने वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? यह बिल तो उनके खिलाफ है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के साथ तो सरकार भी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विज साहब को कहना चाहूंगा कि वे इतने वहम में न रहें। मैं उनको कहना चाहता हूं–

उड़ते हैं जो वहमों के आसमान में,
जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता।
हर तरह का वक्त आता है जिन्दगी में,
वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता।

मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल जनता विरोधी है इसलिए इस बिल को वापिस लिया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस बिल को दोबारा से मोडीफाई करके लाया जाये ताकि आम जनता को इसका कोई नुकसान न हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हम यह बिल जनता की मांग पर लेकर आये हैं। जनता चाहती है कि आंदोलनों में उनकी सम्पत्ति का नुकसान न हो। यह बिल आम जनता के हित में है, आम जनता के पक्ष में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा है कि हरियाणा के किसानों ने तो इस आंदोलन में कुछ किया ही नहीं है। मैं

आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर हरियाणा के किसानों ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे क्यों बना रखे हैं, उनको वापिस लिया जाये? अध्यक्ष महोदय, हम इस बिल का विरोध करते हैं। आप इस बिल को मोडीफाई करके लायेंगे, जनता के हित में लेकर आयेंगे तब हम इसका समर्थन करेंगे। हम आम जनता के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम प्रजातंत्र के साथ हैं, हम डिक्टेटरशिप के साथ नहीं हैं, हम तोड़फोड़ करने वालों के साथ नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि वे गांधीवादी कांग्रेस के साथ हैं या जी.23 के साथ हैं। (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे बिना आंख, नाक और कान के गृह मंत्री हैं। इनके पास सी.आई.डी. भी नहीं है और बिना सी.आई.डी. कैसा गृह मंत्री? इनके बसका कोई काम नहीं है। इनको सिर्फ एक काम दे रखा है कि जो कुछ भी करना है वह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कर लिया जाये। (हंसी)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ विषय उठाए हैं। कुछ बातें जो मैंने नोट की हैं उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। एम्स एण्ड ऑब्जैक्ट्स में इन्होंने एक वाक्य पढ़ा है–

"In order to prevent recurrence of such circumstances, there should be a legal framwork to cause deterrence in the minds of the perpetrators of violence as also the organizers, instigators etc."

हुड्डा साहब की जो आपत्ति है वह डैट्रेंस शब्द से है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि लॉ एण्ड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि क्राइम करने वाले आदमी के दिमाग में डैट्रेंस होना ही चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी किसी का मर्डर करने जा रहा है और अगर उसको यह पता होगा कि 302 के तहत मर्डर करने वाले को फांसी की सजा भी होती है तथा लाईफ इम्प्रिजनमैंट भी होती है तो हो सकता है वह यह काम न करें। हमारे कांग्रेस के साथियों की तरफ से यह बात भी कही गई कि पहले ही कुछ कानून इस तरह के हैं तो फिर इस कानून को क्यों लाया जा रहा है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि इस तरह के कानून पहले से हैं और उनमें कोई त्रुटि है, जस्टिस को

हम फास्ट करने के लिए यह कानून ला रहे हैं। कहते हैं कि Justice delayed is justice denied. मैं आपके माध्यम से इस सदन में उदाहरण देता हूं। आज हमारे बहुत से क्लेम कमिश्नर्ज के पास पैंडिंग पड़े हुए हैं। मैं सैंकड़ों लोगों के केसिज के बारे में जानता हूं जो कहीं पर भी डिसाइड नहीं हो रहे हैं। बहुत से केसिज कोर्ट में भी फंसे हुए हैं और बहुत से केसिज में कोर्ट ने यह भी कह रखा है कि इनका क्लेम तब मिलेगा जब इस केस का फैसला हो जायेगा इसलिए अभी सरकार उसको क्लेम भी नहीं दे सकती। हालांकि हम उनको क्लेम देना चाहते हैं लेकिन इस बिल के अन्दर एक प्रोसीजरल बात जरूर कही गई है ताकि ऐसे केसिज का जल्दी से निपटारा हो। किसी को डैट्रैंस तभी होता है जब उसको पता हो कि अगर वह कोई दोष करेगा तो जल्दी उसका परिणाम निकलकर आएगा और उसको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह के केसिज में पहले यह होता था कि दोष करने वाला यह समझता था कि कोई बात नहीं, अगर आज मैं दोष करूंगा तो उसका निपटारा होने में यानि फैसला होने में 5 साल, 10 साल या 20 साल का समय लग जाएगा यानि पहले ऐसे केसिज में सजा का कोई सिस्टम नहीं होता था। हमारी सरकार ने इस बिल में सिर्फ यह प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रोपर्टी या सरकारी प्रोपर्टी का नुकसान करेगा तो उस दिन से अगले तीन महीने के अन्दर–अन्दर उसके खिलाफ प्रॉसीजर के तहत काय्रवाई हो जाएगी। आखिर कोई पब्लिक प्रोपर्टी का नुकसान करता है तो उसके मन में डर क्यों नहीं बैठना चाहिए?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। हमें तो इस बिल के ऑब्जैक्ट्स एंड रीजंस में जो लिखा है उस पर ऑब्जैक्शन है।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, ऑब्जैक्ट्स एंड रीजंस की बात नहीं है। हमने डैट्रैंस की बात कही है क्योंकि यह होना भी चाहिए। कोई पाप करे या कोई अपराध करे तो उसके मन में डर होना ही चाहिए कि इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। डर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर डर नहीं होगा तो फिर कोई भी अपराध करेगा। डर नहीं होगा तो अपराध करने की छूट मिल जाएगी इसलिए डैट्रैंस होना बहुत जरूरी है। हमने यह ऑब्जैक्ट्स एंड रीजंस में इसलिए लिखा है ताकि कोई गलत काम करते हुए डरे तो सही। अगर डर नहीं होगा तो फिर अपराध करने वाला खुलेआम घूमेगा और कुछ भी करेगा। मैं एक बात और क्लीयर करना चाहता हूं कि इस बिल

का जो वे तीन कृषि बिल हैं उनसे कोई लेना–देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह सब आपके मन में है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष यह चाहता है कि आप इस बिल को वापिस लें। अगर आप इस बिल को वपिस नहीं लेंगे तो हम इसका विरोध करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अब तो यह बिल इंट्रोडयूज हो चुका है। अब तो इसे वॉइस वोट के अनुसार ही माना जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप सुन तो लें। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। आप चर्चा तों कर लो।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : आप ऐसे क्यों कर रहे हो। आप चर्चा तो कीजिए।(शोर एवं व्यवधान) यह क्या बात हुई कि एक तरफ आप बोलेंगे और एक तरफ मैं बोलूंगा। ऐसे नहीं हो सकता।(शोर एवं व्यवधान) आप पूरी चर्चा सुनिये। इस बिल के अन्दर दोनों चीजें लाई गई हैं। डैमेज टू प्राईवेट प्रोपर्टी एण्ड डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी । जहां तक प्राईवेट प्रोपर्टी का सवाल है वह भले ही किसी एक की व्यक्तिगत प्रोपर्टी होती है लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इस स्टेट की होती हैं। अगर उसका भी कोई नुकसान करता है तो स्टेट की जिम्मेवारी बनती है। नुकसान करने वाले के मन में एक डर जरूर होना चाहिए। अगर कोई नुकसान कर देगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की पब्लिक प्रोपर्टी हरियाणा के तीन करोड़ लोगों की प्रोपर्टी है और उन तीन करोड़ लोगों की प्रोपर्टी की सुरक्षा करना इस हरियाणा सरकार का दायित्व है और हम उस काम को जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉ. रघुवीर सिंह कादियान व श्रीमती शकुन्तला खटक सदन की वैल में आ गये और अध्यक्ष महोदय से उपरोक्त बिल को वापिस लेने के बारे तर्क–वितर्क करने लगे लेकिन अध्यक्ष महोदय के कहने के बाद अपनी–अपनी सीट पर चले गये।)

श्री सोमबीर सांगवान (दादरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 की बात है, के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इस सभा के अंदर केवल और केवल सच्चाई की ही बात होनी चाहिए। मैंने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को पढ़ा तो कई प्रकार के

सवाल मेरे जेहन में आये। मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ:–

"जहां आम जनता ने भीड़ हिंसा के विभिन्न अतीत और हालिया उदाहरणों को गम्भीरता से लिया है। जहां हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारण हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बंधित या उससे आनुंशिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु राज्य सरकार को सभी निवारक, सुधारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, हिंसा के अपराधियों के साथ–साथ आयोजकों, भड़काने वाले आदि के मन में डर पैदा करने के लिए कानूनी ढांचा होना चाहिए "

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण बता रहे हैं कि हालिया और पुरानी जो परंपराये हैं या प्रावधान है, उनसे अलग एक तरह से भय पैदा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इंडियन पिनल कोड के अंदर धारा 147, 148 तथा 149 के तहत सजा का प्रावधान तो बहुत पहले से है। इसके अतिरिक्त पब्लिक प्रोपर्टी डैमेज एक्ट के तहत पांच साल की सजा का प्रावधान भी पहले से है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अंदर जो सबसे बड़ा भय दिखाया गया है वह इस प्रकार से है कि अगर किसी ने आंदोलन करने वाले का समर्थन भी कर दिया तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हम राजनीतिक आदमी हैं, अगर कोई आंदोलन होता है तो परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक आदमी को इस तरह का कोई समर्थन करना ही पड़ता है, करते आए हैं और करते भी रहेंगे। अगर कोई आंदोलन किया जा रहा है और उस आंदोलन करने वालों में से कुछ बच्चों से या आंदोलन के किसी हिस्सेदार से कोई घटना घट जाती है तो इस विधेयक के प्रावधानों के तहत एक नई परंपरा पड़ेगी, आने वाले समय में हरेक को विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सजा भोगनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, धारा 120 इतनी खतरनाक धारा है कि किसी को भी इस धारा के दायरे में लाया जा सकता है और इसका आगे चलकर एक तरह से मिसयूज ही होगा और आने वाली जो सरकारें होंगी, वे

इसका दुरूपयोग करके एक तरह से समाज को बांटने का ही काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि किसानों से इस बिल का कोई संबंध नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आफत थी कि जब पहले से कानून मौजूद हैं, सजा का प्रावधान है तो इसी समय में ही क्यों भय के हालात पैदा करने के लिए यह विधेयक लाया गया? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस विधेयक के प्रावधानों के भय से किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमें समाज के इन लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनकी भावनाओं की कद्र करनी पड़ेगी और उनकी जो बात है, पीड़ा है या जो तकलीफ है उसको मेटना पड़ेगा। समाधान का यही एक रास्ता है लेकिन अगर सरकार इसी प्रकार से कानून थोपकर इस किसान आंदोलन को दबाने का काम करेगी तो फिर इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आने वाला है। सरकार यह जरूर याद रखे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, परसैप्शन बहुत बड़ा विषय होता है। आज के दिन जिस परसैप्शन से यह विधेयक लाया गया है इससे सिर्फ और सिर्फ यह बात झलकती है कि इस बिल को किसान आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया है। (विघ्न)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में ऐसा कही भी मैंशन नहीं है बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के दिमाग की उपज है। बिल में यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ परसैप्शन की बात कह रही हूँ। Speaker Sir, I have talked about perception. अध्यक्ष महोदय, जब परसैप्शन हो जाता है तो उसके दूसरे मतलब भी निकलने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सी.आर.पी.सी. के अंदर डैट्रैंस के लिए अनेक प्रावधान मौजूद हैं और सी.आर.पी.सी. में निहित प्रावधानों के तहत भी कोई गलत काम करने वाला बचकर नहीं जा सकता है। अगर कोई किसी प्रकार की आगजनी या उपद्रव करेगा तो वह बच नहीं सकेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं विषय पर आती हूँ। असैम्बली के अंदर एक रैजोल्यूशन पास किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी का बायकाट किया जायेगा या पॉलिटिकल लीडर का बायकाट किया जायेगा। सदन में इस perception के माध्यम से इस विधेयक को लाया गया है। इस विधेयक में Instigator, Organizer and Initiator को add किया गया है। Speaker Sir, This is a draconian.

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी के ऊपर स्वीपिंग पावर हो जायेगी और अगर इतनी ज्यादा स्वीपिंग पावर हो जो जायेंगी तो जो इनोसैंट व्यक्ति हैं, उसे फँसाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहती हूँ कि इस बिल को पास करने से पहले इस बिल पर अच्छी तरह से अध्ययन की आवश्यकता है। I am talking on legal issues. I don't talk unnecessarily. इस बिल के statement of Objects and Reasons ने इनकी मंशा साफ कर दी है। This is actually draconian. इस बिल में जो भी औब्जैक्शंज आए हैं उन को ठीक करके ही सदन में पास किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पहले सिलैक्ट कमेटी बनाकर उसे एग्जामिन करने के लिये भेज दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के संबंध में एक clarification करना चाहता हूँ।` पहले के जितने भी प्रावधान हैं वे सारे आई.पी.सी. के प्रावधान हैं। जिसके तहत केवल क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने के प्रावधान हैं कि इतनी सजा हो जायेगी या ज्यादा से ज्यादा जुर्माना हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में आई.पी.सी. की तरह कोई क्रिमिनल लायबिलिटी का विषय नहीं है इसमें केवल सिविल लायबिलिटी कम्पनसेशन का विषय है। इस विधेयक के अनुसार यदि किसी का नुकसान हो गया तो उसका नुकसान भरना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई.पी.सी. में पहले कोई भी कम्पनसेशन का विषय नहीं था। किसी का नुकसान हो गया और उसके नुकसान को भरने का प्रावधान किया गया है, इसलिए यह विधेयक लेकर आ रहे हैं। मान लो किसी की गाड़ी बाहर खड़ी है और साथ चलते हुए व्यक्ति ने उसको आग लगा दी या रोडवेज की बस खड़ी है उसको आग लगा दी, उसकी भरपाई करने के लिये ही यह बिल लाया गया है। हमारा समाज जागृत हो कि अब हमारे समान का नुकसान नहीं होगा। सरकार भी जागृत हो कि अब सरकारी संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) अगर किसी ने नुकसान किया तो उसकी भरपाई उसे करनी ही पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह बिल बिना सोचे समझे लाया गया है, इस बिल पर पहले अध्ययन की आवश्यकता है, इसलिए हमारी मांग है कि इस बिल को सदन में पास न किया जाये और इसे वापिस लिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य सदन की वैल में आकर उपरोक्त विधेयक को वापिस न लिये जाने के विरोध में अध्यक्ष महोदय से तर्क–वितर्क और नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब–क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक के खण्ड 2 के सब–खण्ड (ड़) में संशोधन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक में खण्ड 2 के सब–खण्ड (ड़) में संशोधन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

''कि खण्ड 2 के सब–खण्ड (ड़) की **'धारा 4'** के स्थान पर **'धारा 5 की उप धारा 6'** मानी जाये''

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हआ–

''कि खण्ड 2 के सब–खण्ड (ड़) की **'धारा 4'** के स्थान पर **'धारा 5 की उप धारा 6'** मानी जाये''

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

''कि खण्ड 2 के सब–खण्ड (ड़) की **'धारा 4'** के स्थान पर **'धारा 5 की उप धारा 6'** मानी जाये''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2, यथासंशोधित, विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने।

क्लॉज–4

श्री अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक के खण्ड 4 में existing marginal heading में संशोधन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक के खण्ड 4 में existing marginal heading में संशोधन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

> ''कि खण्ड 4 में existing marginal heading में **'स्वतन्त्र मूल्यांकन अभिकरण'** के स्थान पर **'जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट तैयार करना'** माना जाये''

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हआ–

> ''कि खण्ड 4 में existing marginal heading में **'स्वतन्त्र मूल्यांकन अभिकरण'** के स्थान पर **'जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट तैयार करना'** माना जाये''

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> ''कि खण्ड 4 में existing marginal heading में **'स्वतन्त्र मूल्यांकन अभिकरण'** के स्थान पर **'जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट तैयार करना'** माना जाये''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 4, यथासंशोधित, विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज 5 से 24

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 5 से 24 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाये।

प्रस्ताव पारित हुआ।

(विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है ।

(तत्पश्चात् सभा अनिश्तिकाल के लिए *स्थगित हुई ।)

*14:28 बजे